खण्ड-186, अंक-9
गुरूवार, 7 भाद्रपद, शक संवत् 1879
(29 अगस्त, 1957 ई0)

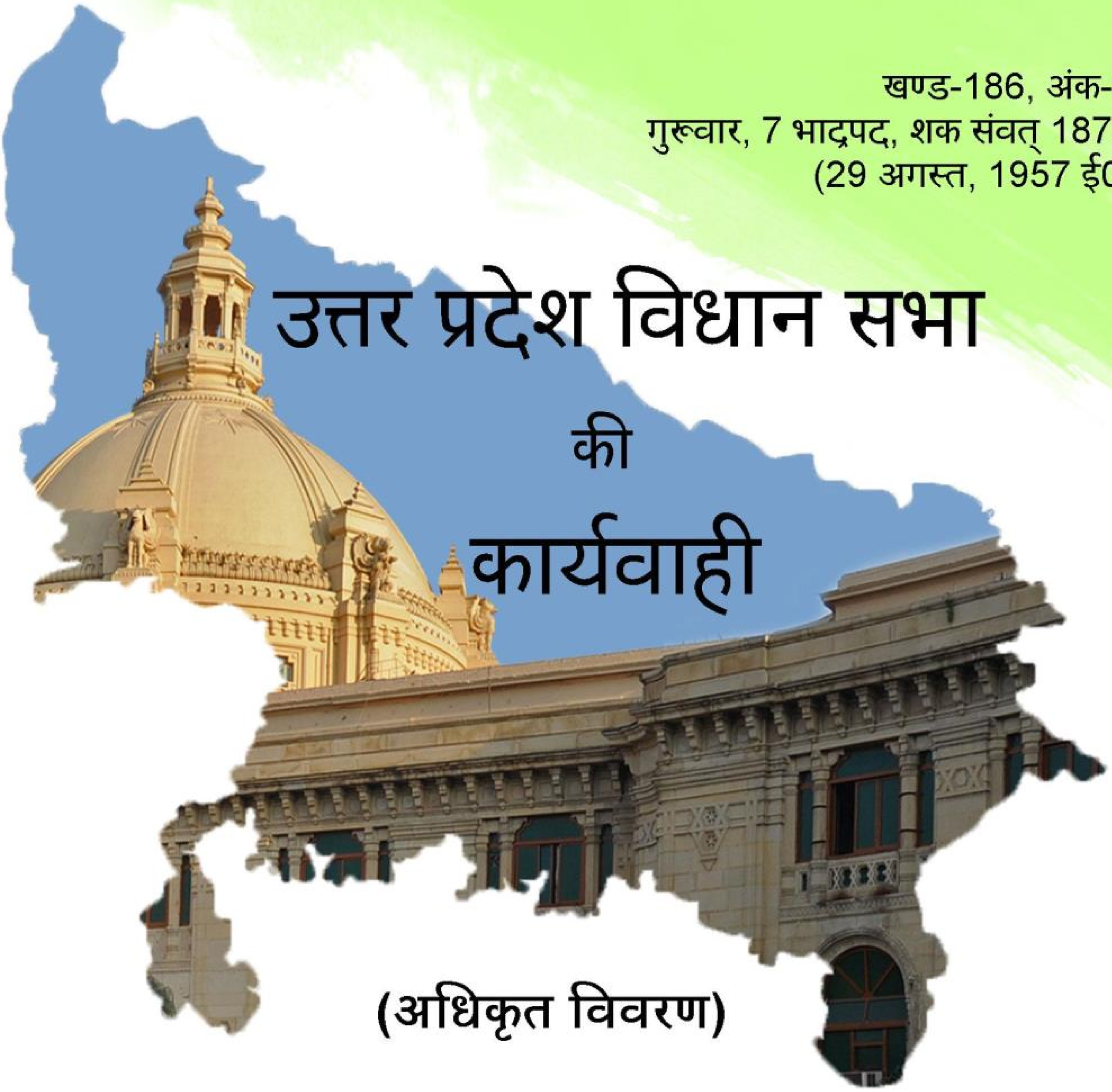

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 186 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २९ अगस्त, १९५७ ई०

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३०८)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असगर अली खां, कुंवर
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीरमणसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गरीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरु प्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री

चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)

महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महेंद्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस' , श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारूक़ चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुराजसिंह, चौधरी
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
बजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री

वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद मागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--माल उपमंत्री श्री परमात्मानन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

वृहस्पतिवार, २९ अगस्त, १९५७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

फतेहपुर जिलान्तर्गत मलंवा राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र को प्रगाढ़ सेवा क्षेत्र बनाने की प्रार्थना

**१--श्री शिवराजबली सिंह (जिला फतेहपुर)--क्या यह सत्य है कि फतेहपुर जिला के अन्तर्गत मलंवा राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र अक्तूबर, १९५७ से प्रगाढ़ सेवा क्षेत्र में परिवर्तित किया जा रहा है?

नियोजन उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)--जी नहीं।

श्री शिवराजबली सिंह--माननीय मंत्री जी क्या यह बतलायेंगे कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र, प्रगाढ़ सेवा क्षेत्र में बदलने में अक्तूबर तक नियमतः क्या कठिनाई है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---साधारणतया तीन वर्ष के बाद यह प्रगाढ़ सेवा क्षेत्र बनते हैं। अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ और न यहां पर अभी इस कार्य को आंका जा सका कि लोगों ने इतना कार्य किया है कि समय से पूर्व इसको कर लिया जाय ।

श्री शिवराजबली सिंह---माननीय मंत्री जी को क्या यह पता है कि सूबे में शायद यह इने गिने ब्लाकों में है, दूसरी बात क्या तीन वर्ष के अन्तर्गत दूसरे ब्लाक प्रगाढ़ सेवा क्षेत्र के रूप में बदले गये हैं या नहीं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अभी केंद्रीय सरकार से यह सूचना नहीं मिली है कि कितने प्रगाढ़ क्षेत्र इस प्रदेश को मिलेंगे। जब वह आयेंगे तो उसका भी विचार किया जायगा।

सरकारी कामों में सरल हिन्दी के प्रयोग की प्रार्थना

**२---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार करने की कृपा करेगी कि सरकारी दफ्तरों, कचहरियों आदि में इस्तेमाल की जाने वाली हिन्दी में कठिन संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल न करके ऐसे सादा शब्दों का इस्तेमाल किया जाये जिन्हें सभी लोग आसानी से समझ सकें ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---शुरू से ही सरकार की यह नीति रही है कि सरकारी कामों और कचहरियों में केवल सरल हिन्दी का ही इस्तेमाल हो जिससे कि सभी लोग उसे आसानी से समझ सकें । समय-समय पर इस आशय के आदेश भी निकाले जा चुके हैं ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार की ऐसी भी नीति है कि दफ्तरों के अतिरिक्त विधान सभा में सरल हिन्दी में कार्य हुआ करे ?

श्री अध्यक्ष---यह तो सरकार से संबंधित नहीं है। मुझसे संबंधित है। इसका उत्तर आप मेरे दफ्तर में पूछ लें ।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार ने कोई ऐसी विभागीय समिति बना रखी है या कोई विभागीय अधिकारी नियुक्त कर रखा है जो प्रयुक्त की जाने वाली हिन्दी के संबंध में उसकी सरलता अथवा कठिनता के संबंध में निश्चय करता रहता है और आदेश निकालता रहता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरलता और कठिनता पर विचार करने के लिये कोई समिति तो नहीं है, लेकिन प्रक्रिया शब्दावली निश्चित करने के लिये जरूर एक समिति है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या .....

श्री अध्यक्ष---आप भी सरल भाषा में जरा बोलें ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मैं जान सकता हूं कि सरल हिन्दी का, जो सरकारी भाषा प्रयुक्त की जाती है, इस संबंध में कोई अधिकृत कोष या डिक्शनरी सरकार ने बनायी है या बनवाने का विचार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, जिस समिति का मैंने जिक्र किया वह डिक्शनरी बना रही है। कुछ हिस्सा शायद छप भी गया है और आगे धीरे-धीरे विचार हो रहा है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या यह सही है कि प्रदेश के एस०डी०एम्स० कोर्ट और जजेज कोर्ट के फैसले अब भी अंग्रेजी में लिखे जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे आदेश जारी करेगी जिससे हिन्दी में वे फैसले लिखे जायं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, यहां तो सवाल भाषा का था। किस अदालत को क्या आदेश दिये जायं वह तो पृथक प्रश्न है, उसके लिये अलग सूचना की जरूरत होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि इस डिक्शनरी बनाने के लिये कितना रुपया खर्च किये जाने का प्रस्ताव है, और यह कब तक बन जायगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कब तक बन जायगी, यह मैं नहीं कह सकता। इसके लिये कोई अलग रकम नहीं रखते हैं। सामान्य प्रशासन में जितना रुपया है उसी में से रुपया दिया जाता है। यह मुझे ठीक पता नहीं है कि साल ब साल कितना रुपया रखा जाता है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं के जो प्रचलित शब्द हैं उनको रखने का विचार है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। उनको निकालने का कोई विचार नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी का यह भी विचार है कि प्रत्येक विभाग में या मुख्य कार्यालय में कोई ऐसा विशेष अधिकारी या विशेष कोई क्लर्क या हेड क्लर्क रहे जो कि जितने आदेश हिन्दी में निकलें उनको देख ले कि इसमें कोई कठिन शब्द तो हिन्दी के नहीं हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा तो नहीं खयाल है, लेकिन ऐसा खयाल है कि एक बार जब ठिकाने से शब्दावली बन जायगी तो आप से आप लोग उसको देख लेंगे।

सोशलिस्ट सत्याग्रहियों की रिहाई के सम्बन्ध में जानकारी

**३—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित सत्याग्रह के सिलसिले में जेल गये बंदियों की आम रिहाई के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

**४—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

"साहब" और "हुजूर" शब्दों को न प्रयोग करने का सुझाव

**५—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार किसी ऐसे आदेश देने पर विचार कर रही है कि निम्न कर्मचारी अथवा चपरासी आदि उच्च कर्मचारियों या अधिकारियों को "साहब" और हुजूर" शब्द से सम्बोधन न किया करें?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसके अनुसार निम्न कर्मचारी अथवा चपरासी अधिकारियों को संबोधित करने में किसी खास शब्द का प्रयोग करें। अतः ऐसा आदेश, जिसका सुझाव प्रश्न में है, देने का प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निवास की पानी की टंकियां

**६—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास नं० १ और २ में जो स्टोरेज टैंक पानी पहुंचाने के लिये बने हैं उनको कभी डिस-इन्फेक्ट भी किया जाता है ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—जी हां।

**७—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बतायेगी कि इन स्टोरेज वाटर टैंकों में पानी को शुद्ध करने के लिये क्लोरीन या पोटाशियम परमैंगनेट का उपयोग भी किया जाता है ?

श्री रऊफ जाफरी—पानी शुद्ध करने के लिये ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है ।

**८—श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बतायेगी कि इन स्टोरेज वाटर टैंकों की कितने समय के अन्दर सफाई होती है ?

श्री रऊफ जाफरी—इनकी सफाई हर माह होती है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह टैंक जिस समय साफ किये जाते हैं तो उसकी सूचना विधायक निवास के निवासियों को पहले से नहीं दी जाती है और अक्सर वह अध नहाये घंटों खड़े रह जाते हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—यह मुमकिन है कि उनको नोटिस न पहुंचा हो । आइन्दा इसका लिहाज किया जायगा कि नोटिस लगा दी जायगी कि सफाई होने वाली है।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा—क्या सरकार बतायेगी कि किन विशेषज्ञों ने पानी को शुद्ध करने के लिये ब्लीचिंग पाउडर इस्तेमाल करने की सलाह दी है ?

श्री रऊफ जाफरी—डाक्टरों ने ही यह सलाह दी कि ब्लीचिंग पाउडर इस काम के लिये अच्छी चीज है ?

जिला बोर्डों के पुनर्गठन की विचाराधीन योजना

**९—श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बोर्डों को समाप्त करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

स्वशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी नहीं, लेकिन जिला बोर्ड के पुनर्गठन की योजना विचाराधीन है।

**१०—श्री हरदयाल सिंह पिपल (अनुपस्थित)—यदि हां, तो इस योजना को कार्यान्वित करने में कितना समय लगेगा और इसके कार्य को किस प्रकार वितरित किया जायगा ?

श्री विचित्र नारायण शर्मा—प्रश्न नहीं उठता ।

**११—श्री हरदयाल सिंह पिपल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला बोर्डों को समाप्त करने में सरकार को कितने रुपये वार्षिक की बचत होगी ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

बस्ती जिले के इलाका शिवपति नगर से लगान सम्बन्धी आवेदन-पत्र

*१---श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)---क्या माल मन्त्री बतायेंगे कि उनके पास गत २२-४-५७ को भेजा इलाका शिवपति नगर उर्फ नेउरा, तहसील नौगढ़, जिला बस्ती में लगान सम्बन्धी कोई शिकायती आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ?

माल मंत्री (श्री चरणसिंह)---जी हां ।

*२---श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इन शिकायतों के बारे में उसकी ओर से क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चरणसिंह---इन शिकायतों की जांच की गई और यह मालूम हुआ कि जो कुछ भी मालगुजारी राजा शिवपति सिंह तथा इलाका शिवपति नगर के काश्तकारों पर लगी है वह नियमानुसार ठीक है ।

लखीमपुर जिले में बेहजम ब्लाक पर व्यय

*३---श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर जिले के अन्तर्गत बेहजम ब्लाक में पहली पंचवर्षीय योजना में कुल कितना रुपया खर्च हुआ और द्वितीय योजना में कितना खर्च करने का अनुमान है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस ब्लाक में प्रथम पंचवर्षीय योजना में लगभग ३,९४,९९१ रुपया खर्च हुआ तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगभग ११,०५,००० रुपया व्यय होने का अनुमान है ।

*४---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक आफीसरों के वेतन तथा दफ्तर निर्माण में पृथक-पृथक कितना रुपया व्यय हुआ और जनहित के कामों में कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस ब्लाक में पंचवर्षीय योजना में अधिकारियों के वेतन पर ३,६३४ रुपया, कर्मचारियों के वेतन पर २९,५७० रुपया, दफ्तर निर्माण पर ८,४७८ रुपया तथा जनहित के कामों में सरकारी व्यय २,७९,३५२ रुपया हुआ । इसके अतिरिक्त जनहित के कामों में जनता का अनुदान २,००,००० रुपया हुआ जो नकदी, सामान अथवा श्रमदान के रूप में था ।

*५---श्री देवनारायण भारतीय---क्या सरकार यह बतायेगी कि इस ब्लाक के क्षेत्र में इस योजना के फलस्वरूप कृषि के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८२९ पर)

श्री देवनारायण भारतीय---क्या माननीय मंत्री २,७९,३५२ रुपया जनहित के किन कामों में खर्च हुआ, इस सम्बन्ध में बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह एकदम बतलाना संभव नहीं होगा । ब्यौरा तो बहुत लम्बा होगा ।

श्री देवनारायण भारतीय--प्रश्न संख्या ३ के उत्तर में ३,९४,९९१ रुपया कुल व्यय हुआ बतलाया गया है परन्तु जो तफसील दी गई है उसके हिसाब से करीब ७५ हजार रुपया बच रहता है। क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह ७५ हजार रुपया किस काम में व्यय हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--३,९४,९९१ रुपये के व्यय की उसमें तफसील दी हुई है ।

श्री देवनारायण भारतीय--तफसील जो है उसमें ७५ हजार रुपया कम है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इसमें तालिका (अ) अगर आप देखेंगे तो इसमें सभी चीजों का ब्यौरा दिया हुआ है । उसमें ३,९४,९९१ रुपया कुल टोटल निकाला गया है । इसमें अधिकारियों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन तथा प्रासंगिक व्यय आदि सम्मिलित है। मुमकिन है कि इन चीजों में कुछ घटती-बढ़ती हो, लेकिन टोटल ठीक बैठता है। सभी को जोड़ने से ३,९४,९९१ रुपया आ जाता है ।

श्री देवनारायण भारतीय--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न का उत्तर सरकार से स्पष्ट नहीं हुआ। मैंने बतलाया कि जो अंक दिये हुए हैं उनका जोड़ ३,२०,००० रुपये के करीब होता है । उसके बाद करीब ७५ हजार रुपया ऐसा बच रहा है जिसका ब्यौरा इसमें नहीं दिया गया है । क्या सरकार उस ब्योरे को देने की कृपा करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--प्रश्न ३ के उत्तर में जो सूची दी हुई है उसमें यह सब ब्यौरा दिया हुआ है । यह शायद उनके पास भेजी नहीं गई है । उसकी तफसील इस प्रकार है:

			रु०
अधिकारियों का वेतन	..	..	३,६३४
कर्मचारियों का वेतन	..	..	२९,५७०
भत्ता	..	..	१५,९५३
प्रासंगिक व्यय	..	..	७,११६

श्री अध्यक्ष--यह मेरे पास नहीं आया ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--मुमकिन है यह तालिका न गई हो । प्रश्न के उत्तर के बाद ही लगी हुई है । इसमें जो टोटल दिया हुआ है सभी चीजों का वह ३,९४,९९१ रुपया है । ब्यौरा उसमें है सबका ।

श्री अध्यक्ष--यह ब्योरा तो मेरे पास भी नहीं है ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--ब्योरा भेज दिया जायगा ।

श्री देवनारायण भारतीय--मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो उत्तर दिये गये हैं उसमें वह ब्योरा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--मेरे पास भी नहीं है । वह आपके ही पास रह गया है । तो आप यह कह सकते थे कि वह ७५,००० रुपया जो बाकी रह जाता है वह किस कार्य में खर्च हुआ।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--वह इसी में आ जाता है । टोटल में जो फर्क है वह इसी में आ जाता है ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न ४ में जो रकमें दी हैं उसमें अलग-अलग आपने दे दिया है, ३,६३४ रुपया अधिकारियों के लिए और २९,५७० रुपया है कर्मचारियों के लिए और दफ्तर निर्माण पर ८,४७८ रुपया, और जनहित के कामों में २,७९,३५२ रुपया । इन सब का

जोड़ जो होता है वह कहते हैं--कि इसका जोड़ ३,९४,९९१, से ७५,००० कम रह जाता है। अगर वह ७५,००० रुपया आपकी लिस्ट में है तो आप कृपा करके बतायें कि और कौन-सी आमदनी इसमें छूट गयी है जो कि चौथे प्रश्न के जवाब में आपने नहीं दी है।

श्री जगमोहनसिंह नेगी--अगर आज्ञा हो तो मैं उनको गिना दूं और वह उसका जोड़ लगा लें।

श्री अध्यक्ष--तो आप कृपा करके उनके पास भेज ही दीजिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रश्न ३ में 'बेहजम' विशेषण है या नाम है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह तो नाम है।

श्री अध्यक्ष--यह विशेषण मालूम नहीं होता है। मुझे भी पहले ऐसा मालूम हुआ कि शायद लोगों को ब्लाक "हजम" नहीं हुआ।

चरगावां राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड का विकास-कार्यों पर व्यय

*६--श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि चरगावां एन० ई० एस० ब्लाक में सन् १९५५-५६, १९५६-५७ के वर्षों में कितना रुपया विकास कार्यों में अलग-अलग खर्च हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--चरगावां ब्लाक में सन् ५५-५६ व ५६-५७ में क्रमशः १,२४,१४८ रु० ३ आना तथा १,२६,६४५ रु० ८ आना व्यय हुआ जिसमें से थोड़ी-सी धनराशि नियोजन विभाग के कर्मचारियों के भवनों के निर्माणार्थ व्यय हुयी। इस व्यय के विवरण की सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८३० पर)

*७--श्री केशव पांडेय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त ब्लाक में स्थित चरगावां जूनियर हाई स्कूल के लिये स्वीकृत सहायता की रकम नहीं दी गई है जिसे ब्लाक समिति ने स्वीकृत किया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--इस स्कूल के अधिकारियों द्वारा स्कूल की सहायता के लिये कभी कोई मांग ही नहीं की गई। अतः ब्लाक समिति की स्वीकृति तथा अनुदान न दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री केशव पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सन् १९५५-५६ और १९५६-५७ में अलग-अलग कुल धनराशि इस ब्लाक के लिए कितनी मंजूर हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--यह सूची तो आपके पास रख दी गयी है, उसको जोड़ लीजिये।

श्री केशव पांडेय--मैंने उसको जोड़ा है, उसमें सिर्फ व्यय लिखा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि साल भर के लिए कितनी रकम सरकार से स्वीकृत हुई थी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी। मेरे पास व्यय की ही सूची है।

श्री केशव पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में कुछ हरिजनों के भवन निर्माणार्थ रकम स्वीकृत बतलायी गयी है, क्या बतलाया जा सकता है कि वह किन-किन गांवों के लिए और किस किस्म के घर बनाने के लिए रुपया दिया गया था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इस ब्योरे के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में कितना रुपया किन कामों पर खर्च हुआ है और क्या वह समाप्त हो गये और कम्पलीशन सर्टीफिकेट लग गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---वह तो लिस्ट में दिया हुआ है और मेरा खयाल है कि जिन कामों को लेते हैं वह हो जाते हैं और जो बाकी रहते हैं वह अगले साल हो जाते हैं।

श्री केशव पांडेय---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ और ५६-५७ में इस ब्लाक में औद्योगिक कार्यों पर कोई खर्चा नहीं हुआ है और क्या वहां पर सर्वेक्षण भी नहीं हो पाया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यदि होता तो उसका अवश्य जिक्र होता।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस ब्लाक में शिक्षा कार्यों पर कितना खर्च हुआ ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--१९५५-५६ में प्राइमरी स्कूलों पर ४०० रुपया और १९५६-५७ में २,४९६ रुपया।

श्री रामसूरतप्रसाद (जिला गोरखपुर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५५-५६, ५६-५७ में २,५०० और १,६०० रुपया क्रमशः दिया गया है वह किन-किन हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिये दिया गया है और कितने के आवेदन-पत्र आये थे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जनता हायर सेकेंडरी स्कूल चरगावां के लिये यह रुपया दिया गया और इतना ही मंजूर हुआ था।

श्री केशव पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस चरगावां स्कूल के लिये किस मद में रुपया दिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो मुझे मालूम नहीं है कि किस मद में रुपया खर्च किया गया है।

*८-१०---श्री राम सुन्दर पांडेय---[५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये

सामान्य सचिवालय में स्टेनोग्राफरों की परीक्षा में कथित विघ्न

*११---श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि दिनांक ७-४-५७ को सामान्य सचिवालय में स्टेनोग्राफरों की परीक्षा में डिक्टेशन बोलते समय दीवाल घड़ी बजने लगी जिससे परीक्षार्थियों के कार्य में विघ्न पड़ा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, घड़ी बजी थी पर उससे कोई विघ्न नहीं हुआ।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि ७ अप्रैल, १९५७ को स्टेनोग्राफर्स की परीक्षा में कुछ लोगों को पेपर्स आउट कर दिये गये थे और बाकी लोगों को घड़ी बजाकर डिस्टर्ब किया गया ?

श्री अध्यक्ष---यह तो नया सवाल है। घड़ी बजाने के संबंध में यह उत्तर में कहा गया कि विघ्न नहीं पड़ा, यह जवाब दिया गया है।

डेवलपमेंट कमिश्नर्स कान्फ्रेंस, मंसूरी में हुये निर्णयों की प्रतिलिपि की मांग

*१२---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार डेवलपमेंट अफसरों का जो सम्मेलन पिछले महीनों में मंसूरी में हुआ था, उसमें जो निर्णय हुये हैं उनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--वांछित सिफारिशों तथा निर्णयों की एक †प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है ।

राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों में अन्न की उपज में वृद्धि

*१३--श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि प्रदेश के N.E.S. क्षेत्रों में पहले से अधिक अन्न पैदा होता है ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--हां, राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्रों में नेशनल सेम्पिल सर्वे के अनुसार, पहले की अपेक्षा लगभग १५ से २९ प्रतिशत तक, अन्न के अधिक उत्पादन का अनुमान है ।

जालौन जिले में विलीन बाउनी रियासत के पाही तथा आबी टैक्स

*१४--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बाउनी रियासत जिला जालौन में जब से विलीन हुई तब से ही पाही तथा आबी नाम के दो टैक्स लगे हुये हैं और क्या सरकार बतायेगी कि उक्त टैक्सों से कितनी वार्षिक आय होती है ?

माल उप-मंत्री (श्री परमात्मानन्दसिंह)--यह दोनों टैक्स विलीनीकरण के समय से नहीं बल्कि पहले ही से बाउनी रियासत में लगे हुये थे । सरकार ने पाही टैक्स को ३१ मई, १९५७ से बन्द कर दिया है । १३६४ फसली में जिला जालौन में आबी टैक्स से १६,७१६ रु० ६६ नये पैसे और पाही टैक्स से ४,०८५ रु० २० नये पैसे प्राप्त हुए थे ।

*१५--राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार इन टैक्सों को हटाने का विचार कर रही है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--जैसा अभी बताया गया है पाही टैक्स को सरकार ने बन्द कर दिया है । आबी टैक्स के बारे में सरकार ने यह निश्चय किया है कि यह बन्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह असल में कोई टैक्स नहीं है बल्कि यह आबी जमीन का सर्किल रेट के मुताबिक लगान है जो काश्तकार को उसी साल देना पड़ता है जब वह आबपाशी करता है ।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बाउनी रियासत के विलीनीकरण के समय ३१ मई, सन् ५१ तक पाही टैक्स से कितनी रकम वसूल हुई ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी ।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या यह सही है कि यह रियासत सन् ५० में जिला जालौन में शामिल हुई जिसको आज सात वर्ष हुये और ४,०८४ रुपया फी साल के हिसाब से २८,००० रुपये की रकम पाही टैक्स की होती है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप खुद हिसाब लगा लीजिये, प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है ।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २८,००० रुपये की रकम को वह वापस करने को सोचती है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--जी नहीं ।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या सरकार इसका कारण बतायेगी कि जब वह मुआफ कर रही है तो अधिक टैक्स क्यों वसूल किया गया ?

श्री चरणसिंह--अधिक वसूल नहीं किया गया है । बाउनी रियासत के जमाने में वसूल होता था । अब गवर्नमेंट रियायत कर रही है, क्योंकि वह मुनासिब नहीं समझती उसको वसूल करना, वह कोई खिलाफ कानून नहीं वसूल कर रही थी ।

---

†छापी नहीं गई ।

गाजीपुर जिले में सादात गांव के बाढ़-पीड़ितों को गृह निर्माणार्थ सहायता देने की प्रार्थना

*१६--श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के सादात गांव के बाढ़-पीड़ितों के लिये स्थायी मकान बनाने की योजना किस स्थान पर है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--जिला गाजीपुर के सादात ग्राम में बाढ़-पीड़ितों के लिये स्थायी मकान बनाने की कोई योजना नहीं है ।

श्री यमुनासिंह--क्या यह सही है कि सादात स्टेशन के करीब तालाब के हासिये पर मकान बनाने के लिये ईंट गिर चुकी हैं ?

श्री चरणसिंह--गवर्नमेंट को कोई नोटिस नहीं है कि कैसे मकान बनाने के लिये ईंट गिर चुकी है । गवर्नमेंट की तरफ से मकान बना कर देने की कोई योजना अभी नहीं है ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गांव में बाढ़-पीड़ितों के मकान के लिये कुछ सरकारी रकम इमदाद में दी गयी है ?

श्री चरणसिंह--यहां से जिले भर को रकम दी गयी थी । अब आप किसी खास जगह के लिये अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

अल्मोड़ा जिले में पिठौरागढ़ के समीप बस दुर्घटना

*१७--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अल्मोड़ा में पिठौरागढ़ के समीप २०-५-५७ को जो मोटर दुर्घटना हुई वह किस कारण से हुई ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)--विगत रात्रि को वर्षा होने के कारण मोटर मार्ग पर फिसलन हो गई थी । ड्राइवर बस को न्यूट्रल गियर में चला रहा था ।

*१८--श्री खुशीराम (अनुपस्थित)--इस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे और कितने घायल हुये ?

डाक्टर सीताराम--३ व्यक्ति मरे और २३ घायल हुए ।

*१९--श्री खुशीराम (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृप करेगी कि दुर्घटना-ग्रस्त व्यक्तियों के कुटुम्बियों को कोई सहायता दी गई ?

डाक्टर सीताराम--क्योंकि यह बस सरकारी नहीं थी अतः सरकार द्वार, घटनाग्रस्त व्यक्तियों के कुटुम्बियों को सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२०--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[अस्वीकार किया गया ।]

*२१--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

गाजीपुर जिले में लगान वसूल करने की शिकायत

*२२--श्री यमुनासिंह--क्या यह सत्य है कि गाजीपुर में वर्तमान रबी की फसल ५० प्रतिशत से भी कम हुई है ?

श्री परमात्मानन्दसिंह--गाजीपुर जिले में गत रबी की फसल संतोषजनक नहीं हुई । आमतौर से फसल साधारण के मुकाबले रुपये में १० आने से अधिक नहीं हुई । कुछ क्षेत्रों में उपज और भी कम हुई ।

श्री यमुनासिंह---क्या यह सही है कि ऐसी हालत में जबकि रबी की फसल ८ आने से भी कम है लगान कड़ाई से वसूल किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष---यह पूरक प्रश्न तो जो उत्तर उन्होंने दिया है उससे मेल नहीं खाता है। आप तो पहले से प्रश्न लिख लाये हैं। उन्होंने उत्तर कहा है कि कुछ में १० आने और कुछ में उससे कम और आप ८ आने से कम कह रहे हैं। तो उनके उत्तर के हिसाब से ही पूछिये।

श्री यमुनासिंह---गाजीपुर जिले में जबकि रबी की फसल की हालत खराब रही, ऐसी हालत में भी लगान कड़ाई से क्यों वसूल किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह---जी नहीं, कड़ाई के सिलसिले में जो बात आप फरमा रहे हैं, बिलकुल गलत है।

यू० पी० पुलिस सर्विस तथा सिविल सर्विस के अफसरों की उन्नति

*२३---श्री अमरेशचन्द्र पांडेय (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि U. P. Police Service के कितने अफसर इस वर्ष I. P. S Cadre में पदोन्नति किये जाने वाले हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१।

*२४---श्री अमरेशचन्द्र पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि U. P. Civil Service के कितने अफसर राज्य के जिलों में जिलाधीश के पद पर कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---१३।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह कौन से नियम हैं जिनके आधार पर यू० पी० पी० एस० कैडर के अफसर आई० पी० एस० कैडर में पदोन्नति पाते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह तो आल इंडिया सर्विसेज हैं। उनका सेलेक्शन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और गवर्नमेंट आफ इंडिया की राय से होता है।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय---क्या यह सही है कि अभी हाल ही में सरकार ने कोई आदेश दिया है कि यू० पी० सी० एस० के अफसर भविष्य में जिलाधीश न नियुक्त किये जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मुझे याद पड़ता है ऐसा तो कोई आदेश नहीं है और जरूरत पड़ती रहेगी कि जिलाधीश के ओहदे पर पी० सी० एस० के आदमी काम करें।

रबी की फसल की क्षति-पूर्ति के लिये आजमगढ़ जिले को सहायता

*२५---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की प्रत्येक तहसील में रबी १३६४ फसली के सरकारी लगान में कितने की छूट दी गई है ?

श्री चरणसिंह---रबी १३६४ फसली की मालगुजारी में छूट के सम्बन्ध में जिलाधीश के अंतिम प्रस्ताव अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुए हैं। उन प्रस्तावों के प्राप्त होने पर कायदे के अनुसार छूट दी जायगी।

*२६---श्री विश्रामराय (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में गत मई और जून के महीने में कितनी तकावी और मुफ्त सहायता प्रत्येक तहसील में दी गई है ?

श्री चरण सिंह---अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में दिखा दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८३१ पर)

जिला नियोजन समितियों का संगठन

*२७--राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला नियोजन समितियों का संगठन किस आधार पर किया जाता है और उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये जिला स्तरीय विभिन्न विभागाध्यक्षों में समन्वय करने तथा गैर सरकारी व्यक्तियों का सहयोग तथा सुझाव प्राप्त करने के हेतु जिला स्तर पर नियोजन समितियां स्थापित की गई हैं। इन समितियों का निर्माण जिस सरकारी आदेश के अनुसार होता है उसकी एक प्रति सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है। इन समितियों का कार्यकाल ३ वर्ष निर्धारित किया गया है जो १५ नवम्बर, १९५८ को समाप्त होगा।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८३२-८३५ पर)

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---यह जो कार्यकाल सरकार ने तय किया है यह सन् ५५ से तय किया है या उसके पहले से यह तीन वर्ष का कार्यकाल तय किया था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जहाँ तक मेरा खयाल है यह पहले से हुआ है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---यह जो गैर सरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति होती है उसके लिये क्या आधार सरकार ने रखा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जिस पक्ष को देखते हैं कि उस विचारधारा की या उस किस्म की सलाह देने वालों की कमी है तो उसके प्रतिनिधि नामीनेट करके रख लिये जाते हैं।

श्री रामजी साहय (जिला देवरिया)---नियोजन समिति के स्थान पर क्या सरकार आयोजन समिति नाम देने पर विचार करेगी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अभी तो इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जिस विचारधारा की कमी रहती है उसकी नियुक्ति की जाती है। तो नियोजन समिति क्या विचारधारा के आधार पर होती है कि जिससे वहां विचारों का संघर्ष होने लगे या प्लानिंग को सफल करने की दृष्टि से प्लानिंग कमेटी की नियुक्ति की जाती है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---विचारधारा से उन्होंने शायद राजनीतिक विचारधारा का मतलब लगा लिया। मेरा यह तात्पर्य नहीं था। मेरा मतलब था कि जैसे महिलायें हैं, उनकी विचारधारा की यदि समिति में आवश्यकता होती है तो उनके प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर ली जाती है। कोआपरेटिव की विचारधारा अगर नहीं आई तो, जो कोआपरेटिव के विशेषज्ञ हैं, उनकी नियुक्ति कर ली जाती है, या पर्यटन के विषय में यदि आवश्यकता है तो उसकी उचित सलाह देने वाले को ले लिया जाता है। तो उससे मेरा यह मंतव्य था।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि नियोजन समितियों का संगठन भिन्न-भिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न प्रकार से है, तो क्या यह संगठन किसी निश्चित योजना के अन्तर्गत नहीं है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---मेरे खयाल में तो यहां अगर आप एक जी० ओ० की उसके सम्बन्ध की कापी ले लें और उसको पढ़ लें तो आपको स्पष्ट हो जायगा और प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---प्रश्न करने के पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने विचारधारा की परिभाषा करते हुये महिलाओं को भी जोड़ा है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि किस भाषा से और किस विचारधारा से उन्होंने महिलाओं को जोड़ा है और कौन सा उनका स्तर रखा है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो भाषा के ऊपर बहस होने लगी । उनके कहने का मतलब आप समझ भी गये होंगे । वह चाहते हैं कि कोई फंक्शनल समस्या स्त्रियों की हो या उनका जो फंक्शन हो उसको वह पूरा करेगी । अब विचारधारा का जो शब्द है, मैं समझता हूं, वह जो प्रयोग में लाये, वह इसी उद्देश्य से लाये, लेकिन मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं था । उसका स्पष्टीकरण उन्होंने दे दिया कि उनका उद्देश्य क्या था ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---क्या सरकार यह बतलायेगी कि यह जो नियम यहां रखा गया है उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व करने के लिये एक रूल बना हुआ है फिर भी विचारधारा के प्रश्न में कैसे उनका प्रतिनिधित्व आ जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---आमतौर पर एम०एल०ए० लेडी उसकी पदेन सदस्य होती हैं । यदि कोई लेडी न हो प्लानिंग कमेटी में तो गवर्नमेंट लेडी को ही नामिनेट करती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार जिला नियोजन समितियों के संगठन को विधिवत् करने के लिये कोई ऐक्ट लाने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, मुझे याद पड़ता है कि सामान्य प्रशासन के बजट के सिलसिले में मैंने जिक्र किया था कि नियोजन समितियों के सम्बन्ध में विचार हो रहा है । मैंने यह कहा था कि सोचा जा रहा है कि किस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से उनका सामन्जस्य किया जाय । इस वक्त इस प्रश्न का उत्तर ब्यौरेवार देना असम्भव है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय मुख्य मंत्री ने जो बतलाया तो यह विचार प्लानिंग कमीशन का है या राज्य सरकार का है या किसी विभाग से यह सम्बन्धित है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह विचार राज्य सरकार का है ।

*२८-२९---राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे---[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३०---कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*३१-३२---श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३३-३५---श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६-३७---श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)---[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३८---श्री मोहनलाल वर्मा---[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

झांसी में बनने वाले स्पोर्ट्स स्टेडियम की जमीन

*३९—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम बनने वाला है उसके लिये कौन-सा स्थान निश्चित हुआ है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—स्टेडियम के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं हो पाया है। मामला अभी विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी इस स्टेडियम को, जब यह बने, उस मैदान में बनाने की कृपा करेंगे जिसमें अभी सरकार की ओर से रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित की गयी है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, यह मैदान पी० डब्ल्यू० डी० का है और पी० डब्ल्यू० डी० २०, २५ एकड़ जमीन इस मैदान में देने के लिये रजामन्द हो गया है।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—क्या सरकार बतायेगी कि इस स्टेडियम पर सरकार कितना धन व्यय कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—डेढ़ या एक लाख है, जिसमें से ५०,००० रुपया वहां की जनता और ५० हजार सरकार देगी, ऐसी कुछ बात है।

शाहगंज, जिला जौनपुर में चकबंदी के सम्बन्ध में टिकटों से आय

*४०—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहगंज, जिला जौनपुर की चकबन्दी में सरकार को टिकट से कुल कितनी आदमनी हुई ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—तहसील शाहगंज, जिला जौनपुर की चकबन्दी में सरकार को टिकट से कुल २२,४४३ रुपये की आमदनी हुई।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया था कि चकबन्दी के मुकदमों में दरख्वास्तों पर टिकट नहीं लगाया जायगा ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—सरकार का आश्वासन केवल यह था कि चाहे उसमें किसी स्टेज पर दरख्वास्त दी जावे, टिकट नहीं लगेगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—किस तरह की दरख्वास्तें चकबन्दी में पड़ेंगी जिन पर टिकट नहीं लगाया जायगा ?

श्री चरणसिंह—दरख्वास्त ही नहीं और बहुत से कागजात पर भी सरकार किसानों से कोर्टफीस लेने का विचार नहीं रखती है और इस बारे में जल्दी आदेश जारी होने वाले हैं।

कमिश्नरियों को तोड़ने के सम्बन्ध में जानकारी

*४१—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय कमिश्नरियों को तोड़ने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अभी ऐसा कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*४२-४३—श्री मुक्तिनाथ राय—[१३ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या १६-१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४४—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

मंत्री, उपमंत्री व सभा सचिव के दौरे की सूचना विधायकों को देने की प्रार्थना

*४५—श्री मोहन लाल वर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिले में Ministers, Deputy Ministers, Parliamentary Secretaries के दौरे के प्रोग्राम की सूचना उस जिले के विधान सभा के सभी सदस्यों को दी जाती है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे कि भविष्य में सदस्यों को सूचना दे दी जाया करे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हम को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ अन्दाज हुआ कि बहुत से माननीय सदस्य इस बात को पसन्द नहीं करते।

श्री मोहनलाल वर्मा—क्या यह सही है इन दौरों की सूचना जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालयों में जाया करती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आम तौर से यह होता है कि जब मंत्री कहीं जाते हैं तो जिला मैजिस्ट्रेट और जिला कांग्रेस कमेटी दोनों की राय से प्रोग्राम बनता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या यह बात सही है कि अब भी कुछ जिलों में मंत्रियों के दौरों की सूचना विधान सभा के सदस्यों को मिल जाया करती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मुझे इसकी ठीक इत्तला नहीं है।

गोंडा जिले में मनकापुर विकास क्षेत्र के कार्यालय की जमीन

*४६—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनकापुर (गोंडा) विकास क्षेत्र का कार्यालय किसी दूसरे की जमीन पर बिना उसकी अनुमति के बनाया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मनकापुर विकास क्षेत्र का कार्यालय किसी दूसरे की जमीन पर नहीं बनाया जा रहा है।

*४७—श्री बलदेवसिंह (अनुपस्थित)—यदि ऐसा है, तो इस कार्य को करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

*४८—श्री गेंदासिंह (अनुपस्थित)—[५ सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न ३९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४९-५०—श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

*५१—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया।]

रोडवेज की बसों में पंखे और रेडियो लगाने की मांग

*५२—श्री रणबहादुर सिंह—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि Roadways की बसों में पंखे और रेडियो लगाने का विचार सरकार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, राजकीय सवारी गाड़ियों में पंखे तथा रेडियो लगाने का अभी तक कोई विचार नहीं है।

टनकपुर के निकट गेंडाखाली माइनर के निर्माण पर व्यय

*५३—श्री प्रतापसिंह—क्या गेंडाखाली टनकपुर में कैनाल विभाग की ओर से पिछले वर्षों में कोई नहर बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसमें कितना रुपया लगा ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां । राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना के अन्तर्गत टनकपुर के करीब गेंडाखाली माइनर बनाई गई है । इसके बनने में ८१,९०६ रुपया व्यय हुआ ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि यह माइनर कब बनाई गई थी ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बन चुकी है, ठीक तारीख नहीं बता सकता हूं ।

श्री प्रतापसिंह—इस माइनर से कितने किसानों को सिंचाई से लाभ हो रहा है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—तादाद तो नहीं है मगर २८६ एकड़ में यह सींचती है ।

खेती की जमीन का मुआवजा बाजार-दाम पर देने की मांग

*५४—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि कोई योजना उसके विचाराधीन है, जिससे नहरों एवं नलकूपों में ली जाने वाली जमीन के मुआवजे की जो रकमें खेतिहरों को दी जारही हैं उस में बढ़ती की जाय और वह जमीन के बाजार-दाम के अनुसार हो ?

श्री परमात्मानन्दसिंह—जी नहीं, मुआवजे की रकम जमीन के बाजार दाम पर ही निर्धारित होती है ।

*५५—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५६—श्री मोहनलाल वर्मा—[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किया गया ।]

यातायात उद्योग के राष्ट्रीयकरण की सरकारी नीति के सम्बन्ध में यू० पी० मोटर आपरेटर्स यूनियन का आवेदन-पत्र

*५७—श्री हरिदत्त काण्डपाल (जिला अल्मोड़ा)—U.P. Motor Operators Union ने पिछले दिनों मुख्य मंत्री के नाम एक आवेदन-पत्र भेजा था जिस में मोटर यातायात उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में निश्चित नीति घोषित करने की मांग की गई थी । क्या मुख्य मंत्री महोदय ने उक्त आवेदन-पत्र का जवाब दे दिया है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां । यातायात उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार ने कई बार विधान सभा में अपनी नीति प्रकट की है । सरकार की यह नीति है कि धीरे-धीरे यातायात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाय । इस नीति के अन्तर्गत कार्य हो रहा है और प्रतिवर्ष इस दिशा में प्रगति हो रही है । ऐसी परिस्थिति में पत्र का उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*५८—श्री हरिदत्त काण्डपाल—यदि हां, तो क्या उक्त उत्तर सदन की मेज पर रक्खा जायगा ।

डाक्टर सीताराम—प्रश्न नहीं उठता ।

*५९—श्री हरिदत्त काण्डपाल—यदि नहीं, तो सरकार क्या इस सम्बन्ध में पूर्ण राष्ट्रीयकरण राज्य भर में शीघ्र किये जाने की घोषणा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर सीताराम---पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने में तो समय लगेगा ।

श्री हरिदत्त काण्डपाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यातायात के राष्ट्रीयकरण की नीति के अन्तर्गत मैनेजमेंट और पार्टनरशिप की दृष्टि से प्राइवेट सेक्टर के लिये क्या गुंजाइश है ?

डाक्टर सीताराम---इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन ऐसा सम्भव नहीं मालूम पड़ता है ।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या प्रदेश में कुछ ऐसे भी रूट्स हैं जिन पर प्राइवेट और रोडवेज दोनों की बसें चल रही हैं ?

डाक्टर सीताराम---हां, कुछ हैं लेकिन बहुत थोड़ी संख्या में ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने पूर्ण राष्ट्रीयकरण की कोई तिथि निश्चित की है ?

डाक्टर सीताराम---इसके लिये निश्चित समय नहीं कहा जा सकता है । ज्यों-ज्यों सरकार के पास रुपये अधिक संख्या में होते जावेंगे त्यों-त्यों इसे हम आगे बढ़ाते जावेंगे ।

श्री प्रतापसिंह---क्या यह सही है कि कुछ नोटीफ़ाइड रूट्स पर अब भी प्राइवेट कैरियर्स चल रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या कठिनाइयां मंत्री जी को इसका राष्ट्रीयकरण करने में आ रही हैं ?

डाक्टर सीताराम---अभी इस सूबे में बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनेंगी । ज्यों-ज्यों सड़कें बनती जावेंगी त्यों-त्यों रूट्स ले लिये जावेंगे । दूसरी बात यह है कि जिन प्राइवेट आपरेटर्स को डिसप्लेस किया जायगा उनको परमिट के अनुसार या तो दूसरा रूट दिया जायगा या अगर रूट नहीं मिलता है तो जब तक उनका परमिट वैलिड है तब तक ७५ रुपये माहवार के हिसाब से उनको रुपये देने होंगे । धीरे-धीरे राष्ट्रीयकरण की योजना अपनाई जा रही है ।

श्री नेकराम शर्मा---जहां सड़कें बनकर तैयार होगई हैं और प्राइवेट कैरियर चल रहे हैं उनका राष्ट्रीयकरण जल्दी कर दिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम---उसके लिये नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद कुछ देर लगती है और काम तो होता ही रहता है ।

श्री जगदीश प्रसाद---जिन सड़कों को रोडवेज ने ले लिया है उनमें से थोड़ी को ही आज्ञा देने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीता राम---जो रूट्स ले लिये जाते हैं उनमें प्राइवेट आपरेटर्स को देने की आवश्यकता नहीं होती है ।

श्री झारखंडे राय---औसतन कुल कितने मील सड़कों पर प्राइवेट मोटरें अब भी चलती हैं ?

डाक्टर सीताराम---११,७२५ मील पक्की सड़कों पर बसेज चलती हैं, इस में से ६,४१२ मील सड़कों पर यातायात विभाग की बसेज चलती हैं बाकी पर प्राइवेट बसेज चलती हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी द्वितीय पंचवर्षीय योजना-काल में राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखते हैं ?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि प्राइवेट मोटर ओनर्स की जितनी बसेज और लारियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण के पश्चात् क्या किया जायगा ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अंशतः उत्तर तो आप दे ही चुके हैं । लारियों के बारे में अगर आपको मालूम हो तो बता दीजिये ।

श्री चरण सिंह---अगर वह गाड़ी सर्विसेबिल हैं और गवर्नमेंट को उसकी जरूरत है तो वह उसको खरीद सकती है वरना पुराना मालिक ही उसका मालिक रहेगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार का विचार है कि राष्ट्रीयकरण ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन के द्वारा हो ?

डाक्टर सीताराम---ऐसा कोई विचार नहीं है ।

*६०-६१---श्री रामसूरतप्रसाद---[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

यू० पी० सिविल सर्विस, एक्जीक्युटिव ब्रान्च के लिये रिक्रूटमेन्ट

*६२---श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन विशेष परिस्थितियों में इस वर्ष पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा यू० पी० सी० एस० (एक्जीक्युटिव ब्रांच) का इमरजेन्सी रिक्रूटमेंट किया जा रहा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वर्ष यू० पी० सिविल सर्विस (एक्जीक्युटिव ब्रांच) में इमरजेन्सी रिक्रूटमेंट उस विशेष परिस्थिति का मुकाबला करने के लिये किया जा रहा है जो कि बहुत से पी० सी० एस० आफिसरों के आई० ए० एस० में चुने जाने के फलस्वरूप पैदा होने वाली हैं ।

बुलन्दशहर जिले में ओला-पीड़ितों को सहायता

*६३---श्री रामचन्द्रविकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि तहसील-सिकन्दराबाद व तहसील बुलन्दशहर-जिला बुलन्दशहर में मार्च सन् १९५७ में गिरे ओलों से किस किस गांव में कितनी-कितनी क्षति हुई और सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता दी जा रही है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह---मार्च, १९५७ में ओले से तहसील सिकंदराबाद तथा तहसील सदर जिला बुलन्दशहर में जिन गांवों में ८ आने या उससे अधिक क्षति हुई उनकी तथा पीड़ितों की सहायता के लिये सरकार ने जो धन स्वीकृत किया है उसका विवरण एक सूची में संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८३६-८३८ पर)

सरकारी कर्मचारियों की सम्पत्ति

*६४---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों की सम्पत्ति जो उन्होंने नौकर होने के बाद पैदा की है जंचवाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस की आवश्यकता नहीं मालूम होती है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली के अनुसार हर एक सरकारी कर्मचारी अपनी प्रथम नियुक्ति के समय और तदुपरान्त हर पांच वर्ष की अवधि बीतने पर अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी को ऐसी सभी अचल संपत्ति की घोषणा करता है जिसका वह स्वयं स्वामी हो, जिसे उसने खुद अर्जित किया हो या जिसे उसने दाय के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टे या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों की या अन्य लगी हुयी पूंजियों की घोषणा करता है, जिन्हें वह समय-समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति हिस्सों और अन्य लगी हुई पूंजियों के पूरे ब्योरे दिये जाते हैं। यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं करता है तो वह सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली का उल्लंघन करता है और सजा पाने का भागी होता है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी हैं जो इस प्रकार संपत्ति की जांच न करवाने के अभियोग में सजायाफ्ता हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार बतायेगी कि अभी तक कितने कर्मचारियों ने इस नियम के अनुसार अपनी अचल संपत्ति की घोषणा की है ?

श्री अध्यक्ष---यह तो श्री रामचन्द्र विकल के प्रश्द का उल्टा हो गया। वह कहते हैं कि कितनों ने घोषणा नहीं की और आप कहते हैं कि कितनों ने की।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मुख्य मंत्री जी ने यह कहा कि जिनको पांच साल हो जाते हैं उनको अपनी अचल संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है, यह नियम है। मैंने पूछा है कि क्या इस नियम के अनुसार कुछ अधिकारियों ने घोषणा की है या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरा विश्वास है कि जरूर की होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो नियम सरकारी कर्मचारियों द्वारा संपत्ति की घोषणा करने के हैं वह किस तारीख से लागू होंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---नियम तो बहुत काफी समय से हैं लेकिन तारीख के लिये तो सूचना की जरूरत पड़ेगी।

मई और जून, १९५७ में मंत्रिमंडल के सदस्यों पर व्यय

*६५---श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मई और जून सन् १९५७ में मन्त्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य ने वेतन और भत्ते के रूप में सरकार से कितना धन प्राप्त किया है और इन्हीं दोनों महीनों में मन्त्रिमंडल पर राज्य कोष से कितना व्यय हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मई और जून सन् १९५७ में मन्त्रिमन्डल के ९ सदस्यों में से प्रत्येक ने वेतन के रूप में २,४०० रु० लिया। इनको भत्ते के रूप में कोई रुपया नहीं दिया जाता है।

प्रश्न का उत्तरार्द्ध स्पष्ट नहीं है। यदि सफर खर्च और मकानों का किराया जानना अभीष्ट हो तो इन मदों में क्रमात् १०,२५७ रुपये ८१ नये पैसे और १,८१५ रुपये खर्च हुये।

*६६---श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)---[३० सितम्बर, १९५७ के लिये प्रश्न संख्या ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६७-६८--श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

मिर्जापुर जिले में दैवी आपत्तियों से क्षति

*६९--श्री अमरेशचन्द्र पांडेय--क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले की चारों तहसीलों में बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और ओले से अकाल संकट उत्पन्न हो गया है ?

श्री परमात्मानन्द सिंह--मिर्जापुर जिले के कुछ भागों में बाढ़, ओला तथा पछुवा हवा आदि से फसल को क्षति अवश्य पहुंची थी, परन्तु यह सही नहीं है कि इनके कारण जिले में अकाल स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

*७०-७१--श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)--[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

शाहपुर-बढ़नी सड़क पर बस सर्विस की मांग

*७२--श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर राप्ती, तहसील डुमरियागंज में कोई बस सर्विस नहीं है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां ।

*७३--श्री रामलखन मिश्र--क्या सरकार शाहपुर से बढ़नी तक बस चलाने पर विचार करेगी ?

डाक्टर सीताराम--शाहपुर से बढ़नी तक बस चलाने में कई दिक्कतें हैं। राप्ती नदी और बुड्ढी राप्ती पर अच्छे पुल नहीं हैं । सड़क भी काफी खराब है । इस वजह से वहां बसें चलाना सम्भव नहीं है ।

*७४-७६--श्री रामस्वरूप वर्मा--[१२ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

*७७-७८--श्री रामसुन्दर पांडेय--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये ।]

नाजायज शराब बनाने वालों पर जुर्माना

*७९--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५५-५६ में कितने केसेज शराब बनाने के पकड़े गये तथा उन शराब बनाने वाले व्यक्तियों पर कितना जुर्माना किया गया ?

डाक्टर सीताराम--सन् १९५५-५६ में प्रदेश में शराब बनाने के ३,६४४ केसेज (cases) पकड़े गये और उन शराब बनाने वाले व्यक्तियों पर १,१७,८६६ रुपया जुर्माना किया गया ।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शराब बनाने वालों पर इतना कम जुर्माना २०-२५ रु० क्यों किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह अदालतों से पूछने की बात है ।

श्री त्रिलोकीसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सरकार की नीति प्राहीबिशन की है तो शराब बनाने वालों को सख्त सजा देने का कानून न बनाने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम--प्राहीबिशन की नीति को तो धीरे-धीरे सरकार कार्य रूप में परिणत करती ही जा रही है लेकिन जहां तक यू० पी० एक्साइज ऐक्ट का प्रश्न है, उक्त ऐक्ट की धारा ६० के अन्तर्गत उनपर जुर्माना किया जाता है और उनको सजा दी जाती है।

श्री मोहनलाल वर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन केसेज में कितने ऐसे हैं जो ड्राई एरिया के हैं और कितने नानड्राई एरिया के हैं?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार का विचार एक्साइज ऐक्ट की धारा ६० को संशोधित करने का है ताकि वह सजा और सख्त हो सके?

डाक्टर सीताराम--अभी तो कोई विचार नहीं है।

सीतापुर जिले से प्राप्त मालगुजारी

*८०--डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि जिला सीतापुर से सरकार को कितनी मालगुजारी सन् १९५१-५२ में प्राप्त थी और इस वर्ष यह आमदनी कितनी है?

श्री चरणसिंह--जिला सीतापुर में सन् १९५१-५२ में मालगुजारी की प्राप्ति १७,७८,३०९ रु० ११ आ० ३ पाई थी और इस वर्ष (१३६४ फसली) ३१ जुलाई, १९५७ तक ६१,९३,१४२ रु० की प्राप्ति हुई।

मथुरा जिलान्तर्गत गोवर्धन प्रसार सेवा क्षेत्र में कार्य

*८१--श्री रामहेतसिंह--क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में गोवर्धन प्रसार सेवाक्षेत्र के अन्तर्गत छाता तहसील के जो गांव हैं उनमें किस-किस गांव में क्या-क्या कार्य हुआ तथा अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना संलग्न सूची 'क' 'ख' और 'ग' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८३९-८४४ पर।)

नियोजन विभाग, मथुरा को दिये गये अनुदान का व्यय

*८२--श्री रामहेतसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नियोजन विभाग, मथुरा को १९५६-५७ में किस-किस मद में कितनी-कितनी धनराशि दी गई तथा किस मद में खर्च करने से अभी शेष रह गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नियोजन विभाग द्वारा सन् १९५६-५७ में मथुरा जिले के लिये, किस-किस मद में, कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया--इसका ब्योरा विवरण १ व २ में, जो माननीय सदस्य की मेज पर रख दिए गये हैं, प्रस्तुत है।

विवरण १ विकास-खण्डों के सम्बन्ध में स्वीकृत धनराशि के प्रसंग में है तथा विवरण २ नियोजन विभाग के अन्य कार्यों से सम्बन्ध है।

विवरण १ में अंकित मदों में से "आवर्तक एवं अनावर्तक प्रासंगिक व्यय" तथा "ऋण" की मदों के अतिरिक्त अन्य सभी मदों के प्राविधान सम्पूर्ण रूप से खर्च नहीं किये गये। इसी प्रकार विवरण २ में "कृषि इंजीनियरिंग" के अन्तर्गत महंगाई के मद में तथा "पी--ऋण"

नोट :--प्रश्न संख्या ७९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ।

के अन्तर्गत परशियन ट्रवील्स की मद में तो प्राविधानों का उपयोग सम्पूर्ण रूप से हो गया, किन्तु अन्य मदों के प्राविधान सम्पूर्णतः खर्च नहीं हो सके।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ८४५–८४६ पर)

गंगा नदी के कटाव से बलिया जिले की जमीन का बिहार में मिल जाना

*८३—श्री रामलक्षण (जिला बलिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले बन्दोवस्त से अब तक बलिया जिले के कितने गांव और कितनी जमीन गंगा के कटाव में इस प्रदेश से बिहार में कट कर चली गई है ?

श्री चरणसिंह—१२९०–९१ के बन्दोवस्त के बाद से अब तक ५७ गांव जिनका क्षेत्रफल १७,३१८.५४ एकड़ है, गंगानदी के कटाव के कारण इस प्रदेश से बिहार में चले गये हैं।

*८४—श्री रामलक्षण—क्या सरकार ऐसे लोगों को जो गंगा के कटाव से बिना भूमि के बेघरबार हो गये हैं तथा जिनके पास जीविका के कोई साधन नहीं रह गये हैं, जांच करा कर उन्हें सहायता देने को तैयार है ?

श्री चरणसिंह—ऐसे लोगों को निम्न प्रकार की सहायता दी जा रही है—

(१) जमींदारी विनाश नियमावली के नियम २०५ (क) के अनुसार कटी हुई जमीन की मालगुजारी कम कर दी जाती है।

(२) भूमिहीन व्यक्तियों को गांव समाज भूमि देने में प्राथमिकता देता है।

(३) बाढ़ पीड़ितों को घर बनाने के लिये जमीन देने की कोशिश की जाती है।

(४) कटाव के समय बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने के लिए यथोचित सहायता दी जाती है।

मुरादाबाद जिले की कथित विकास परिषद् बिलारी

*८५—श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास परिषद् बिलारी, जिला मुरादाबाद को किस-किस विकास कार्य के लिये कितना-कितना धन गत तीन वित्तीय वर्षों में दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिला मुरादाबाद में विकास परिषद् बिलारी नामक कोई समिति नहीं है। अतएव उक्त परिषद् को विभिन्न विकास कार्यार्थ गत ३ वर्षों में धन दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अंग्रेजों से मुआफी में पाई जमीन की मालगुजारी लेने का आदेश

*८६—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—क्या यह सही है कि इस प्रदेश में कुछ जमींदार जिनको अंग्रेजों के शासन काल में कुछ भूमि माफी के तौर पर दी गई थी आज भी उस भूमि के मालिक हैं और उसकी वे अब भी मालगुजारी सरकार को नहीं देते हैं ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या तथा ऐसी भूमि का रकबा क्या है ?

श्री चरणसिंह—जी हां, उन क्षेत्रों में जहां जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम १९५० लागू नहीं है ५३,२६८ व्यक्ति १,४९,२३७ एकड़ भूमि की मालगुजारी नहीं देते हैं। जहां वह अधिनियम लागू है वहां ६,८९० भूतपूर्व मध्यवर्ती १०,७०८ एकड़ भूमि की मालगुजारी नहीं देते हैं। गलती से इन पर मालगुजारी निर्धारित नहीं की गई थी। अब मालगुजारी लगाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

*८७-८९--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ५ सितम्बर, १९५७ के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

मुरादाबाद जिले में नलकूप बनाने के लिये तकावी

१--श्री महीलाल--क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में वित्तीय वर्ष १९५४ से १९५७ तक कितनी-कितनी तकावी नलकूप बनाने के निमित्त दी गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--नलकूप बनाने के निमित्त निम्नांकित तकावी दी गई :--

१९५४-५५ में	..	..	..	२,११,००० रु०
१९५५-५६ में	..	..	..	८०,००० रु०
१९५६-५७ में	..	..	..	८०,००० रु०

२--श्री महीलाल--क्या मालमंत्री बतायेंगे कि उक्त कितने नलकूप बनवा लिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उनमें से ४४ नलकूप अब तक बन चुके हैं।

हरदोई जिले में नदियों के कटाव में आई भूमि

३--श्री चन्द्रहास मिश्र (जिला हरदोई)-- क्या सरकार कृपा कर हरदोई जिले के परगना सांडी-बिलग्राम कछन्दऊ व कटियारी के उन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जो कि १९५५-५७ में नदियों द्वारा कट गये हैं अथवा जिनकी अधिकांश खेती लायक जमीन कट चुकी है ?

श्री चरणसिंह--सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ८४७-८४८ पर)

कार्यक्रम एवं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन व एश्योरेंसेज कमेटियों के चुनाव के संबंध में जानकारी की प्रार्थना

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--श्रीमन्, एक तो यह कि जो कार्यक्रम है, बिल किस आर्डर में लिये जायेंगे, इस सम्बन्ध में मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं और दूसरा यह कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी और एश्योरेंसेज कमेटी के चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है जब कि नियम में उसका प्राविधान है। तो मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी और एश्योरेंसेज कमेटी के चुनाव के सम्बन्ध में भी कुछ निश्चय किया जाय।

श्री अध्यक्ष--आपने जो पहला प्रश्न पूछा कि किस आर्डर में विधेयक लिये जायंगे, इस विषय में २२ अगस्त को एक पत्र सबके पास पहुंच गया है, उसमें वह आर्डर दिया हुआ है, उसमें १२ विधेयक हैं जिनका क्रम दिया हुआ है। उसी के हिसाब से यह क्रम रखा गया है। कमेटियों के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा, वह चीज अभी मेरे विचाराधीन है, मैं उन्हें अब जल्द बनवा दूंगा, वह कार्य इस वजह से अभी रोक रखा था कि सदन की जो स्टैंडिंग कमेटी है, कुछ सदस्य उनमें नियुक्त हो जाते हैं, कुछ दूसरी समितियों में, तो दो तीन कमेटियों में एक व्यक्ति न हो जाय, इसलिये अभी मैंने उसे रोक रखा था। अब चूंकि वह भी चुनी जाने वाली है उसका भी फैसला साथ ही साथ हो जायगा।

कार्य परामर्श समिति द्वारा कतिपय विधेयकों के लिये समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—मैं सूचना देना चाहता हूं कि आज दिनांक २९ अगस्त, १९५७ को कार्य परामर्श समिति द्वारा जो विधेयकों के लिये समय निर्धारित हुआ है वह इस प्रकार है :

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९५७ जैसा कि विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है उसके तीनों पठनों के विचार के लिये २९ अगस्त को १/१५ तक का समय और उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों तथा सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७ के तीनों पठनों के विचार के लिये आज २९ अगस्त को दिन के २/१५ से कल ३० अगस्त को सदन के उठने तक का समय रहेगा, मतलब इसका यह है कि इसका समय ५ बजे तक तो साधारण तौर से रहेगा ही, लेकिन माननीय सदस्य कभी-कभी समय बढ़वा लेते हैं इसलिये उठने तक का समय रख दिया गया है और अगर आवश्यकता होगी तो घंटा आधा घंटा बढ़ा दिया जायगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट एन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७ पर तीनों पठनों पर विचार २ सितम्बर को ४ बजे तक होगा।

श्री शिवप्रसाद (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य परामर्श समिति द्वारा समय निर्धारण से सहमत है जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों तथा सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७ और उत्तर प्रदेश एन्टरटेनमेंट एन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७ के लिये प्रख्यापित किया गया है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य परामर्श समिति द्वारा समय निर्धारण से सहमत है। जो उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों तथा सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७ और उत्तर प्रदेश एण्टरटेनमेंट एन्ड बेटिंग टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५७ के लिये प्रख्यापित किया गया है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९५७

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द) अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

यह एक बहुत छोटा सा विधेयक है.....

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं। इस सदन में श्रीमन् की रूलिंग हो चुकी है कि मिनिस्टर आफ स्टेट कौंसिल आफ मिनिस्टर्स में शामिल हैं जैसा कि संविधान में लिखा हुआ है। उस फैसले के बाद मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विधेयक पर विचार करने की कोई आवश्यकता न होने की व्यवस्था दी जाय।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—वह व्यवस्था तो श्रीमन्, आप देंगे । यों साधारण तौर से मैं भी ऐसा समझता हूं कि मिनिस्टर आफ स्टेट भी मिनिस्टर है और जो कुछ भी लागू है वह मिनिस्टर और मिनिस्टर आफ स्टेट के लिये लागू है। लेकिन ऐसा ही केन्द्र में हुआ था कि कभी किसी के मन में शंका पैदा हो सकती है और आगे चल कर एलेक्शन या किसी वक्त दिक्कत हो सकती है। उस शंका का पूर्णरूप से मूलोच्छेद हो जाय इसलिये स्पष्ट करने के लिये ऐसा किया गया है । 'अधिकस्याधिकम् फलम्' वाली बात है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—(जिला नैनीताल)—श्रीमन्, वास्तव में बात यह है कि इस सदन में एक रूलिंग आपने बिलकुल स्पष्ट दी है ।

श्री अध्यक्ष—वह तो मैं कहूंगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—असंगत जो है वह बता रहा हूं । मेरा दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर है । मैं उसका भाष्य कर रहा हूं । क्या कोई ऐसा विधेयक इस सदन में लाया जा सकता है जो स्पीकर महोदय की रूलिंग के विरुद्ध हो ? इस तरह से प्वाइंट आफ आर्डर दूसरा मैं रख रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैंने अपना निर्णय देते हुये स्पष्ट कहा था कि मेरा मत है कि मिनिस्टर आफ स्टेट मिनिस्टरों में आ जाते हैं। लेकिन मैंने उसके साथ-साथ यह भी कहा था कि कानूनी शंकाएं तो उठ सकती हैं। दो मत हो सकते हैं। हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अगर कभी इस बात का फैसला दे दे कि जो भारतीय संविधान है उसके हिसाब से मिनिस्टर आफ स्टेट मिनिस्टर की व्याख्या में नहीं आता यदि ऐसा फैसला होने की संभावना है तो शंका के लिये बराबर स्थान रहता है। उस दिन प्रश्न सिर्फ इस बात का था कि इस आदरणीय सदन के लिये और इसके कार्य के लिये मिनिस्टर आफ स्टेट को मिनिस्टर समझना चाहिये या नहीं, उसके लिये मेरी रूलिंग लागू होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई फैसला इसके विरुद्ध दे तो उनको मेरे फैसले के विरुद्ध फैसला देने का पूर्ण अधिकार है। अगर कानूनी प्वाइंटों के सम्बन्ध में कोई शंका उठती है यह सम्भव है कि कभी कोर्ट का फैसला मेरे निर्णय के विरुद्ध हो जाय तो मिनिस्टर आफ स्टेट खतरे में पड़ जावेंगे, और ऐसा न हो इस कारण कोई विधेयक यहां पर उपस्थित होता है तो उसके उपस्थित करने का अधिकार सरकार को है । अब यह सदन का अधिकार है कि उसको स्वीकार न करे, नामंजूर कर दें, लेकिन विधेयक उपस्थित करने का सरकार को अधिकार है और उस पर विचार करने का सदन को अधिकार है और उसको पारित करने का भी अधिकार है मैंने सदन के अधिकार को कभी अपनी रूलिंग से बांधा नहीं था। मेरा मतलब यह था कि यहाँ की कार्यवाही के लिये मिनिस्टर आफ स्टेट मिनिस्टर समझा जायगा। लेकिन अनर्हता निवारण वहीं तक सीमित नहीं रहता बल्कि अदालती मामला भी हो जाता है। उसके द्वारा एक मिनिस्टर आफ स्टेट को मेम्बरी से हटाया जा सकता है। उस खतरे की वजह से यह विधेयक लाया गया है। मैं समझता हूं कि यह उस रूलिंग के विरुद्ध नहीं जाता है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि बहुत छोटा सा विधेयक मुश्किल से तीन चार पंक्ति का है। इसका आशय इस व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में ही आ गया। यद्यपि मिनिस्टर आफ स्टेट भी हम लोगों की दृष्टि से, खास तौर से आपकी आज्ञा के बाद, मिनिस्टर है फिर भी शायद कभी किसी के मन में कोई शंका पैदा हो जाय और कानूनी अड़चन पैदा हो जाय। उसको दूर करने के लिये विधेयक रखा गया है और मैं ऐसी आशा करता हूं कि यह सदन इसको स्वीकार करेगा ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, वैसे तो यह विधेयक एक शाब्दिक और फार्मल तरीके का मालूम पड़ता है और सामान्यतया इस सम्बन्ध में कोई विशेष विरोध की भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस पृष्ठभूमि में यह विधेयक लाया गया है वह आपत्तिजनक है। वह पृष्ठभूमि यह है कि पहले इस राज्य में कोई मिनिस्टर आफ स्टेट नहीं थे। पहली बार तारीख ९ अप्रैल, १९५७ को इस सरकार ने या माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह निश्चय किया कि मिनिस्टर आफ स्टेट बनाये जाने चाहिये। तो मेरी मुख्य आपत्ति तो यह है कि इस प्रकार एक विधेयक में मिनिस्टर आफ स्टेट का प्राविधान करके एक न्यू कैटेगरी आफ मिनिस्टर हम अपने राज्य में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं और उनको स्थायित्व प्रदान करने जा रहे हैं। मैं इस समय उस सारे विस्तृत विवरण में तो जाना नहीं चाहता कि कैबिनेट किसे कहते हैं, कैबिनेट की कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी, सामूहिक उत्तरादायित्व, का अर्थ क्या है और कैबिनेट की परिभाषा के अन्दर डिप्टी मिनिस्टर, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी और मिनिस्टर आफ स्टेट आते हैं या नहीं आते हैं। मेरा विचार तो यह है कि कैबिनेट जो है वह एक तो छोटी अवश्य होनी चाहिये और उसकी कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी होती है यह तो खैर सर्वमान्य है। सभी राजनीतिक भाष्यकार इससे पूर्णतया प्रभावित हैं और मानते हैं। तो कैबिनेट छोटी होनी चाहिये। यह सिद्धांत सर्वमान्य है और जो भारत के संविधान की भूमिका है और जो संविधान का पर्याय है उसमें भी यह है कि कैबिनेट छोटी होनी चाहिये। जहां तक मैंने उसको पढ़ा है हमारे संविधान के फाउंडिंग फादर्स जो रहे हैं उनका आशय भी इसी प्रकार का है। तो इस विधेयक को मान लेने का अर्थ यह होता है कि हम दो सिद्धांतों को कन्फ्यूज करते हैं। एक सिद्धांत तो यह है कि कैबिनेट छोटी होनी चाहिये, उसकी कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी होनी चाहिये। ताकि स्प्लिट्स कम हों, ग्रुप्स कम बनें, तमाम बातें उसके साथ-साथ चलती हैं।

दूसरा सिद्धांत यह है कि नहीं, कैबिनेट बहुत बड़ी होनी चाहिये और उसके अन्दर डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर आफ स्टेट, पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी सब आ जाते हैं। मेरा अपना विचार यह है कि इस प्रकार का विधेयक ला करके हम जो एक स्पष्ट मतभेद है, इन दोनों सिद्धांतों में है उसके बीच की रेखा को स्वयं स्पष्ट करते हैं, क्योंकि एक तरफ हम यह भी कहते हैं कि कैबिनेट छोटी हो और दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि बड़ी भारी हो। अगर डिप्टी मिनिस्टर मिनिस्टर हैं तो वह कैबिनेट में क्यों नहीं बैठते ? कैबिनेट में उनको वोट देने का अधिकार क्यों नहीं है। अगर डिप्टी मिनिस्टर, मिनिस्टर हैं तो कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी का फार्मूला उनके लिये लागू क्यों नहीं होता ? अगर डिप्टी मिनिस्टर मिनिस्टर हैं तो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी मिनिस्टर क्यों नहीं हैं, क्योंकि मुझे याद है दो तीन साल पहले यह बतलाया गया था कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी मिनिस्टर की परिभाषा में नहीं आता। तो यह क्यों नहीं आता परिभाषा में ? तो एक तो इस विधेयक को लाकर, इस अनर्हता निवारण विधेयक को लाकर, हम सिद्धांत का हनन कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि मिनिस्टर आफ स्टेट नाम का एक नया कैडर बनाये जाने की आवश्यकता क्या है ? यह हो सकता है कि एक पोलिटिकल ट्रेनिंग और एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग के लिये कैटेगरी बनी हो। एम० एल० ए० के बाद पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी, उसके बाद डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर आफ स्टेट, और उसके बाद मिनिस्टर आता है, यह बात समझ में आती है, लेकिन इसमें वृद्धि करते जाना और इस प्रकार जिसमें कि कोई विशेष अन्तर न हो जैसे मिनिस्टर आफ स्टेट और मिनिस्टर में क्या अन्तर है ? इतना ही शायद है कि वह कैबिनेट के रेगुलर मेम्बर नहीं हैं। राज्यों में इस प्रकार के नये-नये कैडर्स की वृद्धि करने के भी मैं विरोध में हूं और मेरा विचार यह है कि अगर हम इस प्रकार से विधेयक को मान्यता दे देंगे तो एक स्थायी चीज हमारे राज्य में आगे के लिये हो जायगी। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का प्राविधान न बने।

दूसरी बात यह है जो कि प्वाइंट आफ आर्डर में भी स्पष्ट हो गई है, एक बहुत बड़ा कानूनी प्रश्न है, कि एक तरफ तो हम यह कहें कि हमारी सबकी धारणा यह है कि मिनिस्टर आफ स्टेट मिनिस्टर शब्द में आ जाता है और दूसरी तरफ हम साथ-साथ यह प्रस्ताव भी करें कि मिनिस्टर आफ स्टेट मिनिस्टर शब्द में नहीं आते और उसके लिये अपना विधेयक लायें। हम उसके लिये अपना विधान लायें। यह कानूनी प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि एडवोकेट जनरल जो इस विधान सभा में बैठ कर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं वे अपनी राय इस सम्बन्ध में दें। श्रीमन, मुझे याद है कि ४-५ साल पहले

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

एक मौका आगरा यूनिवर्सिटी आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में आया था जब मैंने कुछ शंकाएं एक प्रस्ताव के द्वारा प्रकट की थीं और उस समय एडवोकेट जनरल को आज्ञा दी गई थी कि वे अपने विचार प्रकट करें। मैं यह चाहता हूं कि आज वर्षों के बाद यह अवसर फिर आया है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर एडवोकेट जनरल, जो कि हाई कोर्ट में भी सरकार की ओर से निरन्तर पैरवी करते रहते हैं, हाई कोर्ट के मस्तिष्क को भी जानते हैं, सरकार के लीगल रिमेम्ब्रेंसर से भी उनका सम्बन्ध रहता है, विधान सभा में भी विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि उनकी सलाह समय-समय पर हमको अवश्य मिलनी चाहिये। मैं, आपके द्वारा यह मांग करूंगा क्योंकि समय निर्धारित है इसलिये तब तक कार्यवाही स्थगित रक्खी जाय। अगला बिल लाया जा सकता है और इसके लिये शाम को ३ बजे के बाद सवा घंटे के लिये बैठ सकते हैं और एडवोकेट जनरल महोदय अगर लखनऊ में हों तो वह आयें और इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपनी राय दें कि "मिनिस्टर्स आफ स्टेट" "मिनिस्टर" शब्द में आते हैं या नहीं आते हैं और विधान के अनुसार यदि आते हैं तो फिर इस विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तिवारी जी को बड़े ध्यान से सुना, परन्तु मैं इस निर्णय पर नहीं पहुंच सका कि आखिर उनका एतराज क्या है? यह एक कानूनी मसला है। उसमें कुछ मतभेद हो सकता है। उसमें आगे चल कर कुछ कठिनाई आ सकती है। उसका स्पष्टीकरण हो जाय तो तिवारी जी को क्या एतराज है मैं नहीं समझ सका। आपने कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स आफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स के सम्बन्ध में चर्चा की। मेरा खयाल यह है कि उनके कार्यों में और उनके स्टेटस में कुछ अन्तर है, यह तो माननीय तिवारी जी खुद स्वीकार करते हैं। कैबिनेट छोटी होनी चाहिये, ताकि वह अपने निर्णय पर शीघ्र पहुंच सके, इसे भी वे स्वीकार करते हैं। उसके बाद इस बड़े प्रदेश में जितने कार्य हैं उसके लिये अधिक आदमियों की भी जरूरत है, इसे भी कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिये उस कार्य की सुविधा के लिये अगर कुछ विभिन्न कैडर्स नियुक्त किये जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि उसमें एफिशियेंसी को क्या हानि हो सकती है। हमारे प्रदेश की मिनिस्ट्री की संख्या बढ़ी नहीं है। जहां तक कैबिनेट मिनिस्टर्स का सम्बन्ध है वह घटी है। उसके स्थान में कुछ मिनिस्टर्स आफ स्टेट नियुक्त किये गये हैं। जहां तक कैबिनेट मिनिस्टर्स का सम्बन्ध है, मैं तो यह स्पष्ट समझता हूं, कि इसमें कोई दो सम्मतियां नहीं हो सकती हैं कि कैबिनेट ऐसी होनी चाहिये जो किसी भी विषय पर जल्दी से जल्दी और शीघ्रातिशीघ्र किसी निर्णय पर पहुंच सके। जितनी अधिक संख्या होती है उतनी ही निर्णय पर पहुंचने में देर भी होती है, विलम्ब भी होता है। इसलिये यदि कैबिनेट मिनिस्टर्स की संख्या थोड़ी रख के अगर स्टेट मिनिस्टर्स को कुछ नियुक्त किया जाता है तो मैं समझता हूं कि इसमें एफिशियेंसी अधिक ही होगी, उससे कुछ कमी नहीं होगी।

अपने प्रदेश का मुकाबिला जब हम और प्रदेशों से करते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि हमारे यहां मिनिस्टरों की तादाद चाहे कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, चाहे मिनिस्टर्स आफ स्टेट हों या डिप्टी मिनिस्टर्स हों उनकी संख्या हमारी आबादी, हमारी जनसंख्या हमारा जो बजट है और जितना कि वृहद् कार्य हमारा है उसको देखते हुये मेरा खयाल है कि यह आक्षेप नहीं किया जा सकता कि यहां मिनिस्टरों की संख्या अधिक है या जितनी आवश्यक है उससे अधिक लिये गये हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक विधान का सम्बन्ध है और विधि को निश्चित और स्पष्ट करने का सम्बन्ध है, यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसमें अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है और मैं माननीय तिवारी जी से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने जो एतराज पेश कर दिया है, उसे वह वापस ले लें और इस विधेयक को शीघ्र ही पास हो जाने दें।

श्री अवधेशप्रतापसिंह (जिला फैजाबाद)--मान्यवर, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और उसका मुख्य कारण यह है कि यदि इस विधेयक को हम स्वीकार करते हैं तो सिद्धांततः यह ठीक है कि इस प्रदेश में मिनिस्टर आफ स्टेट होने चाहिये, परन्तु उसके लिये यह उचित फोरम नहीं है। उचित मौके पर जबकि दूसरा विधेयक हमारे सामने आयेगा तो किन शर्तों पर, किस आधार पर और किन कारणों से इसका विरोध कर रहा हूं, वह सदन को स्पष्ट हो जायगा।

मान्यवर, आपकी रूलिंग शिरोधार्य है, तथा किसी हद तक मैं यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि माननीय मुख्य मंत्री भी आप से सहमत थे, परन्तु श्रीमन्, जब सरकार को इस बात की शंका थी कि संभवतः किसी समय कोई कानूनी अड़चन उनके रास्ते में पड़ सकती है तो आज सरकार के पास यह साधन है कि उन कानूनी शंकाओं को दूर करने के लिये वह अग्रसर होते और आज इस सम्मानित सदन के सन्मुख अपने ऐडवोकेट जनरल और लीगल रिमेंम्बरेंसर की राय रखते, जिससे हमको पता चलता कि सही में उनके कानूनी मशीरकारों की क्या राय है। श्रीमन्, हो सकता है कि आपकी रूलिंग से वह भी सहमत हों और ऐसी परिस्थिति में फिर भविष्य में चलकर यह समय जो इस समय हम नष्ट कर रहे हैं, रुपया बरबाद कर रहे हैं जो कि कानूनी दृष्टि से, अनावश्यक प्रतीत होता है उसकी क्या आवश्यकता थी?

(इस समय १२ बजकर २४ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त पीठासीन हुए।)

मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि यह कहीं उचित होता कि आप ऐडवोकेट जनरल की राय इस सम्बन्ध में लिये होते और तब यह विधेयक इस सदन में प्रस्तुत होता और इस आदरणीय सदन के सदस्य इस बात पर सोचते, समझते और किसी निश्चय पर आ पाते। परन्तु हम अंधेरे में रखे गये हैं, न तो आप साफ कहते हैं कि कानूनी अड़चन है, केवल एक आशंका-मात्र है जिसके आधार पर आप यह विधेयक ला रहे हैं।

मान्यवर, जहां तक माननीय नारायणदत्त तिवारी जी का कहना था उससे मैं सहमत हूं, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करता हूं, परन्तु यह कहना इस समय कि एक अड़चन है और एक कठिनाई है जिसके निवारण हेतु आप यह विधेयक लाते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आता है। अगर आपके ऐडवोकेट जनरल की राय होती तो दूसरी बात थी। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि यह विधेयक फिलहाल यह सदन पारित न करे और जैसा कि माननीय नारायणदत्त जी ने बहुत ही मीठे स्वर में फर्माया है कि यह अच्छा होता अगर उनकी राय ले ली जाती और उसके सुनने के उपरान्त हम कुछ करते। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा और सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरी विनय है, प्रार्थना है कि जब तक आप ऐडवोकेट जनरल की राय न सुन लें तब तक इस विधेयक को पारित न करें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप इस नतीजे पर पहुंचे कि इसकी आवश्यकता ही न हो।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--माननीय चेयरमैन साहब, मेरा इरादा नहीं था कि मैं आज के मुबाहिसे में हिस्सा लेता मगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि यहां पर जो एक बहुत छोटा सा बिल पेश किया गया और खयाल यह था कि शायद किसी बड़ी लम्बी तकरीर के बगैर, यह मंजूर हो जायगा, लेकिन जो तकरीरें हुई उनको सुनकर मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ। सवाल सिर्फ यह था कि हमारे स्पीकर साहब ने एक रूलिंग दी और यह फैसला किया कि स्टेट मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स में शामिल हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने फरमाया कि उनका फैसला इस हाउस के लिये तो काबिले पाबन्दी है, लेकिन अगर मामला हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

में जाय तो बावजूद स्पीकर्स रूलिंग के यह चैलेंज किया जा सकता है और बाज लोगों के दिमाग में कुछ शकूक पैदा रह सकते हैं। इसलिये उनको दूर करने के लिये इस किस्म का बिल आ जाय और उसके पास हो जाने के बाद एक सही कांस्टीट्यूशनल पोजीशन हमारे सामने हो। सिर्फ इतनी सी बात थी।

इस बिल के सिलसिले में मैंने तकरीरें सुनीं। उनमें बाज बातें ऐसी कही गईं जो मेरी समझ में नहीं आईं। एक बात यह कही गई कि कैबिनेट बहुत छोटी होनी चाहिये। इसके मुताल्लिक मैं अर्ज करूंगा कि हमारे कांस्टीट्यूशन का आर्टिकिल १६३ है, उसके अन्दर कहीं नहीं लिखा है कि कैबिनेट कितनी बड़ी होनी चाहिये, इसका साइज क्या हो? जाहिर है जब ऐसा नहीं लिखा है तो वह साइज होना चाहिये जो सूबे के लिये जरूरी हो और यह हमारा सूबा यू० पी० हिन्दुस्तान भर में सबसे बड़ा सूबा है और इसको ऐडमिनिस्टर करने के लिये दूसरी जगहों से ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से इसके अंदर जो तादाद मुकर्रर की गई है, वह ज्यादा नहीं है।

एक बात यह भी कही गई कि स्टेट मिनिस्टर्स की तकर्रुरी की वजह से ज्यादा रुपया खर्च होगा और बजट के ऊपर ज्यादा बार पड़ेगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आई। इसलिये कि एक दूसरा बिल है जो पेश होने वाला है, उससे पता लगता है कि स्टेट मिनिस्टर्स की तनख्वाह मिनिस्टर्स की तनख्वाह से कम है। इसके माने यह हैं कि अगर स्टेट मिनिस्टर्स मुकर्रर किये जायेंगे तो बजट पर कम बार पड़ेगा। अगर मिनिस्टर्स मुकर्रर किये जायेंगे तो ज्यादा बार पड़ेगा। अब सवाल यह रहता है कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स क्या हो? जैसा कि तिवारी जी ने कहा है कि यह यहां के मुताल्लिक नहीं है और यहां बहस करने की जरूरत नहीं है। इसलिये मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज हैं। इनकी तादाद इतनी मुकर्रर होनी चाहिये जितनी की सूबे को जरूरत हो और इसका फैसला करने का हक चीफ मिनिस्टर को हो या उस पार्टी को हो जो हुक्मरां हैं। जो लोग ऐतराज करते हैं वह एक अच्छा प्रिसीडेंट कायम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज एक पार्टी हुक्मरां है। हो सकता है कि कल उस तरफ के लोग इस तरफ आ जायं और उनको यहां बैठकर मिनिस्ट्री बनानी पड़े तो जो पार्टी मिनिस्ट्री बनाये उसको हक होना चाहिये कि मिनिस्टर्स की तादाद कितनी हो? इसमें स्टेट मिनिस्टर्स हों या न हों और तनख्वाह माकूल हो। अगर यह फैसला दूसरी पार्टी सुपुर्द कर दिया गया और उसको राय देने का और अपनी राय को मनवाने का हक मान लिया गया तो मैं समझता हूं कि खुद उस पार्टी के लिये यह फैसला ठीक नहीं होगा कि जिसके लिये उम्मीद की जाती है कि अगर आज नहीं तो कल वह दूसरी तरफ बैठें और उनके हाथ में हुकूमत चलाने का काम हो। इन वजूहात से मैं यह मुनासिब समझता हूं कि जो बिल हमारे सामने आया है उसको हम पास कर दें और जो शकूक लोगों के दिल में हो सकते हैं उनको दूर किया जाय। फिर उनको एतराज इस पर नहीं है कि स्टेट मिनिस्टर क्यों बनाये गये, बल्कि एतराज इस पर है कि जब स्पीकर साहब ने रूलिंग दे दी तो फिर स्टेट मिनिस्टर्स क्यों बनाये जायं। तो मैं समझता हूं कि जैसा स्पीकर साहब ने फरमाया और सही फरमाया, कि अगर लोगों के दिल में कोई शकूक हों और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचने में दिक्कत हो तो फिर यकसाई हासिल करने के लिये एक छोटा सा बिल आ गया है तो यह गलत कदम नहीं है, बल्कि बिल्कुल सही है और इस पर कोई ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। मैं समझता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाय ताकि पब्लिक टाइम बच सके और उसे दूसरे कारामद काम में हम लगा सकें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—माननीय चेयरमैन साहब, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विधेयक को पेश किया तो मुझे आशा थी कि मिनिस्टर आफ स्टेट क्यों बनाये गये इसके औचित्य के ऊपर वे कुछ हम लोगों के सामने प्रकाश डालेंगे, लेकिन

उनके संक्षिप्त भाषण में ऐसी कोई बात मुझे नहीं मिली। मैं अब तक नहीं समझ सका कि मिनिस्टर आफ स्टेट बनाने का क्या औचित्य है और उसकी क्या जरूरत पड़ी। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात की जरूरत समझते थे कि काम की अधिकता से कैबिनेट को बढ़ाना चाहिये तो कैबिनेट में मिनिस्टर्स बढ़ाये जा सकते थे और उसको उसी तरीके से पास करा सकते थे जैसे कि यह आज हमारे जरिये से पास किया जायगा। लेकिन एक नये वर्ण की सृष्टि की क्या आवश्यकता पड़ी यह मेरी समझ में नहीं आ सका। चेयरमैन साहब, आपको याद होगा कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी इस पद पर आसीन हुए तो उस समय कैबिनेट में कुछ हेरफेर हुआ था और उस समय के एक मंत्री जी मुख्य मंत्री जी के पद पर आसीन होने के समय मंत्री नहीं रह गये। नये चुनाव के बाद जब फिर कैबिनेट का निर्माण शुरू हुआ तो कुछ अन्दरूनी पार्टी की दिक्कतों से ऐसा महसूस हुआ कि एक नये वर्ण की सृष्टि की जाय। मैं समझता हूं कि वह दिक्कत भी माननीय मुख्य मंत्री जी की अब हल हो चुकी है। तो क्यों नहीं इस बिल को वापस करके नये प्रकार से विधेयक इस सदन में पेश किया जाता ताकि हम लोग उसको समझ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल के साथ अपनी सहमति किसी प्रकार नहीं प्रकट कर पा रहा हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)—श्रीमन्, विरोधी पक्ष की ओर से ऐसा कोई तर्क नहीं उपस्थित किया जाता है कि इस विधेयक के ऊपर विचार न किया जाय। ऐडवोकेट जनरल की मूल्यवान् सम्मति हो जाने के पश्चात् भी वस्तुस्थिति अपनी जगह पर ही रहेगी। न्यायालय का विचार विभिन्न हो सकता है, इस शंका को दूर करने का एक मात्र उपाय यही है कि हमें इस विधेयक को पारित कर देना चाहिये। इस तर्क को किसी माननीय सदस्य ने उपस्थित नहीं किया है कि इसको स्वीकार न किया जाय बल्कि यह कहा है कि यह अनावश्यक है। तो मैं समझता हूं कि जितने समय में हम इसका विवाद कर रहे हैं उससे कम समय के अन्दर हम इसे पारित करके उस शंका की परिस्थिति को दूर कर सकते हैं।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अधिष्ठाता महोदय, मैं ठीक समझ नहीं पाया कि आखिर हमारे दोस्तों को इस बिल के सम्बन्ध में क्या आपत्ति है। बार-बार ऐडवोकेट जनरल का जिक्र किया जाता है। यह ऐसा कोई गम्भीर प्रश्न नहीं जिसको हम समझ न सकते हों, जिसको सुझान क लिय ऐडवोकेट जनरल की जरूरत हो। जहां तक स्पीकर की रूलिंग की बात है वह हमारे लिये शिरोधार्य है, लेकिन स्पीकर की व्यवस्था इस सदन के बाहर नहीं चलती और कोई स्थान प्लेस आफ प्राफिट है या नहीं इसका निर्णय हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के सामने जा सकता है, एलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने जा सकता है और कोई भी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एलेक्शन ट्राइब्यूनल स्पीकर की व्यवस्था से बाध्य नहीं होगा। किसी कोर्ट के सामने शंका की बात यों पैदा होती है कि अब तक जो हमारे विधेयक हैं उनमें मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी का नाम है। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की तो और बात है, लेकिन मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर यह माननीय बात है कि कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के सदस्य हैं। इसी वजह से वह सदस्य जो डिप्टी मिनिस्टर हैं और इस सदन के सदस्य हैं, उस सदन में जाने पाते हैं और उस सदन के सदस्य जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, वह इस सदन में आने पाते हैं। कौंसिल आफ मिनिस्टर के सदस्य भी वह हैं, लेकिन बावजूद इसके कि वह डिप्टी मिनिस्टर हैं, कौंसिल आफ मिनिस्टर के सदस्य हैं, दोनों सदनों में जाने पाते हैं। अगर कभी कोई मामला अदालत के सामने चला जाय तो शंका उठ सकती है कि यदि लेजिस्लेचर का यह मतलब होता कि डिप्टी मिनिस्टर भी कौंसिल आफ मिनिस्टर्स का मेम्बर था तो उसका नाम क्यों नहीं लिखा गया। उसका नाम नहीं लिखा गया। इस से यह स्पष्ट होता है कि लेजिस्लेचर का मतलब यह जरूर रहा होगा कि मिनिस्टर आफ स्टेट को अलग कर दिया जाय। यह शंका न उठ पाये इसलिये यह विधेयक लाया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

दूसरी बात जो माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने कही कि कैबिनेट छोटी होनी चाहिये, उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि छोटा और बड़ा, यह तो रिलेटिव टर्म है। प्रदेश की आवश्यकता को देखने के बाद, आवश्यकता को देख कर, शासन की जरूरत को देख कर ही इसका फैसला हो सकता है और यह फैसला ऐसा है कि इसे वही शख्स कर सकता है कि जो उस समय मुख्य मंत्री हो। वही इस बात का फैसला कर सकता है कि उसको कितने कोलीग चाहिये, दूसरा कोई नहीं कर सकता। यह एक अजीब शिकायत है कि हम मिनिस्टर आफ स्टेट क्यों रखते हैं। यदि हम यह तय कर दें कि हम मिनिस्टर रखेंगे तो किसी को शिकायत करने का मौका नहीं था, न बिल लाना पड़ता, न कानून की जरूरत पड़ती, चाहे हम १० के बदले २०, २५ मिनिस्टर रखते तो भी कुछ नहीं होता। उनकी सैलरी तो जरूर हम को मंजूर करानी पड़ती इस सदन से, लेकिन और कोई बात पूछने की हम को जरूरत नहीं थी। हम एक ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि जिसमें काम भी होता है और सस्ता भी रहता है। मिनिस्टर आफ स्टेट की तनख्वाह कम पड़ेगी। हम एक सस्ती व्यवस्था करना चाहते हैं, इस पर आप लोगों को ऐतराज है, अगर मंहगी व्यवस्था करना चाहते तो कोई एतराज न होता। माननीय झारखंडे राय जी के प्रश्न का यही उत्तर है कि हम चाहते हैं कि काम हो और जिम्मेदारी के साथ काम हो और प्रदेश के ऊपर बोझ कम पड़े। मैं समझता हूं कि इतना स्पष्टीकरण काफी होगा और उसके बाद जो प्रस्ताव मैंने विचार करने के लिये रखा है उसे सदन स्वीकार करेगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९५७, पर जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियमावली के नियम ९६ के अन्तर्गत यह चाहूंगा कि इस विधेयक के सम्बन्ध में कानूनी विभाग या लीगल रिमेम्बरेंसर या एडवोकेट जनरल की राय प्राप्त हुई हो, वह सदन को दी जाय, क्योंकि यह बिल बाई वे आफ एबेंडेंट काशन लाया गया है। जरूरी नहीं, लेकिन ऐतिहात के तौर पर यह पेश किया गया है। तो इस विषय में उनकी राय क्या है, यदि हम जान सकें तो अपना विचार प्रकट करने में सुविधा रहेगी।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय सदस्य का ध्यान नियम ९६ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें दिया है कि "96. (1) After the motion that a Bill be taken into consideration is passed any member may demand that copies of papers. if any, on which the Bill is based and which are not confidential, may be placed on the table of the House."

तो लीगल एडवाइस जो है वह कांफीडेंशल है।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं यह अर्ज करना चाहता हूं आप के फैसला देने के पहले कि सरकार ने लीगल एडवाइस हासिल की है वह कान्फिडेंशियल नहीं हो सकती और खास कर ऐसे मामले की कि जो प्रश्न केवल लीगल एडवाइस की बिना पर ही लाया गया हो।
I want to know that legal advice.

श्री अधिष्ठाता—मैं आपका ध्यान रूल ३२ के पैरा १८ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें यह लिखा है :—

"It shall not seek information about matters, which in their nature are secret, such as, decisions or proceedings of Cabinet advice given to the Governor by law officers and other similar subjects."

यह केवल क्वेश्चन के लिए है, मगर यह चीज इस बात के बारे में भी लागू होगी कि जो ऐडवाइस मिनिस्टर को ला के बारे में दी जाती है, वह भी कान्फिडेन्शियल हो सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं यह जानना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी से कि यह 'पेपर्स कनेक्टेड विददि बिल' की परिभाषा में आते हैं या नहीं। अगर वह कहते हैं कि कान्फिडेन्शियल है तो दूसरी बात है किन्तु आप कृपा कर माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह बतलाने का कष्ट करा दें कि यह पेपर्स कनेक्टेड विद दि बिल की परिभाषा में आते हैं या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता--मैं देखता हूं कि वे कान्फिडेन्शियल पेपर्स हैं। तो फिर मैं क्यों उनको यह कहने के लिए कष्ट दूं।

खण्ड २

२--उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, १९५२ ई० की धारा ३ में वर्तमान खण्ड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :--

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५२ का संशोधन।

"(१) उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मन्त्री (Minister of State) का पद या उप-मन्त्री का पद अथवा"।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)--श्रीमन्, मैं इस खंड २ के उप खंड (१) का जो मन्शा है उसका विरोध करता हूं। मिनिस्टर आफ स्टेट का पद नये मन्त्रियों के साथ जोड़ना मैं अनावश्यक समझता हूं। जो कुछ मुझे सुनने को मिला उससे मैं यह समझ पाया कि यह मिनिस्टर आफ स्टेट यदि इस रूप में न रखे जाते तो मन्त्रियों की तादाद को बढ़ाकर काम चलाया जा सकता था, किन्तु वह खर्चीला होता। जहां तक मैं समझता हूं यह मिनिस्टर आफ स्टेट्स अभी तक डिप्टी मिनिस्टर की हैसियत से काम करते रहे हैं और उनका उत्तरदायित्व भी अभी तक वही था। अब भी उसी तरह से डिप्टी मिनिस्टर रखकर उनसे काम हो सकता था। मुझे कोई आवश्यकता दिखायी नहीं देती कि वह मिनिस्टर आफ स्टेट के रूप में नियुक्त किये जायं। यह कहा जा सकता है कि हमने मिनिस्टर आफ स्टेट् बढ़ाकर पैसे की बचत की है, किन्तु मिनिस्टरों की तादाद तो बढ़ी है। पिछले मन्त्रिमण्डल में १० मन्त्री थे। अब जो यह पहले का मन्त्रिमण्डल है उसमें भी १० मन्त्री हो चुके हैं और ४ मिनिस्टर आफ स्टेट् के रूप म बढ़ाये जाने की कोशिश की जा रही ह। वह १४ मिनिस्टर्स किसी न किसी रूप में दिखायी पड़ते हैं। इसलिए पिछले मंत्रिमण्डल में सभी मन्त्री, उप मन्त्री, और सभा सचिव मिलाकर २९ थे। इस वर्ष भी तादाद प्रारम्भ में कुछ कम दिखायी दी, लेकिन येन केन प्रकारेण तादाद उसी रूप में पहुंच गयी और उनका खर्चा भी कुछ अधिक पड़ता है। मिनिस्टर आफ स्टेट का इस रूप में लिया जाना यह शंका प्रकट करता है कि उन सदस्यों को जो मन्त्रिमण्डल में नहीं आ सकते थे उनको किसी दूसरे रूप में लाये। इसलिए यह नया पद कायम किया गया और उनको लाया गया। काम का वितरण भी जिस रूप में रखा गया है उस से भी उन की आवश्यकता दिखायी नहीं देती है। मिनिस्टर आफ स्टेट एक नयी चीज अपने प्रान्त में रखी जा रही है। इस वजह से कुछ शंका पैदा होती है और उस शंका को मिटाने के लिए यह विधेयक सरकार ने यहां पर पेश किया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या कार्य को देखते हुए यह आवश्यक है कि यह मिनिस्टर्स आफ स्टेट बढ़ा लिये जायं। जब हम दिन प्रति दिन कटौती की बात सोचते हैं और हर विभाग के लिए बचत करने के लिए एक कमेटी मुकर्रर है तब क्या हम मन्त्रियों की बात को नहीं सोच पाते कि इसमें कमी की जाय। तादाद बढ़ती है तो उस के साथ-साथ खर्चा भी बढ़ जाता है। मिनिस्टर आफ स्टेट का मतलब ऐसा होता कि एक नयी चीज सोची

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

जाती मगर बात ऐसी नहीं है। इसलिए सोची जाती है कि येन केन प्रकारेण उनको बढ़ा दिया जाय और काम भी कहीं से दिखा दिया जाय और आगे गाड़ी चलती रहे। मेरा खयाल है कि इस विधेयक में यह खंड रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस विधेयक के खंड का विरोध करता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई खास बात तो नहीं कही गयी जिसका जवाब दिया जाय। जैसा मैंने पहले कहा था कितने मन्त्रियों की जरूरत है इसका निर्णय तो वही कर सकता है जो कि मुख्य मन्त्री हो। शासन का काम कितना है और उसके लिए कितने आदमियों की जरूरत है इसका निर्णय और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी बहुत सख्त जरूरत है कि मिनिस्टर्स आफ स्टेट्स इतने रखे जायं। इस कारण जो विरोध इस धारा का हुआ है वह उचित नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९५७

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, १३ १९५२ ई०

कतिपय प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता-निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, १९५२ ई० को संशोधित करने का

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५२ ई०

यह इष्टकर है कि एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले कतिपय प्रयोजनों के निमित्त उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता-निवारण) (द्वितीय) अधिनियम, १९५२ ई० में संशोधन किया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के आठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता-निवारण) (संशोधन) अधिनियम, १९५७ ई० कहलायेगा।

(२) यह ९ अप्रैल, १९५७ ई० को तथा से प्रचलित हुआ समझा जायगा।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक, १९५७, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७, पर विचार किया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी—(जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आन एप्वाइंट आफ आर्डर। अभी-अभी हमने जो प्रस्ताव पारित किया है और जो प्रस्ताव बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी से पारित हुआ था, उसमें यह था कि यह जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मन्त्री जी इस समय कर रहे हैं वह सवा दो बजे से लिया जायगा। तो थोड़ी देर पहले तो आप तय कर चुके हैं कि सवा दो बजे से पहले यह विधेयक नहीं लिया जायगा, ऐसी हालत में एक घंटा २० मिनट पहले ही इस प्रस्ताव को लेना उस पहले प्रस्ताव के विरुद्ध जाता है।

श्री अधिष्ठाता—मैं निवेदन करता हूं कि जो प्रस्ताव पास हुआ था वह उस सूरत में पास हुआ था कि पहला विधेयक १—१५ तक खत्म होगा और २-१५ पर दूसरे बिल को ले लिया जायगा। अगर वह पहले खत्म हो गया तो इसके मानी यह नहीं हैं कि दूसरे बिल को अब लिया ही न जाय और सदन अब कोई काम ही न करे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अधिष्ठाता महोदय, मैं कुछ निवेदन कर दूं इस सदन ने अभी यह तय किया है कि जो विधेयक माननीय मुख्य मन्त्री जी पेश करने जा रहे हैं, वह सवा दो बजे पश हो। अगर पहला बिल कुछ पहले खत्म हो गया है तो उस से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं यह नहीं चाहता कि इस आदरणीय सदन का समय नष्ट हो इसलिए मेरा निवेदन यह है कि एक दूसरे प्रस्ताव द्वारा यह तय कर दिया जाय कि बजाय सवा दो बजे के उसको अभी ले लिया जाय। इस प्रकार की कार्यवाही ज्यादा नियमानुकूल होगी।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय त्रिलोकी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का जब कोई प्रस्ताव आता है तो उसमें यह भावना निहित रहती है कि अगर एक बिल खत्म हो जायगा तो दूसरा बिल उसके बाद ले लिया जायगा। यह एक साधारण सी बात है। मैं समझता हूं कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी को इसमें कोई एतराज न होगा।

श्री त्रिलोकीसिंह—मेरा कहना यह है कि अगर इसके बारे में प्रस्ताव पास हो जाय तो ज्यादा नियमानुकूल होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक एक बजने में ७ मिनट पर ले लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—अभी-अभी आप के एक प्रस्ताव पर मैंने अपना निर्णय दिया है, फिर आप कहते हैं कि बजाय उस के १ बजने में ७ मिनट पहले ले लिया जाय। यह कैसे हो सकता है।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अधिष्ठाता महोदय, एक माने में तो यह अच्छा ही होता, क्योंकि आज सवेरे ही एक घंटा मेरे प्रश्न हुए। उसके बाद एक प्रस्ताव मैंने पेश किया। उस के पास हो जाने पर यह दूसरा पेश करने के लिए अगर कुछ वक्त मिल जाता तो अच्छा ही होता। खैर, जैसी आपकी आज्ञा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मुझे इस प्रस्ताव के सिलसिले में भी इस स्टेज पर ज्यादा कहने की जरूरत मालूम नहीं होती। जो विधेयक सामने रक्खा गया है उसके दो अंग हैं। एक अंग का सम्बन्ध राज-मन्त्रियों के वेतन से है और दूसरे अंग का सम्बन्ध सदन के सदस्यों से है। एक दृष्टि से देखा जाय तो इस विधेयक में जो बातें कही गयी हैं, यह सदन उन बातों को स्वीकार कर चुका है। जब कि सामान्य प्रशासन का बजट पेश हुआ तो मैं ऐसा समझ रहा था कि किसी न किसी माननीय सदस्य की तरफ से उन बातों की ओर संकेत किया जायगा जिनका सम्बन्ध इस विधेयक के विषय से है, क्योंकि जहां इन राज्य मंत्रियों के वेतन को दिखलाया गया है वहीं उन बातों की भी चर्चा थी जिनका कि माननीय सदस्यों से सम्बन्ध है। परन्तु श्रीमान् को याद होगा और माननीय सदस्यों को भी याद होगा कि जो भी प्रोसीडिंग्स हुईं, इत्तफाक की बात है कि किसी एक भी माननीय सदस्य ने इन बातों की चर्चा नहीं की, किसी एक भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि मिनिस्टर्स आफ स्टेट के लिए वेतन क्यों रखा जा रहा है, कैसे रखा जा रहा है और इस तरह की व्यवस्था क्यों की जा रही है? इसके माने तो यह हुए जिसको कहते हैं "ओमिशन और कमीशन", यानी शिकायत न करके, सामान्य प्रशासन के बजट को स्वीकार करके सदन ने उन बातों पर अपनी मुहर लगा दी है जिन बातों की इस विधेयक में चर्चा है। ऐसी हालत में मैं नहीं जानता सिवा इसके कि सदन इसको स्वीकार करे और पास करे, उसके पास दूसरा कौन सा रास्ता है? क्योंकि यहां बार बार जिक्र हुआ करता है कि जब सदन एक निश्चय कर लेता है तो उसको बदलना सदन के लिए उचित बात नहीं है। तो जब सदन ८-९ रोज पहले ही एक निश्चय कर चुका है तो उस निश्चय के बाद इस सम्बन्ध में और ज्यादा कुछ कहने की गुंजाइश नहीं मालूम होती।

जहां तक मिनिस्टर्स आफ स्टेट् की बात है उनके सम्बन्ध में जो विधेयक स्वीकार हुआ उसके सिलसिले में भी उन बातों का कुछ जिक्र है। मसलन्, उनके वेतन का, जैसा कि मैंने निवेदन किया था, यह तो काम की बात है, समय पर जिन लोगों को शासन चलाना हो, उनको ही अपनी बुद्धि के अनुसार गलत हो या सही, इस बात का निश्चय करना पड़ता है कि कितने आदमी मंत्रिमण्डल में होंगे, कितने आदमी कौंसिल आफ मिनिस्टर्स के होंगे, कितने मिनिस्टर और अन्य पदों के आदमी होंगे। बहरहाल, इस वक्त यह निश्चय हुआ है कि मिनिस्टर्स आफ स्टेट् के जिनके लिए कांस्टीटयूशन में गुंजाइश है, कुछ पद रखे जायं और वे रखे गये हैं। जैसा कि इस विधेयक से भी जाहिर है कि मिनिस्टर्स आफ स्टेट् के वेतन में और मिनिस्टर्स के वेतन में अन्तर है। इसलिए जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है मिनिस्टर्स आफ स्टेट् के ऊपर जिम्मेदारी का काम है, विभाग उनके चार्ज में होंगे, लेकिन यह प्रबन्ध प्रदेश की दृष्टि से सस्ता है। इस वजह से भी इसको स्वीकार करना चाहिए और मैं समझता हूं कि जब सदन ने बजट को स्वीकार किया होगा तो यह बात जरूर माननीय सदस्यों के ध्यान में रही होगी।

जहां तक मेम्बरों का सम्बन्ध है, जो पुराना कानून है उसमें से कुछ चीजें निकालनी हैं और एक चीज स्पष्ट रूप से बढ़ानी है। निकालने की बात यह है कि पहले से नियम था कि १० दिन कोई सदस्य बाहर को न जाय, क्योंकि उसे यात्रा का भत्ता मिलता था, सदन ने ही पास किया था, लेकिन हमने देखा कि सभी पक्ष की तरफ से यह इच्छा प्रकट की गयी है कि यह न रहे तो अच्छा हो। इस बात का प्रबन्ध हमने जहां तक हमारा विश्वास है, सभी दल के माननीय सदस्यों की इच्छा की पूर्ति की दृष्टि से ही किया है।

बाकी जो दूसरी चीज है वह माननीय सदस्यों के निवास की बात है। पहले भी उनके लिए रहने का प्रबन्ध था, लेकिन इसमें और स्पष्ट कर दिया गया है कि जो भी जगह माननीय सदस्यों के रहने के लिए नियुक्त की जाय, वहां वे रहेंगे और उन को किराया भी देना होगा। यह बात स्पष्ट कर दी गयी है कि कोई सदस्य बगैर किराये के भी वहां रह सकता है जहां कि फ्री रहने के लिए जगह हमने नियुक्त की है और अगर किसी को वहां जगह नहीं मिलती किसी

वजह से तो उस हद तक जो वह अपने पास से खर्च करेगा, उसका प्रबन्ध हो जायगा ताकि सब सदस्यों के साथ एक सा बर्ताव हो जाय, हमारी ऐसी कोशिश जरूर होनी चाहिए और हम करेंगे भी, थोड़े दिनों में कि सरकारी प्रबन्ध ऐसा हो जाय कि किसी भी माननीय सदस्य को किराये का मकान न लेना पड़े और सब के लिए विधायक निवासों में ही रहने की जगह हो जाय। जब तक सब के लिए कोई प्रबन्ध नहीं होता तब तक कुछ लोगों को तो किराये के मकानों में रहना ही पड़ेगा, चाहे वह जगह हम लेकर दें या वह स्वयं अपना प्रबन्ध करें। इसलिए ऐसे जो लोग हैं जिन्हें विधायक निवासों में जगह नहीं मिली है, उन के लिए व्यवस्था करना आवश्यक है हालां कि कुछ समय बाद उनका भी प्रबन्ध वहां हो जायगा। बस इतना ही मुझे निवेदन करना था। मैं आशा करता हूं कि इस पर विचार तो हो गया है और आगे चलकर सदन इस को पास करेगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७ को ३ मास के लिए जनमत प्राप्त करने के निमित्त घुमाया जाय।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जो संशोधन दिये हुए हैं उनमें सबसे पहला संशोधन विभव जी का है तो मैं नहीं समझता कि आपने तीसरे नम्बर का नाम क्यों पहले पुकारा ?

श्री अधिष्ठाता—माननीय झारखंडे राय जी, आपको शायद याद होगा कि इस तरह की व्यवस्था पहले भी दी गयी है कि जब कई संशोधन एक ही प्रकार के होते हैं तो जो संशोधन उनमें ज्यादा वाइड होता है उसको पहले लिया जाता है और बाद में जो संशोधन रह जाते हैं उनमें देखा जाता है कि कौनसा उनमें सबसे ज्यादा वाइड है। श्री देवकी नन्दन विभव का संशोधन केवल प्रवर समिति में भेजने के लिए है और यह जो उन्होंने अभी पेश किया है वह जनमत संग्रह के लिए है। अगर विभव जी का संशोधन ले लें, तो उनका यह संशोधन लैप्स होजायगा, जनमत वाला मामला बाद में नहीं उठेगा। इसलिए पहले जनमत वाली बात निश्चित हो जाय, उसके बाद हम आगे बढ़ें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मान्यवर, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था कि उचित मौका न समझने के कारण . . .

श्री अधिष्ठाता—मैं श्री अवधेश प्रताप सिंह जी से निवेदन करूंगा कि जब आप विधेयक का विरोध करेंगे तो फिर उसका जनमत के लिए सरकुलेशन कैसे होगा ? जब तक आप इस के प्रिंसिपल को नहीं मानते, यह जनमत के लिए कैसे जा सकता है ?

*श्री अवधेश प्रताप सिंह—मुझे, श्रीमन्, यह कहना है कि जहां तक इसके प्रिंसिपल की बात है वह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उसके डिटेल के सम्बन्ध में कहता हूं जब कि मैंने संशोधन मूवकर दिया। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिसके सम्बन्ध में मुझे केवल यह कहना है कि यह विधेयक जनमत संग्रह के बाद ही सदन में विचारार्थ आना चाहिए। सन् १९५२ में भी कुछ प्रदेशों में जैसे वेस्ट बंगाल ने अपने यहां मिनिस्टर्स आफ स्टेट् रखे थे और उन्होंने इसका प्रबन्ध किया था, लेकिन हमारे सूबे में अब से पहले केवल मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और सभा-सचिव ही थे, लेकिन अब सन् १९५७ में जब कि हमने यह देखा कि मिनिस्टर्स आफ स्टेट् की भी एक दूसरी शाखा निकाली जा रही है तो हमें विशेष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

रूप से कुछ आशंका हुई कि जब हमारे प्रदेश में एकानामी ड्राइव होते हैं, एकनामी कमेटियां बैठायी जाती हैं, और जब कि सरकार का यह मुख्य उद्देश्य हो कि जिस तरह से हो खर्चा कम किया जाय और जब कि हम यह चाहते हों कि इस प्रदेश मे करों के बोझ से हम दबे जा रहे हैं और वह बोझ सहन करने में हमारी गरदन और शरीर टूटे जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दूसरी तरफ इस तरह के खर्चे कहां तक उचित होंगे ? जब खाद्यान्न की कीमतें बढ़ती हों, जब कि जीवन की आवश्यक वस्तुओं के दाम में नित्यप्रति कुछ न कुछ बढ़ोत्तरी होती जाती हो, और सरकार की भी एक तरफ घोषणा हो तब उस तरह के खर्चे उचित नहीं हैं। बजट में भी हमने देखा। उसमें भी माननीय मुख्य मन्त्री और माननीय वित्त मन्त्री इस बात के लिए इच्छुक हैं, उन्होंने प्रयास किया और उनका आश्वासन है कि भविष्य में भी वह प्रयास करते रहेंगे। मैं उसी बजट की ओर माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह क्या विशेष परिस्थिति थी जिसके आधार पर आप ने मिनिस्टर आफ स्टेट का रखना आवश्यक समझा। मान्यवर, अभी माननीय मुख्य मन्त्री ने इस सदन में फरमाया कि जब कि बजट में इस को लोगों ने स्वीकार किया जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन की ग्रांट उन्होंने पेश की, एक भी माननीय सदस्य ने कोई भी बात इस सदन में नहीं कही और उसकी चर्चा नहीं हुई। मैं आपके द्वारा उनको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि मेरा यह दुर्भाग्य था कि मैं उस दिन उपस्थित नहीं था। अतः जहां तक आपका तर्क है, वह मुझ पर लागू नहीं हैं। यदि मैं होता तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान अवश्यमेव आकर्षित करता। यह मैं पूर्ण रूप से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं आप के द्वारा मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल में जहां पर मिनिस्टर आफ स्टेट् रक्खे गये, १९५२ में वहां मिनिस्टर और मिनिस्टर आफ स्टेट् की तनख्वाहों में अन्तर रहा। जहां तक यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है, सम्भवतः उसमें कोई संशोधन हो जिसका मुझे परिज्ञान न हो और बाद में हो तो दूसरी वस्तु है। लेकिन आज किसी तरह का अन्तर मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की तनख्वाहों में नहीं कर रहे हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—है, उसी में लिखा है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—हो सकता है, श्रीमन्, माननीय मुख्य मन्त्री कहते हैं तो हो सकता है, मेरी आंख न पड़ी हो।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मिनिस्टर्स को १२ सौ फ़्री आफ इन्कम टैक्स है और मिनिस्टर आफ स्टेट को इन्कम टैक्स देना पड़ेगा।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मैं समझा। लेकिन इस को मैं नगण्य समझता हूं, बेमतलब समझता हूं,। इसका हवाला ही देना बेसूद है। इन्कम टैक्स का असर महज सौ रुपये का हो सकता है, और आप का वालंटरी कट है, सौ रुपये वह रख लीजिये। लेकिन जहां तक इन्कम टैक्स फ़्री और जो इन्कम टैक्स आप उनसे लेंगे उस में कोई महान् अन्तर नहीं है और ऐसा फर्क नहीं है, जिस-जिस पर माननीय मुख्य मन्त्री को गर्व होना चाहिए। जहां माननीय मुख्य मन्त्री डा० सम्पूर्णानन्द हैं और मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं कि कैबिनेट छोटी हो या बड़ी हो, इस के लिए वही सबसे अधिक समझ सकते हैं कि उनकी कैबिनेट की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए और यह अपने कार्य-भार को किस तरह से सम्हाल सकते हैं। यह मैं उन के डिस्क्रीशन पर छोड़ता हूं। लेकिन क्या वह इस प्रदेश में डिप्टी मिनिस्टरों से काम नहीं ले पा रहे थे और क्या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज उस काम को नहीं कर रहे थे। यह भी मैंने देखा कि १९५७ में कैबिनेट बनने के बाद एक सदस्य को मन्त्री का पद ग्रहण कराया गया और उनको केवल एक विभाग दिया गया। तो इसको देखते हुए कि आपके मंत्रियों की भी तादाद बढ़ती गयी, मैं यही समझता हूं कि उसके बाद कोई बढ़ोत्तरी न होती, लेकिन आपने श्री मोहन लाल गौतम को फुलफ्लेज्ड मिनिस्टर

बनाया और अपने मंत्रिमण्डल में उनको रखा और साथ ही साथ चार डिप्टी मिनिस्टर्स को उन्नति देकर उनको मिनिस्टर आफ स्टेट बनाया। मैं सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि वह क्या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी जिसके लिए माननीय मुख्य मन्त्री महोदय को यह कदम उठाना पड़ा। यह कोई नयी चीज नहीं थी। मैंने कहा यह बहुत से प्रदेशों में भी पहले से थी। वेस्ट बंगाल का जैसे कि हवाला दिया और हमारे केन्द्र में भी है और और मुल्कों में भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं सिर्फ इस तरफ माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आखिर इसके मानेटरी इम्प्लिकेशन्स क्या होंगे, इसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा। अभी तक आप ने डिप्टी मिनिस्टर्स की तनख्वाह ७५० रुपये रखी। १०० रुपया आपने उनको हाउस के लिए, और १५० रुपया कन्वेयेंस के लिए, एलाऊंस दिया। उन चार मन्त्री महोदयों के लिए आपको एक बहुत बढ़िया डी लक्स मोटर चाहिए जो कि २२ हजार, २६ हजार, ३२ हजार जो भी हो, इस रकम की, सवारी उनके लिए चाहिए। उनको एक वेल फर्निश्ड बंगला चाहिए। मैं नहीं जानता, हो सकता है किसी के पास हो, किसी के पास न हो। यदि आज वह भी वही सुविधा मांगें, जो दूसरे मन्त्रियों के पास हैं तो मैं समझता हूं कि कोई जवाब माननीय मुख्य मन्त्री के पास नहीं है कि वह सुविधा उनको न प्रदान करें, क्योंकि वह कानून से विवश हैं। लिहाजा इसमें इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि उसके रेकरिंग एक्सपेंसेज का और दूसरा पहलू है नान-रेकरिंग एक्सपेंसेज का। आप उनको सवारी दीजिये, उनको सुसज्जित घर दीजिये यदि उनके पास घर नहीं है। यदि उनको कुछ सेंस प्रिवेल करे और वह चाहें तो कुछ किफायतशारी कर सकते हैं लेकिन कानूनी उनको कोई रुकावट नहीं है। इस बात को तो माननीय मुख्य मन्त्री, मैं समझता हूं, अधिक बता सकते हैं कि जो चार मिनिस्टर्स बनाये गये हैं उनके सर्फ में नान-रेकरिंग में कितना सर्फा बढ़ गया है और रेकरिंग में कितना सर्फा बढ़ा है। और श्रीमन्, मैं तो कहता हूं कि आपने उनको इन्कम टैक्स फ्री क्यों नहीं दिया? मैं यह नहीं समझ पाया कि हर एलाऊंस जब फ्री देते हैं तो उन्हीं के ऊपर यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं? सिर्फ चार आदमियों के लिए आप जिस किफायतशारी का दावा करेंगे वह है क्या? १०० रुपये की किफायत इससे होती है। इससे कहीं अच्छा होता कि हम साढ़े चार हजार रुपया या चार हजार रुपया सीधे लम्प सम में उन को दे देते। मैं उनकी भी दिक्कतों को समझता हूं और उसकी वजह को समझ सकता हूं, लेकिन यह रास्ता जो है वह गलत है। इस बजट लिटरेचर के पढ़ने के बाद और तमाम अरिथमेटिक और हिसाब किताब करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मन्त्री महोदयों की तनख्वाह साढ़े चार हजार के पास पहुंचती है। लेकिन बाहर वाले तो १२ सौ समझते हैं और अब ये मन्त्री जी जो नये होंगे, इनके बारे में तो यह कहा जायगा कि वह इन्कम टैक्स भी देते हैं। इन्कम टैक्स फ्री नहीं है, लेकिन इसका परिणाम क्या है? आप सीधे-सीधे उनको वह तनख्वाह दे दीजिये। यह मैं समझता हूं वह डिफिकल्टी उनके सामने भी है, परचेजिंग पावर आज कम हो गयी है, जिसको कि वह इस सदन में स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन परचेजिंग पावर की कठिनाई माननीय मन्त्रियों को भी अपने घरों में होती होगी और तर्क के तौर पर आप कुछ भी कहें, लेकिन आज बाजार में आप जायं, रुपये की कोई कीमत ही नहीं है जब कि आप जानते होंगे आज से २० साल पहले एक आदमी अगर कम पाता था तो भी वह सुखी था उससे, लेकिन आज ज्यादा पाने पर भी वह तकलीफ में है। तो उन दिक्कतों को आप सीधे ढंग से कहिये कि हमारा खर्चा मन्त्रिपद को ग्रहण करते हुए साढ़े चार हजार, पांच हजार से कम नहीं होता। सदन पर आप इसको छोड़ें कि वह समझ ले और देख ले उसके बाद आप जो लेना चाहें, लीजिये, या दीजिये। लेकिन आप उसको इस तरह से सर्कम्वेंट करते हैं कि कहीं ट्रैवेलिंग एलावेंस, कहीं डी० ए० और कहीं कुछ और . . .

श्री अधिष्ठाता---आप एक ही बात को बार बार रिपीट न करें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इन सब चीजों को जरा गम्भीरता से देखें। मैं तो आज इस बात पर तुला बैठा हूं कि आप

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

की डांट सह लूं, लेकिन मन्त्री महोदय को कम से कम किसी हद तक कन्विंस कर दूं ताकि वह सीधा तथा सरल मार्ग अपना लें। जहां तक पार्लियामेंटरी तरीका है मैं स्वीकार करता हूं और रिपीट हरगिज हरगिज नहीं करूंगा।

श्री अधिष्ठाता---अभी आप कितना समय लेंगे ?

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मैं अभी बहुत समय लूंगा।

श्री अधिष्ठाता---तो आप लंच के बाद भाषण जारी रखियेगा।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री, रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मान्यवर, जहां तक इस विधेयक में उस अंग का प्रश्न था जो कि मिनिस्टर आफ स्टेट से संबंध रखता था उसके सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं। अब उस अंग के विषय में मुझे कहना है कि जिसका ताल्लुक माननीय सदस्यों से है।

मान्यवर, इस विधेयक में आज यह है कि धारा २ (क) निकाल दी जाय, यानी आप सेक्शन (२) निकाल देना चाहते हैं, मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्यों को बिल्कुल साफ हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---हिन्दी में २ (क) पढ़िए।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---श्रीमन् मजबूरी यह है कि मेरे पास हिन्दी कापी नहीं है। आप ही के यहां से यह लिया है।

"Where a member of the Uttar Pradesh Legislature absents himself for less than ten days during the session of a house of Legislature or a sitting of a Committee thereof for visiting any place within the State of U. P. he shall be entitled to receive travelling allowances in respect of such journey to such place and for the return journey equal to two first class fares for each such journey irrespective of the mode of travel or the class in which the member actually travels:

Provided that for the parts of journey between places not connected by rail, he shall be entitled to mileage at the rates admissible to gazetted officers of class I:

Provided further that such travelling allowance shall not exceed the total amount of daily allownace which would have been admissible to such member under section 2 (2) for the days of absence if he had not so remained absent."

श्रीमन्, मेरे पढ़ने का अभिप्राय यह था कि जहां तक इस सदन के विचारों का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं इस पर दो रायें नहीं हो सकती हैं कि सेक्शन २ (ए) निकाल दिया जाय, लेकिन मेरे पढ़ने का लक्ष्य यह था कि यदि आप इस रूप से इसको हटा रहे हैं तो आपके सामने एक दूसरी वैधानिक आपत्ति खड़ी हो जायगी जिसके निवारण के लिये आपको कदम उठाना चाहिये। सौभाग्य से मैं उस सदन में था जब कि यह विधेयक लाया गया, उस समय आम चुनाव बहुत ही सन्निकट था। यही नहीं कि विरोधी दल के लोगों को इस पर आपत्ति थी, बल्कि उस दल के लोगों को भी आपत्ति थी और ऐसे समय जब कि आम चुनाव सन्निकट हों, हम इन चीजों को ले जाकर एलेक्टर्स को क्या मुंह दिखला सकते थे---यह कठिनाई दोनों पक्षों के लिए थी। लेकिन उस समय मैंने इसका विरोध किया था पर सरकार ने इसको उस समय सुनना उचित नहीं समझा। हो सकता है कि माननीय सदस्यगण जो १९५७ में आये हैं उनकी राय के अनुसार या उनके विचारों के अनुरूप हो रहा हो, लेकिन उस समय भी बहुत से माननीय सदस्य ऐसे

थे जो नहीं चाहते थे कि इस तरह का संशोधन हो। लेकिन आज भगवान की कृपा और मुख्य मंत्री की दया से कम से कम वह त्रुटि दूर हो चली है। लेकिन श्रीमन् मैं, आप से एक बात बतला देना चाहता हूं कि आज तक हो सकता है कि सदस्यगण सिद्धान्ततः फर्स्ट क्लास में चलना पसन्द न करते हों, लेकिन जहां तक कानून का सवाल है, आपने यह छूट दी थी कि चाहे जिस दर्जे में जायं, उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था, वह फर्स्ट क्लास ले सकते हैं। लेकिन जब आप २(ए) निकाल रहे हैं तो कल को सदस्यगण अगर थर्ड क्लास में आते थे और उन्हें फर्स्ट क्लास का किराया दिया जाता है तो वह अनुचित और अवैध होगा। यही नहीं, मैं बदकिस्मती से उसका जिक्र नहीं करना चाहता था और मैं समझता हूं कि ४२० के बहुत से मुकद्दमे चलाये जा चुके हैं। मुमकिन है वह सत्य हों या न हों, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूं। सेक्शन २ (ए) में जो अल्फाज रखे गये थे उनकी तरफ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उनके पीछे अभिप्राय था कि लेजिस्लेचर तैयार था कि हम वो फर्स्ट क्लास देंगे चाहे यात्रा किसी भी दर्जे में की जाय। लेकिन अगर २(ए) हट जाता है तो नौबत यह आयगी कि हर सदस्य फर्स्ट क्लास में चले, यदि नहीं चलना चाहता है तो उस दर्जे का किराया मिलना चाहिये जिसमें वह सफर करे...

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को गलतफहमी है। २(क) केवल अंतराल यात्रा के लिये है और जो साधारण यात्रा करते हैं, वह चाहे किसी क्लास में ट्रैविल करें, फर्स्ट क्लास ले सकते हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--श्रीमन्, मैं इसके लिये आप का कृतज्ञ हूं और मुझे इसका ज्ञान था। आपने रूल्स में संशोधन किया था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डेलीगेशन आफ पावर ऐसा विषय नहीं है जिस पर आज यहां, ही नहीं बल्कि अमेरिका में रूलिंग्स भरे हुये हैं। वहां भी यह एक ऐसी चीज है कि इसपर इतना भरोसा नहीं किया जाता है जितना कि हमारा सदन कर रहा है। आप ऐक्ट के विरुद्ध कोई भी नियम बना कर उसको वैध करार नहीं दे सकते। यह ठीक है कि २(ए) के पहले यह विद्यमान है, पहले भी था, और उसके आधार पर दिया जाता था, लेकिन वह कठिनाई इससे दूर नहीं हो सकती है।

मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं और भी मुल्कों में पावर्स डेलीगेट की गई हैं। इसके साथ ही साथ मैं देखता हूं कि जो डेलीगेशन आफ पावर्स होता है एक्जीक्यूटिव के लिये वह कहां तक उचित है और उसके अन्तर्गत वह विषय आता है या नहीं। श्रीमन्, २(ए) के रहते हुये कोई भी नियम बनाया जा सकता है और २(ए) की कन्फार्मिटी में इससे संगत रहते हुये किसी प्रकार की बाधा नहीं है, लेकिन सेक्शन २(ए) के अभाव में जो नियम बनाये गये हैं, मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वह इल्लीगल है, अलट्रावायरिस है। यह एक विषय है। हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी समझते हों कि मैं बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं जिसका दावा मैं नहीं रखता हूं या उचित नहीं है। लेकिन यह न भूलिये कि यह प्रश्न उठ सकता है और अभी दो चार घंटे पूर्व आशंकाओं के आधार पर हमने एक विधेयक पारित किया है। उन्हीं आशंकाओं को दूर करने के लिये मैं यह भी रखना चाहता हूं कि २ (क) हटा दिया जाय। मैं प्रसन्न हूं और इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने उसको हटा दिया। लेकिन एक वैधानिक आपत्ति है जिस पर आप गौर कीजिये कि ऐक्ट की ऐबसेन्स में रूल्स के रहते हुये क्या माननीय सदस्य तीसरे दर्जे में सफर कर सकते हैं और फर्स्ट क्लास का किराया ले सकते हैं। इसके अलावा सिद्धान्ततः भी यह बात अशोभनीय है। जिस दर्जे में माननीय सदस्य चलते हैं उसी दर्जे का अगर किराया लेते हैं तब तो वह शोभा की चीज है, परन्तु आप हमको दो या डेढ़ फर्स्ट क्लास दें और हम उस दर्जे में नहीं चलते हैं तो चाहे किसी भी कानून के दायरे में लाकर आप उसको वैध घोषित करें, लेकिन मैं समझता हूं कि यह शोभा नहीं देता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप ऐसा कानून नहीं पायेंगे जिस तरह से सेक्शन २ (क) हमने पारित किया था कि आप थर्ड क्लास में सफ़र कीजिये और आपको सफर खर्च फर्स्ट क्लास का दिया जाय। मैं समझता हूं कि डेढ़ फर्स्ट क्लास भी दिया जाय तो वह काफी है और

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

पहले दिया जाता था। हो सकता है कि बहुत से माननीय सदस्य मुझसे सहमत न हों, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूं। ठीक है, सिद्धान्ततः बहुत से लोग फर्स्ट क्लास में सफर करना नहीं चाहते हैं, विदेशी राज्य में भी वे नहीं जाते थे। इसके जो भी कारण हों वे ही जानते होंगे, लेकिन थर्ड क्लास में चलें और किराया गवर्नमेंट फर्स्ट क्लास का दे यह कोई शोभा की वस्तु नहीं मालूम होती है। सेक्शन २ (क) के रहते हुये वैधानिकता तो कम से कम उसके पीछे थी, लेकिन जब २(क) नहीं है तो मैं समझता हूं कि अवैधानिक भी है।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि काफी रेपीटीशन हो रहा है। अब आप कुछ और प्वाइंट्स कहें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैं श्रीमन्, चाहता यह था कि रूल्स भी पढ़ दूं, लकिन मुझे वे मिल नहीं पाये। मैं इन्तजार में था कि वे आ जायं ताकि मैं पढ़ सकूं वर्ना वह बिल्कुल ऐंटी ब्लाकवाइज हो जाता।

श्री उपाध्यक्ष--लेकिन रेपीटीशन एलाउड नहीं है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मेरे लिये भी मजबूरी थी। मान्यवर, अब मुझे यह कहना है कि जहां आप निःशुल्क सुसज्जित आवास दे रहे हैं तो यह ठीक है कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन किसी तरह का नहीं होना चाहिये। जिन मेम्बरान को रहने का स्थान नहीं मिला है उनको अगर आप कम्पेन्सेटरी एलाउन्स देते हैं तो कोई बेजा बात नहीं है और मैं तो कहता हूं कि उनको पहले से मिलना चाहिये, लेकिन फिर भी जिस स्टेज पर भी गलती को सुधार लिया जाय वह प्रशंसनीय है।

माननीय मुख्य मंत्री जी यह कह सकते हैं कि जब मिनिस्टर आफ स्टट की तनख्वाहों का सवाल आता है तो हम लोग सिंहनाद करते हैं और कहते हैं कि यह अनुचित है। लेकिन जहां हमारी सुविधाओं का प्रश्न आता है उसमें हम कोई न्यूनता नहीं करते हैं। हम लोगों को जो सुविधाएं पहले नहीं थीं वे वक्त के साथ-साथ मिलती गई, जैसे मेडिकल एड आदि। इसके पूर्व कि हम मंत्रियों के विषय में कुछ कहें हमको यह भी देखना होगा कि हम भी कुछ त्याग करते हैं या नहीं? यदि हम त्याग करें तो वह किस रूप में हो, किस मात्रा में हो, यह माननीय सदस्यों के स्वयं तय करने की बात है। इस सम्बन्ध में मेरा कुछ कहना सर्वथा अनुचित होगा इसलिये कि हो सकता है कि मैं यह सोचूं कि सरकार से तनख्वाह का एक पैसा भी न लेना चाहिये, लेकिन दूसरे सदस्यों को इसमें आपत्ति हो सकती है। इसलिये व्यक्तिगत विचार न करते हुए मैं यह जरूर चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि जब हम कैबिनेट के मंत्रिगण की तनख्वाहों और भत्तों पर आलोचना करते हैं और यह देखते हैं कि उनकी जिन्दगी आरामतलबी की है तो उसके साथ-साथ हमको भी कुछ त्याग करना अवश्यम्भावी है। वह किस मात्रा में हो इसे मैं सदस्यों के ऊपर ही छोड़ देता हूं।

अन्त में मैं केवल इतना कहूंगा कि भाषणों के उपरान्त बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिन पर मंत्रिगण विशेष रूप से प्रकाश नहीं डालते हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह दो, चार चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम विशेष रूप से जानना और समझना चाहते हैं कि मिनिस्टर आफ स्टेट की नियुक्ति से रेकरिंग और नान रेकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होगा? मिनिस्टर आफ स्टेट की जरूरत क्या थी? वह क्या जस्टिफिकेशन है, क्या औचित्य है कि जिसके आधार पर यह नियुक्ति की गई और तीसरी चीज यह कि क्या मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में भी सोचने के लिये तैयार हैं कि केबिनेट में रिशफलिंग कर दी जाय। इससे उनका काम हल्का हो जायगा। बहुतों के पास बहुत काम है, बहुत से खाली रहते हैं, तो कम से कम एक मिनिस्टर के पास एक दिन का काम तो रहना ही चाहिए। इन शब्दों को कह कर मैं बैठता हूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं यह तरमीम पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७ इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। प्रवर समिति को यह भी अधिकार प्रदान किया जाय कि वह आवश्यकतानुसार इसकी परिधि को भी बढ़ा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय आज वाद-विवाद के लिये प्रस्तुत है वह देखने में तो काफी साधारण मालूम होता है, लेकिन विषय बहुत गम्भीर है। मैंने इसको जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने का सुझाव दिया है उसके कारण हैं। केवल यही नहीं कि मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों के वेतन तथा उनकी सुविधाओं के ही विषय विवादग्रस्त चीजें हैं बल्कि माननीय सदस्यों की सुविधाओं के विषय में भी मुझे कुछ गम्भीर आपत्तियां हैं जिनको मैं मुख्य मंत्री महोदय जी के समक्ष और इस माननीय हाउस के समक्ष पेश करना चाहता हूं। जहां तक स्टेट् मिनिस्टर्स का सम्बन्ध है उसके विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि इन्कमटैक्स उनको देना पड़ेगा। इसी वजह से उनको रखने में कुछ कम खर्चा पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि जो खर्चा इस तरह से कम पड़ेगा वह बहुत नगण्य होगा। इसलिये मैं फिर अपने भाषण में इस बात को दोहराना चाहता हूं जो इसके पहले के विधेयक के सिलसिले में मैंने कहा था कि स्टेट मिनिस्टर प्रकार की एक नयी श्रेणी और एक नया वर्ग प्रतिष्ठित करना मुझे औचित्यपूर्ण नहीं मालूम होता है।

सदस्यों को जो अन्तराल यात्रा की सुविधा दी गई थी उसको ले लिया गया है। हम इसके पक्ष में पहले भी नहीं थे और हमने उसका स्वागत भी नहीं किया था। अब उसके वापस होने पर उसका स्वागत करते हैं। मैं चाहता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को कहते कि किन कारणों से यह सुविधा दी गयी थीं और किन कारणों से इनको ले लिया गया है। केवल से गोल मटोल तरीके से यह कहना कि माननीय सदस्यों की भावना को वह जानते हैं इस वजह से उन्होंने यह किया, कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझता हूं कि अगर सरकार की ओर से यह भूल हो गयी थी तो इस भूल को स्पष्ट स्वीकार करना चाहिये। मैं यह भी समझता हूं कि आज प्रजातन्त्र की प्रणाली में सरकार द्वारा जो भूल हो उसको स्वीकार करने में उसको कोई अड़चन नहीं होना चाहिये, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी मनुष्य भूल से परे नहीं है। इस प्रकार की भूल माननीय मुख्य मंत्री या अन्य मंत्री से भी या सरकार से भी हो सकती है। इसलिये अन्तराल यात्रा की सुविधा जो सदस्यों को प्रदान की गयी थी माननीय मुख्य मंत्री के भाषण में उसकी भूल को स्वीकार किया जाना चाहिये था।

मैं इस बिल को प्रवर समिति में भेजे जाने के इसलिये पक्ष में हूं कि इस सदन में भी और इस सदन के बाहर भी विशेषकर जनता के बीच में नाना प्रकार की भावनाओं को इस प्रकार से प्रकट किया गया है कि उन मंत्रियों, उपमंत्रियों, सभासचिवों और स्टेट मिनिस्टर्स को जो सुविधा और सहूलियतें या जो वेतन दिया जाता है वह ज्यादा है। वह कम होना चाहिये। विशेषकर आज के युग में जब कि हम मितव्ययिता की बात सोचते हैं उसमें कमी होनी चाहिये। विशेषकर इसलिये भी कि एक राज्य ने इस प्रकार का नमूना पेश किया है। मेरा मतलब केरल प्रदेश से है। इन सभी विवादग्रस्त विषयों के ऊपर प्रवर समिति विस्तार से अपना विचार व्यक्त कर सकती है और उस पर विवाद करके कुछ निश्चय करके सदन के समक्ष रख सकती है। इसलिये मन्त्रियों और उनके दूसरे सहयोगियों की सुविधा आदि का प्रश्न जो विवाद का विषय जनता में और इस हाउस में बन चुका है, उस विवाद को सर्वदा के लिये दूर करने के लिये, मैं चाहता हूं यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

दो, एक सुविधायें जो हम लोगों को प्राप्त हैं उनके विषय में मैं पिछले ६ साल से महसूस कर रहा हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी को उनका अध्ययन करना चाहिये और उनको फिर से रिवाइज करना चाहिए।

[श्री झारखंडे राय]

बिना किराये का आवास हमको प्राप्त हुआ है। नये नियम के अनुसार दो सदस्यों को एक कमरे में तभी रहने का अवसर मिलेगा जब दोनों लिखकर देंगे। मेरा सुझाव यह है कि अगर कमरों की संख्या बढ़ जाय, चाहे इसकी वजह पर माननीय सदस्यों से कुछ किराया लिया जाय, उनके पानी, बिजली के खर्च के लिये मीटर रखा जाय तो इसको मैं व्यक्तिगत रूप से उचित समझता हूं बजाय इसके कि दो-दो सदस्यों को एक कमरा दिया जाय। जो दारुलशफा या विधायक निवास बना हुआ है उसको जिन इंजीनियरों ने बनाया है---मैं उनको मूर्ख कैसे कहूं---६ वर्ष के अनुभव के पश्चात् भी उसके डिजाइन बनाने का कोई औचित्य मेरी समझ में नहीं आया। सरकार को इस बात का ज्ञान होना चाहिये था कि हम लोग हिन्दुस्तान के रहने वाले हैं और हमारी संख्या बढ़ कर जब ४३१ हो गई तो बहुत से तथा कथित निम्न जातियों और गरीब वर्ग के भी लोग आवेंगे जो होटलों में खाना पसन्द नहीं करेंगे और अपने खाने की व्यवस्था स्वयं करना पसन्द करेंगे। सरकार को मालूम है कि अधिकांश लोग ऐसा करते भी हैं। कमरे इस खयाल से नहीं बनाये गये हैं कि उनमें परिवार के साथ लोग रह सकें। होता यह है कि उसी कमरे में लोग सभी व्यवस्था करते हैं और कमरों की जो गति हो गई है वह सबको मालूम है। दो सदस्यों के एक कमरे में रहने की व्यवस्था उचित नहीं है, एक सदस्य के एक कमरे में रहने की व्यवस्था होनी चाहिये। सरकार को इसमें जो खर्चा पड़े उसका बोझ मेम्बरों पर डाला जाय। इंजीनियर साहब का बनाते समय खयाल रहा होगा कि वे लोग साहब हैं, पंखा खोलकर सोवेंगे और होटल में खाना खावेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे।

इस समय अधिवेशन से, २ दिन पहले और दो दिन बाद तक का माननीय सदस्यों को भत्ता मिलता है। मैं समझता हूं कि यह सुविधा खत्म होनी चाहिये। इससे हमारे बीच में अनैतिकता आती है। ऐसे सदस्य हो सकते हैं जो यहां न रहें और जिस समय या जिस दिन विधान सभा की बैठक हो उस दिन लखनऊ आवें और भत्ता पहले का भी ले लें · · · · ·

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों पर यह रिफलैक्शन है और अगर आप सम्भावना पर बात कह रहे हैं तो सम्भावना पर बात नहीं करनी चाहिये। इसलिये आप इस पर आगे न बढ़ें।

श्री झारखंडे राय---मेरा मतलब यह है कि ऐसा आधारतत्त्व नहीं होना चाहिये कि जिसमें किसी को नीचे गिरने का अवसर हो। जिस व्यवस्था से समाज का नैतिक पतन हो, उसे दूर करना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि यह नियम हमारे अन्दर अनैतिकता की चीज पैदा करता है। इसलिये मेरा इस पर विशेष जोर है कि यह धारा हट जानी चाहिये और यह व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिये।

फर्स्ट क्लास के किराये के बारे में हमारे माननीय सदस्य कह चुके हैं, लेकिन मैं भी कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के मेम्बरों की तरह से हम लोगों को भी किसी क्लास का, चाहे फर्स्ट का या फर्स्ट का न हो तो सेकिन्ड का या थर्ड का पास प्रान्त भर का मिल जाना चाहिये, अन्यथा जो जिस क्लास में सफर करे, उसका वह टिकट नम्बर दे और वही किराया उसे मिले। यही अन्य कर्मचारियों के साथ होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी अनुभव होगा कि जिस डिब्बे में हम बैठे होते हैं उसी में हमारे सामने और बगल में और लोग भी होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि विधायक हैं और लखनऊ विधान सभा के अधिवेशन में जा रहे हैं। वे हमारे सामने ही इस बात की चर्चा करते हैं और दूसरे कर्मचारी भी करते हैं कि ये लोग फर्स्ट का किराया लेते हैं जब कि चलते हैं थर्ड में। यह मैंने अपने कानों से सुना है कि लोग हमारे बारे में गालियां दे रहे हैं। इसलिये यह धारा वाहियात चीज है। नहीं मालूम किस जमाने की यह बनाई हुई है और इस मुर्दे की लाश को हम ढोये चले जा रहे हैं। अनेक आर्थिक स्तरों से माननीय सदस्य आते हैं। उनकी अलग-अलग आर्थिक अवस्थाएं होती हैं। वे चाहते हैं कि जब वे

फर्स्ट क्लास का किराया ले सकते हैं तो क्यों न लें और क्यों न अपने लिये व अपने बाल बच्चों के लिये आगे का प्रबन्ध करें और पैसा बचावें ? इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसा अवसर नहीं देना चाहिये और इसमें तरमीम की जाय।

बहुत न कह कर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यह बात आम जनता में एक विवाद का विषय बन गई है, हमारी साढ़े ६ करोड़ जनता के बीच में, कि मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर और सदस्य गण तथा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी अनुचित लाभ उठाते हैं। इसलिये म चाहता हूं कि यह विधयक एक प्रवर समिति को दिया जाय जो इसकी परिधि बढ़ा कर नियमों में आमूल और क्रांतिकारी परिवर्तन कर सके, ताकि हम लोगों को पब्लिक से गालियां न खानी पड़ें।

श्री उपाध्यक्ष—हमारे सामने श्री देवकीनन्दन विभव, झारखंडे राय जी, रामजी सहाय जी, उदयशंकर जी तथा श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल जी के संशोधन हैं। चूंकि झारखंडे राय जी का संशोधन सब से व्यापक था, उसकी स्वीकृति दी जा चुकी है। माननीय उदयशंकर जी और पालीवाल जी के संशोधन एक से हैं, लेकिन वे लोग रिपोर्ट के बारे में सीमा बांधना चाहते हैं। वे दोनों माननीय झारखंडे राय जी के प्रस्ताव में संशोधन कर सकते हैं कि रिपोर्ट इतने दिन में आ जानी चाहिये। सीताराम जी कहते हैं कि संयुक्त प्रवर समिति को दे दिया जाय। मैं समझता हूं कि पहले सीताराम जी अपना संशोधन या प्रस्ताव पेश कर लें, उसके बाद फिर उदयशंकर जी और पालीवाल जी अपने संशोधन पेश कर लें।

*श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७, को एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय, जो कि अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र पेश करे।

इसे पेश करने का कारण यह है कि दोनों सदनों के सदस्य जब इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर लेंगे तो यहां भी और वहां भी बहस कम होगी और कम समय में यह पास हो जायगा। अभी-अभी आपने सुना है जो माननीय सदस्यों ने इस पर एतराज किये हैं दोनों जगहों पर बहस होने में देर लग सकती है। हमारे अवधेशप्रताप सिंह जी ने फरमाया है कि मेम्बरों को अपना वेतन घटा लेना चाहिये; इशारा किया है कि हम लोगों को भी कुछ त्याग करना चाहिये जैसा कि मंत्री जी और दूसरे लोग कर रहे हैं। इस बारे में मेरी प्रार्थना है कि उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा बदकिस्मत हूं, कहा गया है कि सभा में अगर जो बात हो रही हो और उसका समर्थन अगर न करे तो क्षम्य हो सकता है, लेकिन अगर गलत बात हो रही है तो उसका विरोध न करना क्षम्य नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष—सब लोगों को तो आपकी बात सुनकर प्रसन्नता ही हो रही है।

श्री सीताराम शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, जो बात मैंने १० बरस पहले कही उसका लोगों ने उस वक्त तो विरोध किया, लेकिन १० बरस बाद वही बात हुई और हुआ वही जो इस नाचीज ने अर्ज किया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि अगर सच नहीं बोलता हूं तो सदन के सब माननीय सदस्यों का नुकसान होता है और अगर सच बोलता हूं तो कहा जायगा कि स्वार्थ साधन करना चाहता है। आज यह कहा जाता है और बड़े जोर से कोशिश होती कि माननीय मंत्रीगण अपनी तनख्वाह घटा लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह घटाने का सवाल राजनीतिक है। अगर प्रैक्टीकल होता तो मुझे इसमें कोई विरोध न होता और मैं इसका साथ देता। जब आजादी की लड़ाई का बिगुल बजा था तो यह नाचीज पीछे नहीं था और अगर उसे यह विश्वास हो जायगा कि ओनरेरी काम करने से देश का भला होगा तो भी मैं पीछे नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीताराम शुक्ल]

रहूंगा। पहले कहा गया कि जमींदारी खत्म कीजिये, वह खत्म हो गयी। फिर कहा गया कि पूंजीवाद को नष्ट कीजिये, पूंजी पर टैक्स लग गया। अब सवाल पैदा हो गया है कि ३० एकड़ से ज्यादा सीर किसी के पास नहीं रहनी चाहिये, आफीसरों की तनख्वाहें कम होनी चाहिये, आज आनरेबिल मेम्बर साहबान जो दो सौ रुपल्ली माहवार पाते हैं, उसमें कमी कर दी जाय। मेरा कहना यह है कि घटाना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, कोई बहादुरी नहीं है लेकिन बढ़ाना बहादुरी है। इसलिये घटाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल तो यह है कि अगर इस सदन के मेम्बरों को यह विश्वास हो जाय कि उनके रुपया न लेने से मुल्क का फायदा होगा तो वे न लेंगे, सरकारी अफसर भी अपनी तनख्वाह कम कर देंगे। लेकिन मेरी गुजारिश है कि इस घटाने से नुकसान हो जायगा। इसलिये आप इस राजनीतिक प्रचार के चक्कर में न पड़ें और किसी भावुकता में आकर कमी न कर बैठें। कहा जाता है कि कांग्रेस ने कहा था कि ५०० रुपया वेतन लो। जब कहा था मैं उस मीटिंग में था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब ये घटाने की जरूरत हो तो घटाना चाहिये। उन्होंने खुद कहा था कि जब मैं फलों का एक गिलास शरबत पीता हूं तो मुझे बहुत दुःख होता है, लेकिन जब मैं सोचता हूं कि यह मैं किसके लिये पी रहा हूं तो ख्याल होता है कि उन्हीं गरीबों के लिये, उनकी सेवा के लिये ही पीता हूं तो मुझे आशा होती है कि खुदा मुझे माफ करेगा। इसलिये जो ब्रेन वर्क करते हैं, जो आर्डर्स देते हैं अगर उनको कम दीजियेगा तो आपका काम सफर करेगा। इसीलिये उनको ज्यादा दिया जाता है। लेकिन हमारा मुल्क गरीब है। अगर मैं पुरानी प्रोसीडिंग्स लाऊं तो अकाज होगा लेकिन मैंने कहा था कि भादों का महीना जो कि खुशी का महीना है उसमें हमारे यहां ऐसे भी लोग हैं जिनके आंसू बहते हैं। पानी बरसने से तो जमींन हरी हो जाती है, लेकिन आंसू निकलने से कलेजा ठंडा हो जाता है। मैंने बहुत से साथियों को कार्यकर्ता बनाया है और केवल गरीबों के घर दिखा दिखा कर बनाया है। हम सब गरीबों की गरीबी को मिटाना चाहते हैं। हम इस गद्दी पर बैठते हैं, पंखे के नीचे बैठते हैं लेकिन फिर भी सहृदय हैं और गरीबों की गरीबी को मिटाना चाहते हैं। क्योंकि करोड़ों भाइयों के पास भादों के महीने में खाना नहीं है, यह खटकने वाली बात है लेकिन हम इसके लिये क्या करें? आप जानते हैं कि एक जज पंखे के नीचे बैठकर जजमेंट लिखता है और उसे देखकर आप कहें कि वाह-वाह जज साहब, आप तो पंखे के नीचे बैठ कर जजमेंट लिखते हैं और हमारा मुल्क गरीब है जहां कि किसान भाई नंगे पैर रह कर पानी चलाते हैं, तो हुजूरवाला, यह तो एक अच्छा प्रोपेगेंडा हो सकता है साधारण आदमी के लिये। लेकिन अगर जज साहब को वहां से हटा दिया जाय तो डकैतियां, चोरियां, कत्ल, और खून बढ़ते ही चले जायंगे। इसलिये एक आदमी पंखे के नीचे बैठ कर सही आर्डर देता है और दिमागी काम करता है तो यह कहना कि वह ऐश व आराम करता है, गलत है।

एक शिकायत मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी से और है। उसे अगर मैं न कहूं तो पाप लगता है और सामने कहता हूं तो अपने लीडर के खिलाफ बोलता हूं लेकिन हमारे शास्त्रकारों का यह कहना है "शत्रोरपि गुणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि", अर्थात् शत्रु में अगर गुण हो तो उसे भी कहना चाहिये और अगर गुरु में दोष हो तो उसे भी कहना चाहिये। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का वह बयान पढ़ा जो उन्होंने माननीय गेंदा सिंह के अनशन के सिलसिले में दिया है। आपने फरमाया है कि जब तक उनकी हंगर स्ट्राइक चल रही है तब तक इस पर गौर नहीं हो सकता। हुजूरवाला, इस तरह से यह मांग तो बढ़ती ही जायगी जितना आप देते जायेंगे। कहा गया है "न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्णवर्त्मेव पुनरेवाभिवर्धते" अर्थात्, काम से काम की तृप्ति नहीं होती, अग्नि में जितनी ही आहुति देंगे वह तेज होगी। जितनी पोलिटिकल मांगें होंगी वे तो बढ़ती ही जायेंगी, यदि आप उनकी पूर्ति करते जायेंगे, फिर तो हुजूरवाला, बड़ा मुश्किल हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी की मांग और इस बिल से क्या सम्बन्ध है?

श्री सीता राम शुक्ल--बिल्कुल सम्बन्ध है, मैं उदाहरण देकर बतला रहा हूं। आखिर मेम्बर को अपनी बात कहने का अधिकार तो है ही। तो हुजूरवाला, मैं कह रहा था कि पी० एस० पी० वाले क्या डकैती करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि दूसरे से छीन कर औरों को बांट दें? उनकी वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया है, मैं समझता हूं कि अगर ऐसी चीज होगी तो फिर बड़ी गड़बड़ी हो जायगी।

श्री त्रिलोकी सिंह--आपकी तनख्वाह दूनी कर दी जायगी।

श्री सीता राम शुक्ल--मेरी तनख्वाह दूनी हो या न हो लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि अगर मेम्बरी छोड़ दूं तो भी जमींदारी खत्म हो जाने के बाद भी इससे दुगुना तिगुना और हजार रुपये महीने तक कमा सकता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने फरमाया है कि अगर माननीय गेंदासिंह अनशन तोड़ देंगे तभी वे उनकी मांगों पर गौर करेंगे। मैं अर्ज करूं कि इसके माने तो यह है कि उनकी बातों में कुछ दम है। लेकिन चूंकि वे अनशन कर रहे हैं ऐसी हालत में अगर आप मान लेते हैं तो इससे डिसिप्लिन टूटती है, इसलिये आप अनशन तोड़ देने के बाद ही इस पर गौर करने को तैयार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप समझते हैं कि अनशन करना गलत है तो आप कह दीजिये कि हम कुछ भी नहीं सुनेंगे लेकिन अगर कुछ करना चाहते हों तो उसे पहले ही कर देना चाहिये ताकि अनशन की नौबत ही न आवे। क्योंकि अगर इस तरह से आप अनशन करने पर उदारता का व्यवहार करते जायेंगे तब तो बराबर लोगों की मांग बढ़ती ही जायगी लिहाजा यह चीज ठीक नहीं है।शासन में रिआयत नहीं होनी चाहिये क्योंकि रिआयत की भी एक हद होती है, उदारता की भी एक हद होती है। दूसरी पार्टियों का इससे मतलब तो यह है कि वे प्रोपेगेंडा करें और आपको हटा कर पावर में आवें। क्योंकि वे यहीं रह कर अपने को सन्तुष्ट कर पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--जब तक माननीय सदस्य दोनों का सम्बन्ध जोड़ न दें तब तक अनशन के सम्बन्ध में आगे बात न करें।

श्री सीताराम शुक्ल--सम्बन्ध तो जोड़ दिया हुजूर, तनख्वाह घटाने की बात न सोचिये। तनख्वाह घटाने के लिये किसी माननीय सदस्य को कोई रोकता नहीं है। हर पार्टी अपनी पार्टी के किसी सदस्य से भी इस्तीफा मांग सकती है और उनको अलग हो जाने के लिये कह सकती है क्योंकि उन्होंने वादा किया है। लेकिन जब मेम्बर यहां रहें तो उनको पूरी फैसिलिटीज दीजिये। जब आप उनसे और मिनिस्टरों से ब्रेन का काम लेते हैं तो इस माने में उनको चिन्ता से मुक्त रहना चाहिये जैसे कि हमारे बच्चों की फीस गयी या नहीं या फलां काम कैसे हो या फलां काम करने को बाकी है। यह ब्रेन का काम है--इसलिये पूरी फैसिलिटीज मिनिस्टरों को मिलनी चाहिये। आखिर क्या बात है कि ६ महीने के अन्दर ही कानून के अन्दर तरमीमें आ जाती हैं, तीन-तीन और चार दफा उनको बदला जाता है, लिहाजा इन मेम्बरों को भी जो यहां ब्रेन का काम करते हैं उनको पूरी फैसिलिटीज मिलनी चाहिये। हुजूरवाला, एक और बात अर्ज कर दूं कि मिनिस्टर साहबान को तो केवल अपने-अपने डिपार्टमेंट का ही काम करना पड़ता है एक मंत्री तो केवल अपने विभाग का ही काम करता है लेकिन जो मेम्बर साहबान हैं उनको तो हर विभाग की बात सोचनी पड़ती है और हर विभाग में सुधार करने के लिये सोचना पड़ता है, इसलिये जोश में आकर, जो लोग ब्रेन वर्क करते हैं उनको आप चिन्तित न बनाइये।

अब फ्री कमरे की बात कहूंगा कि आप ने राइट दिया हुआ है कि अगर एक कमरे में २ माननीय सदस्य रहें तो किराया न दें और अगर एक रहते हैं तो वह किराया दें। मैं अर्ज करूंगा कि एक कमरा २ मेम्बरों के लिये काफी नहीं है क्योंकि एक कमरे में पंखा एक ही है। अतः अगर आप उनसे ब्रेन वर्क लेना चाहते हैं तो उनको गर्मी में २ पंखे दीजिये। एक बात मैं और

[श्री सीताराम शुक्ल]

कहुंगा, हालांकि तबियत कहते हुये जरा डरती है कि अगर हम अपने कमरे के साथ फर्जी किसी का नाम लिख लें तो हम किराया न दें और अगर हम ईमानदारी बरतें और किसी दोस्त का नाम न लिखें तो हम किराया दें। अगर झूठ बोलें तो ठीक और अगर सच बोलें तो किराया दें। अगर हम लोग ही हिपोक्रेसी करेंगे जो कानून बनाते हैं तो हम यह कैसे आशा कर सकते हैं कि यह जो थानेदार हैं, पटवारी हैं, पेशकार हैं, अमीन हैं, कानिस्टेबिल हैं और तमाम कर्मचारी हैं वह ईमानदारी से काम करें। इसलिये आप सब को पूरा कमरा दीजिये, कमरे कम हों तो आप और बनवा दीजिये, अगर आप को विधायकों से ब्रेन वर्क लेना है तो उनको शान से रहने दीजिये। जिसको तजुर्बा न हो उसकी बात दूसरी है लेकिन सभी सदस्य जानते हैं कि हमारे यहां बारात ठहरती है, जिन लोगों के घर हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वह हमसे कहते हैं कि जरा कुछ खाते जाइये तो जब वह हमारे यहां आते हैं तो हम कैसे उनसे न कहें कि खाना खाते जाइये, बहुत से सदस्य इसी में कर्जदार होंगे, हमारे यहां की मेहमानावांजी तो मशहूर है, जब कोई दरवाजे पर आता है तो उसे खातिर से बिठाया जाता है, खाना खिलाया जाता है। हमारा खर्च, जब लोग आते हैं, तो बहुत होता है। एक ही कमरे में हम रहने और लिखने पढ़ने का काम नहीं कर सकते। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप हमसे ब्रेन वर्क लेना चाहते हैं तो अलग कमरा दीजिये अलग पंखा दीजिये और शान से और आराम से सदस्यों को रहने दीजिये।

मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि जो आने जाने का वक्त ९ दिन का था उसे जारी रखें, हमारे यहां व्हिप हैं वह समझेंगे तो रोक देंगे, आप नहीं चाहेंगे तो कोई बाहर नहीं जायगा, अगर कोई जाता है तो आप उससे स्तीफा मांग सकते हैं या कोई अगर जाना चाहता है तो वह अपने नेता से हुक्म ले लें। हुक्म होता है कि आप अपने क्षेत्र में जाते हैं या नहीं दूसरी तरफ यह ९ दिन के समय को हटाने की बात है। इसको न हटाया जाय।

इसके अलावा मैं यह भी अर्ज करूंगा कि विधायक निवासों में जो टेलीफोन लगे हुये हैं वहां जाओ तो बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है, क्यू लगाना पड़ता है, मेम्बर्स अधिक हैं और टेलीफोन बहुत कम हैं। दिल्ली में हर मेम्बर के लिये एक टेलीफोन है। उनको भी फाइव ईयर प्लान को पूरा करना है। यहां हर तरह की शर्त लगी हुई है कि इतने टेलीफोन फ्री कर सकते हो और उससे ज्यादा करो तो पैसा देना होगा।

इसके अलावा कई बार कहा गया कि हमें पूरे सूबे में घूमने के लिये फ्री पास मिलना चाहिए लेकिन कुछ न कुछ कठिनाई बताई जाती है। इस सम्बन्ध में मेरी प्रार्थना है कि जब तक आप रेल का फ्री पास न दें तब तक आप बस का ही पास दीजिये ताकि हम अपने क्षेत्र में जहां जाना चाहें जा सकें और तब हम से आप काम ले सकते हैं। तब हम आपकी खिदमत ज्यादा कर सकते हैं, हम ज्यादा अच्छा कानून बना सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि इस पहलू पर गम्भीरता से विचार कीजिये।

अन्त में मैं माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी से जो जमींदार तबके के हैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से नयी-नयी मांग पेश करने से सफलता नहीं मिलेगी। मैं मानता हूं कि उनमें बहुत अच्छे लोग हैं और मेरी पब्लिक लाइफ में बड़ी मदद की है। मैं उनका एहसान मानता हूं, मेरे दोस्त हैं। लेकिन मैं अर्ज किये देता हूं यह रास्ता अच्छा नहीं होगा कि सरकार को बदनाम करें और पावर में आयें। इस खिलवाड़ से नुकसान होगा। अगर कांग्रेस को हराना हो तो वेलकम। ठीक प्वाइंट पर ला कर कहिये। लेकिन आप ऐसी बात न कहिये जिससे कल आपको नुकसान हो जाय। आपने देखा, "इस्लाम इन डेंजर इन इंडिया" का नारा मुस्लिम लीग ने लगाया। और एक सब्ज बाग दिखला कर हुकूमत करने की कोशिश की। लेकिन जिस मुस्लिम लीग ने यह नारा लगाया उसी मुस्लिम लीग का जनाजा पाकिस्तान में दफन हो गया। आप शिकायत करें, आप हमको हराएं, कंपटीशनमें आयें और कहें

कि यह अच्छे हैं, हम इन से और अच्छे हैं। जरूर यह जेल गये। हम नहीं गये। हेल्दी कंपटीशन में आकर हराइये। लेकिन ऐसा कहना कि चूंकि वह खराब हैं लिहाजा हम अच्छे हैं इसको पब्लिक बहुत दिन तक नहीं सुनेगी। गलत प्रोपेगेंडा करके लेबर पार्टी इंगलैण्ड में पावर में आ गयी। लेकिन कुछ रोज के बाद पब्लिक ने देखा कि इनसे अच्छे तो वही थे इसलिए कंजरवेटिव फिर पावर में आ गये। अगर गलत प्रोपेगेंडा करके आप शक्ति में आजायेंगे तो हम फिर लौट कर आयेंगे। इसलिए सही-सही प्रोपेगेंडा कीजिये ताकि जीतने में भी फायदा हो और हारने में भी फायदा हो।

इन शब्दों के साथ में अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार मैं माननीय झारखंडे राय जी के संशोधन में अपना संशोधन मिला कर और इस तरह से, आप आज्ञा दें तो, संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं।

माननीय झारखंडे राय जी का संशोधन इस प्रकार है--उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और सदस्यों का (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, १९५७ को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

मैं चाहता हूं, नये संशोधन के साथ "इस सदन की एक" के स्थान पर "संयुक्त" रख दिया जाय। शुक्ल जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है वह भी इसमें शामिल हो जायगा और उस हालत में मेरा विचार है कि इस सदन में सभी को मान्य होगा और एक ही संशोधन सब के लिए हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय पालीवाल जी से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय शुक्ल जी का बिल्कुल स्वतन्त्र संशोधन है। अब आप किसमें अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं? माननीय झारखंडे राय जी का संशोधन अगर आप देखें तो परिधि बढ़ाता है, जो आप स्वयं चाहते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--एक आश्वासन मैं चाहता हूं। एक बात मैं जानना चाहता हूं। मुझे डर यह है, मैंने पहले स्वयं सोचा था कि माननीय शुक्ल जी के संशोधन में संशोधन पेश कर दूं तो वह बात पूरी हो जायगी। लेकिन मेरा भय यह है कि कहीं शुक्ल जी अपने संशोधन को वापस न ले लें इसलिए मेरा संशोधन भी रह जायगा। इसलिए मैंने यह सोचा कि झारखंडे राय जी के संशोधन के साथ ही करूं। नियम क्या है, मेरा संशोधन भी वापस हो जायगा?

श्री उपाध्यक्ष--जी हां।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--इसलिए मैं उनके संशोधन में नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--तो आप अपना संशोधन पेश कीजिये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय झारखंडे राय जी के संशोधन की दूसरी पंक्ति में "इस सदन की एक" इन शब्दों के स्थान पर "संयुक्त" शब्द रख दिया जाय।

यह तो पहला संशोधन है और इसी पहली पंक्ति में "सुपुर्द किया जाये" शब्दों के बाद "जो अपनी रिपोर्ट १२ सितम्बर १९५७ तक दे दें" शब्द रख दिये जांय यह संशोधन मैं पेश कर रहा हूं।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी माननीय सीताराम जी शुक्ल का जो भाषण हुआ उसके सम्बन्ध में एक बात के लिये तो मुझे अपनी कृतज्ञता उनके प्रति प्रगट करनी है कि उन्होंने मुझे अपना गुरु ही कहा। यह नहीं कहा कि यह बड़े गुरु हैं। मैं आशा करता हूं कि वह मुझे गुरु ही मानते होंगे और बड़े गुरु उन दूसरे लोगों को मानते होंगे जो उधर बैठते हैं। दूसरी बात उन्होंने जो कही वह ऐसी थी कि अगर उसका पालन किया जाय तो उससे मैं समझता हूं कि प्रदेश की और देश की समस्त समस्यायें आसानी से हल हो सकती हैं। उन्होंने यह कहा कि वह जो बात कहते हैं वह दस वर्ष बाद सब लोग मान लेते हैं। तो अगर ऐसा उपाय है और वह अलादीन के लैम्प से भी ज्यादा कारगर है तो वह बड़ी कृपा करेंगे मानवता के ऊपर और हमारे देश और प्रदेश के निवासियों के ऊपर अगर वह प्राथमिकता तय करके ऐसी योजना बना लें कि दस वर्ष में पहले गरीबी दूर हो और दस साल बाद बेकारी दूर हो जाय, इन सब के बारे में वह एक समय जल्दी से एक एक दिन बाद कहते जायें और सब लोग मानते जायेंगे, वह दूर होती जायेंगी, सब समस्यायें इस तरह से हल होती चली जायंगी।

इस संशोधन विधेयक के सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि जहां तक मैं समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा विधेयक है जिसके सम्बन्ध में कोई दलगत सवाल नहीं पैदा होता। मेरी राय में यह दलों से ऊपर है। यह तो सब मानेंगे कि मंत्री महोदयों को उपमंत्री महोदयों को और उपाध्यक्ष महोदय को, अध्यक्ष महोदय को और सदस्यों को भी कुछ वेतन और कुछ भत्ता मिलना चाहिये। मतभेद इस बात में है कि कितना मिलना चाहिये, मात्रा के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में नहीं है कि मिलना नहीं चाहिये। तो मैं समझता हूं कि यह जो मात्रा-भेद है उसमें कुछ विचारधारा और दलों की बात आ सकती है। लेकिन यह दलबन्दी केवल इसलिये हो कि किसी दल विशेष के लोग इस समय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं इसलिये उनकी तनख्वाह घटनी चाहिये या बढ़नी चाहिये, मेरी राय में इस तरह की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन और अपना संशोधन भी दोनों बातों को लेकर के इसी उद्देश्य से कर रहा हूं। एक तो यह कि खंडों में जिन संशोधनों की सूचना आयी है उन्हें देखते हुये, उनके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, परन्तु उनको देखते हुये यह बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है कि सदन के सदस्यों में वेतन और भत्ते की मात्रा के सम्बन्ध में काफी मतभेद है और वह मतभेद जैसा मैंने पहले कहा कि यह पार्टियों का मतभेद नहीं है, उधर के सदस्यों ने भी कुछ बातें रखी हैं और इधर से भी कुछ रखी गई हैं और इसीलिये कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी यह प्रस्ताव रखा है कि यह प्रवर समिति के सुपुर्द होना चाहिये। तो इसलिये मैं समझता हूं कि इस मतभेद को दूर करने और यथासम्भव, जहां तक हो सके, अगर सर्वसम्मति नहीं तो, महदूद सम्मति से, अधिक से अधिक सम्मति से, इस विधेयक को यहां पास करने के लिये यह आवश्यक है कि यह एक संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय और अगर यह हो कि थोड़े समय में प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकेगी, तो उसके लिए मैंने १२ सितम्बर की एक अवधि दोनों बातों का ध्यान रखते हुये रखी है। पहली बात तो यह कि कम से कम १४ दिन का या १२, १३ दिन का समय मिल जाय संयुक्त प्रवर समिति को उस पर विचार करने के के लिये और दूसरे यह कि उसकी रिपोर्ट १२ सितम्बर तक आ जाय जिससे यह इसी अधिवेशन में पारित हो जाय। यह दोनों बातें उससे पूरी हो जाती हैं। इससे अधिक मैं इस सम्बन्ध में इस अवसर पर नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि यह तो खंडों के संशोधनों के अवसर पर मैं उन बातों को कह लूंगा। और अगर प्रवर समिति वाली बात माननीय मुख्य मंत्री ने मान ली तो वहां मैं अपने विचार प्रकट कर लूंगा।

यहां मैं केवल एक बात की और माननीय मुख्य मंत्री और इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह बात माननीय सदस्यों के आवास के सम्बन्ध में है। मैं समझता हूं कि सरकार का प्राथमिक कर्त्तव्य है कि वह सदस्यों के आवास का ही नहीं, सदस्यों के लिये उपयुक्त आवास का प्रबंध करे। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मकानों की कमी इतनी ज्यादा है कि होटलों में भी जगह नहीं मिलती और किराये पर भी मकान नहीं

मिलते। अगर सरकार आवास का भी प्रबंध नहीं करेगी तो सदस्यों में कुछ के लिये रहना बहुत मुश्किल हो जायगा और कुछ के लिये असंभव हो जायगा सिवा इसके कि वे फुटपाथ पर सोवें और फिर जनता की सेवा करें।

आवास का ही सरकार को प्रबंध नहीं करना है, उपयुक्त आवास का प्रबंध करना है। उपयुक्त आवास के मानी यह नहीं हैं कि विशाल भवन हो, लेकिन उपयुक्त आवास के क्या मानी है वह मैं बतलाता हूं। सबसे पहले मैं यह समझता हूं कि हर एक सदस्य के लिये कम से कम एक कमरा अवश्य होना चाहिये। उसके साथ एक स्नानागार और एक शौचालय, इतना तो कम से कम अवश्य होना चाहिये। इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। इतना तो मैं समझता हूं कि जब आप हरिजनों के लिये क्वार्टर्स बनाते हैं, उनमें भी इतना प्रबंध कर देते हैं। मजदूरों के लिये जब आप क्वार्टर्स बनाते हैं तो उनमें भी इतना प्रबंध कर देते हैं। इसमें कोई विशेष सुविधा या विशेष विशेषाधिकार का सवाल आता नहीं। केवल मानवता का सवाल है। आज सबके लिये यह आवश्यक माना जाता है कि कम से कम एक कमरा अलग-अलग होना चाहिये।

डबल कमरे की जो बात है वह तो सर्वथा अवांछनीय है। इस समय दोनों बातों की असुविधा यहां विद्यमान है। पहले तो यह कि बहुत से सदस्यों को यह आवास मिलता ही नहीं। इस समय भी बहुत से सदस्य हैं जिनको कि आवास नहीं मिला है। मैं जानता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी भी जानते होंगे कि एक उत्तर में माननीय वित्त मंत्री ने कुछ संख्या बतलाई थी कि इतने लोगों के आवास का कोई प्रबंध नहीं हो पाया है। इसलिये उस आवास का प्रबंध होना चाहिये और कम से कम एक कमरा हर एक विधायक के लिये होना चाहिये। बड़े कमरों को डबल कमरा कहना बिलकुल गलत और अनुपयुक्त है। डबल के मानी क्या हैं? क्या आकार में वे डबल हैं? मेरे ख्याल में मुश्किल से सवाये होंगे। मेरे ख्याल में तो ड्योढ़े भी नहीं हैं और डबल तो किसी भी हाल में नहीं हैं और उनका स्नानागार और शौचालय भी एक ही है, डबल नहीं हैं। पंखे की बात मैं नहीं कहता, लेकिन उससे अधिक आवश्यक शौचालय और स्नानागार हैं। वे अलग-अलग नहीं हैं, एक ही हैं।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सदस्य डबल कमरों में रहते हैं वे जानते होंगे कि फर्नीचर भी डबल नहीं है, ड्योढ़ा भी नहीं है, शायद सवाया हो। केवल नाम डबल है और उस डबल कमरे में कहा जाता है कि दो सदस्य रहें और अगर वे साथ-साथ रहें तो दोनों सदस्यों की प्राइवेसी का कोई इन्तजाम नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं समझी जाती और समझा यह जाता है कि जैसे घोड़े एक-एक अस्तबल में कई-कई बांध दिये जाते हैं, अगर उसी तरह सदस्यों के कमरे बड़े बना दिये जायं तो ४, ४ क्यों न रख दिये जायं। मैं समझता हूं कि यह सर्वथा अनुचित बात है। दोनों सदस्यों से मिलने वाले लोग आते हैं। उनके बैठने के लिये जगह कहां होगी एक कमरे में दो-दो के मिलने वालों के लिये। अगर एक के पास लोग मिलने आते हैं और दूसरा कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ आराम करना चाहता है और वहां उनकी बातचीत होने लगी तो वह क्या करेगा। तो मैं डबल कमरों वाली बात अमानवीय समझता हूं और ऐसा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। छोटा कमरा दिया जाय और एक कमरा दिया जाय, लेकिन एक सदस्य का कम से कम एक कमरा होना चाहिये। और इस समय जो यह व्यवस्था कर रखी है कि जो डबल कमरे ले लें वह दुगना किराया दें, यानी एक तो सुविधा नहीं और दूना किराया लेंगे? तो दुगना किराया लेना जबकि सुविधा बिलकुल नहीं है, मैं अनुचित समझता हूं। इसको मैं सही मान सकता हूं कि जितनी सुविधा है उसके हिसाब से किराया बढ़ा लें, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि जैसा कि लोक सभा के सदस्यों के लिये प्रबंध है, वैसा ही यहां भी हो जाय मैं यह नहीं कहता कि क्वार्टर वैसा ही सुन्दर हो और अच्छा हो, वह चाहे छोटे हों, किन्तु हर एक के लिए अलग-अलग हों। जो प्रदर्शनी हुई थी मकानों की नयी दिल्ली में, उसमें सस्ते मकानों के डिजाइन दिये हुये थे। उसमें ४–६ हजार के ऐसे मकान थे जिसमें कम से कम दो–दो, तीन-तीन

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

कमरे थे। तो एक विशाल भवन बनाना जिसमें कि ८–१० हजार रुपया खर्च हो अपने चीप मैटिरियल से उन नमूनों के अनुसार जो सस्ते मकानों के हैं, वैसे बनवाइये और ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि ६ हजार या ८ हजार में दो-दो कमरे हों। इससे खर्चा कम होगा, चाहे किराया ज्यादा रख दीजिये, लेकिन यह अनुचित मानता हूं कि १० हजार का एक कमरा बनवा करके उसमें कबूतरों की तरह से सदस्यों को रख दिया जाय न फैमिली लाइफ हो, उधर बच्चे रो रहे हैं, इधर मिलने वाले आये हैं, न अध्ययन, मनन और चिन्तन का समय है। तो मैं यह कहता हूं कि खर्चा बढ़ाने की बात मैं नहीं कहता। खर्चा कम कीजिये, सस्ते मकान बनाइये, लेकिन सुविधा दीजिये। एक तरफ आप अच्छे मकानात बनाना नहीं छोड़ना चाहते और डबल खर्चा नहीं करना चाहते, तो इन दोनों के बीच में रचनात्मक मेरा सुझाव यह है कि फैब्रीकेटेड हाउसेज सस्ते मकान बनायें और एक कमरा कम से कम, जितने में बैठता हो वैसे दे दीजिये। यदि दो कमरे हर एक के लिये हों तो कुछ प्राइवेसी भी हो सकती है। लेकिन एक कमरा है, डाइनिंग रूम भी उसी में है, शयनागार भी उसी में है, ड्राइंग रूम उसी में है और गेस्ट रूम भी उसी में हो जाता है, तो एक एक कमरे में ५–५ कमरे कर लेना जैसे पुराने जमाने में जेल में तसला होता था जो सब बरतनों का काम करता था, वैसा ही यह प्रबंध है कि एक कमरा सब कमरों का काम करे। यह कुछ ज्यादा हो जाता है, इस लिये मेरा निवेदन यह है कि सरकार इस बात पर विचार करे जितना खर्चा आप एक के लिये करते हैं उसी खर्चे में दो का प्रबंध कीजिये, उससे खर्चे में कोई अन्तर नहीं पड़ता और सदस्यों को अधिक सुविधा मिल जाती है।

इसके अलावा बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो परिवार के साथ इसलिये रहना चाहते हैं कि उनके स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है कि वह होटल का खाना न खावें, घर का ही खावें। उनके लिये फैमिली क्वार्टर्स का प्रबंध किया जाय--किराया ज्यादा ले लीजिये, अपना कोई खर्चा न बढ़ाइये, फाइनेंश्यल इकोनामी रखिये। अगर १५ हजार में बनता हो तो आपकी जो कास्ट आती हो उस हिसाब से उतना किराया रख लीजये, लेकिन यह सुविधा सदस्यों को मिलनी चाहिये।

इतना ही इस समय मुझे निवेदन करना है और मैं आशा करता हूं कि यह सदन और माननीय मुख्य मंत्री जी इन बातों पर विचार करेंगे और कोई ऐसा हल निकालेंगे जिससे यह असुविधा जो आज सदस्यों को है, वह दूर हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--उदयशंकर जी, आप अपना संशोधन पेश ररेंगे ?

श्री उदयशंकर (जिला बस्ती)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन तो मैं नहीं पेश करना चाहता, लेकिन अगर इजाजत दें तो मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--अच्छी बात है, कीजिये।

श्री उदयशंकर--माननीय शुक्ल जी ने एक संशोधन पेश किया है, मेरा खयाल है उसमें सब बातें आ जाती हैं और मुझे कुछ आगे अपना संशोधन पेश करने की जरूरत नहीं मालूम होती। असल में इस बिल में जो बात आई है उससे थोड़ी सी परेशानी पैदा होती है। एक तो यह कि इसके खंड ३ में जो (क) है उससे माननीय सदस्यों को परेशानी पैदा होगी और वह यह होगी। यह कहा गया है कि इस बिल में जो पहला खंड है उसमें कहा जाता है कि इसे ९ अप्रैल से लागू कर दिया जाय और इसके लागू करने के बाद और खंड (क) के निकालने के बाद इसको रिट्रास पेक्टिव अफेक्ट हो जाता है। इसके माने यह हैं कि जिन माननीय सदस्यों ने अन्तराल यात्रा की है और लाभ उठाया है यह सोचकर कि पिछला कानून इस तरह का था कि वह इन सुविधाओं को उठा सकते थे जैसा यह बिल है अगर वैसा ही पास हो गया तो वह

चीज अच्छी नहीं होगी। लिहाजा इसमें एक संशोधन की जरूरत है, क्योंकि माननीय सदस्यों ने कानून के अनुसार लाभ उठाया और अपने क्षेत्र में गये। अब चार महीने के बाद यह कहना कि उन सुविधाओं के जरिये जो अन्तराल यात्रा की हैं उसका पैसा वापस कीजिये तो इससे कठिनाई पैदा होगी। मेरा ख्याल है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इसको दूर करने की कृपा करेंगे।

दूसरी बात माननीय सदस्यों के आवास स्थान की है और प्रत्येक सदस्य को आवश्यकता होती है कि वह विधेयकों को पढ़ें, उनको कुछ प्रायवेसी मिले जिससे वह सोच विचार सकें। लेकिन जो उनको आवास दिये गये हैं उनमें एक एक कमरे में दो-दो आदमियों को रखने से परेशानी यह होती है कि वह न तो अध्ययन कर सकते हैं, न कोई प्रायवेसी रख सकते हैं और न कोई चीज सोच सकते हैं। इसीलिये हम माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करेंगे कि वह इस बात पर ध्यान दें कि प्रत्येक सदस्य के रहन-सहन के लिये, जो सुविधायें एक पढ़े-लिखे आदमी को होनी चाहिये वह देने की कृपा करें। अगर नहीं दी जाती हैं तो एक तरह से यह बड़ी भारी ज्यादती है कि जनता के जो प्रतिनिधि आयें वह खुले बाजार में रहकर ऐसी बातों पर अच्छी तरह से विचार न कर सकें जिनका जनता की भलाई-बुराई से सम्बन्ध होता है। वह अपना पूरा समय इसलिये दे सकें यह उनके लिये सम्भव नहीं है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस ओर उचित ध्यान दिया जाय। तीसरी चीज यह है कि मैं श्री झारखंडे राय जी से इस मसले पर बिलकुल सहमत हूं कि जब इस सदन के सदस्यों के लिये यह कहा जाता है कि उन्हें आने जाने का किराया दिया जायगा तो उसके साथ यह नहीं कहा जाता कि वे जिस क्लास में चलें उसी क्लास का किराया लें। उपाध्यक्ष महोदय, हमें अपने लेजिस्लेटर्स का एक कोड आफ कांडक्ट बनाना है। हम अपने सरकारी नौकरों से तो यह कहते हैं कि तुम जिस क्लास में चलो उसी का पैसा लो और अगर वे ऐसा न करें तो इसे हम एक बहुत बुराई की चीज समझते हैं। लेकिन जो इस देश के विधाता लोग हैं वे अगर अपने सामने इस तरह का उसूल रखें जिससे उनको यह कहने के लिये प्रेरणा मिले कि विधायकों को तो इस तरह की छूट दे रहे हैं कि वे जिस क्लास में चाहें चलें लेकिन किराया डबल फर्स्ट क्लास मिलेगा, तो यह कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होगी। इसलिये आप इस नियम में चाहे जो भी संशोधन करें लेकिन यह चीज इसमें जरूर ले आयें कि यह सर्टिफिकेट हो कि जिस क्लास में वे चले हों उसी का टी० ए० लें। मैं जानता हूं कि हमारे माननीय सदस्यों को कितनी कठिनाइयां पड़ती हैं जिसके कारण वे ऐसा करते हैं। पर यह एक लांछन है जिस पर दूसरे लोग अंगुली उठाते हैं और मैं समझता हूं कि यह चीज बन्द होनी चाहिये।

जहां तक मंत्रियों या सदस्यों आदि के वेतन का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्यों को जो भत्ता दिया जाता है वह आजकल की स्थिति को देखते हुये बहुत ज्यादा नहीं है। जो मंत्रियों आदि को भत्ता दिया जाता है वह भी कुछ विशेष ज्यादा नहीं है इस चीज को देखते हुये कि उन्हें कितना काम करना पड़ता है, उनको एक प्रतिष्ठा के साथ रहना पड़ता है और सेंटर आदि में सम्चुअरी एलाउन्स आदि भी मिलता है जो यहां आप नहीं देते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि वह ठीक ही है।

श्री त्रिलोकी सिंह——उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस आदरणीय सदन के सामने उपस्थित है उसमें मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि ज्यादा वाद-विवाद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये। बहुत सीधा और सादा सवाल है कि माननीय मंत्रियों के और माननीय सदस्यों के वेतन और भत्ते के सम्बन्ध में किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये। साधारण तौर पर इस प्रकार का प्रश्न संसदीय प्रथा के अनुसार बिना किसी विरोध के, निर्विवाद, एक राय से स्वीकार किया जाना चाहिये। यह हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे आमूल प्रश्न पर भी हम एक राय नहीं हो पाते और बहुमत से और अल्पमत से वेतन के सम्बन्ध में, भत्ते के सम्बन्ध में फैसला करते हैं।

[श्री त्रिलोकी सिंह]

मेरी समझ में किसी को वेतन देने के सिलसिले में मौलिक प्रश्न यह है कि वेतन इतना होना चाहिये कि वह अपनी और अपने बाल-बच्चों की जरूरियात को पूरा कर सके। जहां तक माननीय मंत्रियों का सवाल है मेरी राय में उनको इतना वेतन मिलना चाहिये कि जिससे वह अपना और अपने परिवार के रहन-सहन का और गृहस्थ जीवन की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको ठीक से पूरा कर सकें। माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि चूंकि वह पूरे समय के लिये इस सदन की सेवा नहीं करते हैं, न इस प्रदेश की सरकार की सेवा करते हैं इसलिये उनके सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि उनको इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिये कि जिससे उनका और उनके परिवार का पालन-पोषण हो सके।

इस तनख्वाह के सिलसिले में मैं एक बात नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा और भत्ते के सिलसिले में भी यही निवेदन करूंगा कि कोई विशेष अधिकार, कोई अनोखी बात, स्पेशल प्रिविलेज, न किसी माननीय मंत्री को मिलना चाहिये और न किसी माननीय सदस्य को। माननीय मंत्रियों का इन्कम टैक्स सरकार अदा करती है। ऐसी सुविधा मुझे ही नहीं बल्कि हर एक को खटकती है। जब इस देश के रहने वाले और इस प्रदेश के रहने वाले, जितने भी हैं, उनकी आमदनी पर टैक्स वह खुद ही देते हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि माननीय मंत्रियों के सम्बन्ध में यह एक्सेप्शन किया जाय। यह सुविधा विशेष उनको क्यों दी जाय कि उनका इन्कम टैक्स सरकार अदा करे।

इसीलिये माननीय सदस्यों के भत्ते के सिलसिले में यह गुंजाइश कि गैरहाजिरी में भी उनको भत्ता मिलेगा, उसको हटाये जाने के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं। यह गैरहाजिरी का भत्ता जहां समझ में नहीं आता वहां यह सुविधा भी समझ में नहीं आती कि जितने और सरकारी कर्मचारी हैं उनको रेल से यात्रा करने पर तो डेढ़ टिकट फर्स्ट क्लास का मिलता है लेकिन असेम्बली के सदस्यों के लिये उसमें उसकी जगह दो फर्स्ट क्लास टिकटों की गुंजाइश रखी गई है। यह एक विशेष सुविधा है। जैसे इन्कम टैक्स सरकार अदा करे उसी प्रकार यह भी है। जब सरकारी कर्मचारियों को डेढ़ फर्स्ट क्लास का किराया मिलता है तो क्या कारण है कि माननीय सदस्यों को दो टिकट दिये जायं। कहा जा सकता है कि केन्द्र में पार्लियामेंट के सदस्यों के लिये जहां रेल के पास की सुविधा है वहां जब सेशन शुरू होता है तो फर्स्ट क्लास का एक टिकट का किराया उनको दिया जाता है। लेकिन मैं बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करूंगा कि वह केवल सेशन के शुरू और वापसी में ही उनको मिलता है। बीच में जितनी बार वह आयें जायें, उनको यह सुविधा नहीं है। यहां पर जितनी बार भी यात्रा कीजिये, डबल फर्स्ट क्लास का किराया माननीय सदस्य को लेने का अधिकार है और श्रीमन् .....

कई सदस्य—गलत-गलत।

श्री त्रिलोकी सिंह—माननीय सदस्य कहते हैं कि यह गलत है। मैंने अगर कोई बात गलत कही हो और भाषा के समझने में, मेरे ज्ञान में कुछ कमी रह गई हो तो मैं उन सब का मशकूर होऊंगा। मुझे मेरी गलती समझा दें। साफ-साफ लिखा है कि सदन की बैठक के-बीच में अगर कोई माननीय सदस्य इस प्रदेश के किसी हिस्से में जायें तो उनको जितने दिन की गैरहाजिरी रही है उसका भत्ता या डबल फर्स्ट क्लास का भत्ता, विच एवर इज लेस, उनको मिलेगा। मेरे सामने मसविदा नहीं है किन्तु यदि जो नियम इस सदन ने और लेजिस्लेटिव कौंसिल ने पास किये थे उनमें यह बात लिखी न हो तो मैं ओपेन टु करेक्शन हूं, मुझे वह माननीय सदस्य ठीक कर दें। मेरे अर्ज करने का मंशा यह है कि यह एक विशेष सुविधा है और मैं चाहता हूं कि जितनी भी सैलरी या एलाउन्स, जो कुछ भी माननीय सदस्य अपने लिये या मंत्रियों के लिये नियत करें, यह सदन और विधान परिषद् इस मामले में स्वीकार करे, उसमें कोई ऐसी विशेष सुविधा नहीं होनी चाहिये जो प्रदेशीय नियमों से परे हो। उनमें कोई एक्सेप्शन या नयी सहूलियत पैदा करती हो।

श्रीमन्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सदस्यों के निवास स्थान के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया और जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है उसमें भी उसका जिक्र है। मुझे नहीं मालूम कि इस प्रदेश के बाहर किसी दूसरे प्रदेश में अथवा किसी अन्य देश में जो पार्लियामेंट या असेम्बली के मेम्बर हैं उनको फ्री निवास मिलता हो। मैं पार्लियामेंट का मेम्बर शब्द इस्तेमाल करता हूं, विधायक कहते हुये मुझे कुछ संकोच होता है। विधायक उसी प्रकार लगता है जैसे जिलाधीश। उसका सम्बन्ध मैं विधता से, ईश्वर से जोड़ता हूं और इसी लिये कहता हूं असेम्बली या पार्लियामेंट के मेम्बर। मेरी राय में यह फ्री रेजीडेंस जिसकी व्यवस्था गत वर्ष से की गई इस प्रदेश में वह भी एक ऐसी व्यवस्था है कि जो लोगों के कानों में खटकती है और मैं चाहूंगा कि यह आदरणीय सदन और विधान परिषद् इस प्रकार की व्यवस्था करे कि यह फ्री रेजीडेंस की व्यवस्था माननीय सदस्यों को न रह जाय।

साथ ही मैं इस बात का पूरे तौर पर कायल हूं कि एक सदस्य को रहने के लिये एक कमरा होना चाहिये। ऐसे कमरे कि जिन में एक से अधिक सदस्य रखे जायं या उनको एक साथ रहने के लिये मजबूर किया जाय, यह मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को यहां जिस प्रकार का काम करना पड़ता है, उसमें असुविधा हो सकती है। वाद-विवाद में यह कहा गया है कि उनके मेहमान होते हैं। एक कमरे में दो मेम्बर और उनके मेहमान, बड़ी दिक्कत हो जाती है। दो मेम्बर ऐसे भी हो सकते हैं कि जो ख़यालात में बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ हों, एक दूसरे के विचारों में परस्पर विरोधी हों, और मुझे मालूम है कि इस प्रकार की यहां व्यवस्था की गई कि एक माननीय सदस्य एक दल से वास्ता रखते हैं उसी कमरे में दूसरे दल के एक व्यक्ति को रख दिया। अगर आपस में एक आदमी राज की बात करना चाहता है तो नहीं कर सकता। जहां इस बात का कायल हूं कि माननीय सदस्यों को रहने का स्थान मुफ्त नहीं होना चाहिये वहां इस बात का भी कायल हूं कि उनके रहने के स्थान की इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिये कि उन्हें एक कमरा कम से कम हासिल हो।

मैं श्रीमन्, यह भी निवेदन करना चाहता हूं और मुझे यह जानकर ताज्जुब हुआ कि जो विधेयक पेश है उसमें यह भी गुंजाइश रखी गयी है कि जिन सदस्य के रहने के स्थान का सरकार प्रबंध नहीं कर सकती है उनको उसका कम्पेन्सेटरी अलाउन्स देगी। वैसे मुझे भी साढ़े ३७ रुपये महीने की गुंजाइश पैदा होती है लेकिन इसमें २०,३० या ४० का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि यदि सरकार जिम्मेदारी समझती है और माननीय सदस्य मुनासिब समझते हैं कि उनके रहने के लिये स्थान की सुविधा होनी चाहिये तो उस स्थान की सुविधा की जाय। यह कम्पेन्सेटरी अलाउन्स मेरी समझ में दूर की बात है। यह बात काबिल एतराज होगी। स्थान नहीं है तो सरकार मकानों को रिक्वीजीशन करे या किराये पर मकान ले। नये मकानों के बनाने के, इस मौजूदा हालत में जब कि बड़ी-बड़ी योजनायें रुपये की वजह से पीछे पड़ी हुई हैं, मैं हक में हरगिज नहीं हूं। लेकिन साथ ही साथ मुझे यह भी मालूम है कि लखनऊ ऐसे बड़े शहर में इतने मकान हासिल किये जा सकते हैं जितनी की माननीय सदस्यों के लिये रहने की जरूरत है। इसलिये श्रीमन्, जो प्रस्ताव यहां पर उपस्थित किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं कि यह विधेयक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में जाय। ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के हक में मैं इसलिये हूं कि जो विधेयक यहां से पारित किया जायगा वह कौंसिल के मेम्बरों पर भी लागू होगा। उसका रूप कानून का होगा। इसलिये मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि यह विधेयक ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द कर दिया जाय। जहां तक इसका प्रश्न है कि ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी किस समय रिपोर्ट करे तो जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया था, और कौंसिल की बैठक आजकल हो रही है, मैं किसी विशेष तारीख के ऊपर या मुद्दत के ऊपर इसरार नहीं करता हूं, मैंने शुरू में कहा था कि यह मामूली और सीधा सादा बिल है। यदि मूल रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया जाय कि कोई ऐसी सुविधा जो किसी और नागरिक

[श्री त्रिलोकी सिंह]
को, सरकारी अधिकारी को या सरकारी नियम के अनुसार जिनको तनख्वाह दी जाती है या निवास स्थान का प्रबंध किया जाता है, उनको न प्राप्त हो तो फिर किसी निर्णय पर आने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिये ।

श्री रामेश्वर प्रसाद (जिला रायबरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस छोटे से बिल पर बहस करते हुये मैं माननीय सदस्यों के तर्क को बहुत गौर से सुन रहा था। मुझे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि हमारे जो पहले वक्ता अवधेश प्रताप सिंह जी बोले उनकी कुछ ऐसी बातें हुयीं जो मेरी समझ में नहीं आयीं। एक तरफ जब उन्होंने आलोचना की तो झारखंडे राय जी ने अपनी राय भी उनके साथ जोड़ दी। उन्होंने कहा था कि स्टेट मिनिस्टर के अप्वाइन्टमेंट में औचित्य क्या है। उसी जगह पर उन्होंने इस बात को माना कि यह निवास का युग है, काम बढ़ा हुआ है और आखीर में उन्होंने यह कह दिया कि यह माननीय मुख्य मंत्री का काम है कि मंत्री और उपमंत्रियों का चुनाव करें। इस बात को मानते हुये कि जब वह इसकी टीका-टिप्पणी करते हैं और साथ ही उनके बोलने के कुछ मिनट पहले माननीय मुख्य मंत्री ने यह पूरा प्रयास किया था कि उनकी बुद्धि में यह बात चढ़ जाय ; फिर भी इसको समझते हुये उन्होंने वही सवाल उठाया। मैं इस पर इससे अधिक नहीं कहना चाहता हूं।

अवधेश प्रताप सिंह जी ने एक सवाल यह भी उठाया और मैं तो समझता हूं कि विरोधी पक्ष के करीब-करीब सभी सदस्यों ने इस सवाल को उठाया कि अब ही नहीं इससे पहले भी यह सवाल सदन में उठाया जाता रहा है कि मंत्रियों की तनख्वाहें ज्यादा हैं, वह कम होनी चाहिये, स्टेट मिनिस्टर्स जो रक्खे गये हैं वह भी एकोनामी मेजर नहीं है। इस तरह की दलील विरोधियों की तरफ से उठायी गयी। इस मांग में माननीय झारखंडे राय जी सबसे आगे रहते हैं। मैं उन्हें साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि यह जो मांग है यह उनकी राजनितिक मांग है। जहां तक सरकार से हो सकता है वह करती है, उसने किया है और कर रही है, वह सराहनीय है लेकिन उन्होंने कहा कि वह नगण्य है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि उनकी निगाह में हर एक चीज नगण्य ही दिखायी देती है। मिनिस्टरों ने अपनी तनख्वाह में वालेंटियरी कट किया वह भी नगण्य दिखायी दिया, वित्त मंत्री जी ने अपनी स्पीच में कहा कि मंत्रियों ने तय किया है कि चूंकि बड़ी गाड़ियों पर खर्चा ज्यादा होता है इसलिये उस खर्चे को करटेल करने के लिये छोटी मोटरें रखेंगे, वह भी उनको नगण्य दिखायी दिया। इतना ही नहीं, जब मिनिस्टर्स दौरा करने जाते थे तो उनके साथ गारद जाता था और उसका भी खर्चा पड़ता था लेकिन मिनिस्टरों ने उसमें भी कट किया और कहा कि इस गारद की जरूरत नहीं है, वैसे ही चला करेंगे। इसके अतिरिक्त कैबीनेट मिनिस्टर्स न बना कर स्टेट मिनिस्टर्स बनाये गये कि खर्चा कम हो, लेकिन फिर भी माननीय झारखंडे राय जी को वह नगण्य मालूम होता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उनकी आइडियलिस्टिक बात है। इसका सबूत हमारे पास है। केरल में उनकी सरकार कायम हुई ; उन्होंने दुनियां को दिखाने के लिये ऐलान किया कि हम ५०० रुपया तनख्वाह लेंगे। (एक सदस्य---उन्होंने किया भी है) लेकिन उनकी दूसरी बातें भी मौजूद हैं। दूसरे दिन मैंने अखबारों में पढ़ा कि भूमि के बारे में उनकी क्या नीति है। अगर मैं भूलता नहीं हूं तो यहां उत्तर प्रदेश में भूमि व्यवस्था हुई तो सरकार ने रेवेन्यू १/१० रक्खा और उसी के रेट्स से रेवेन्यू यहां लिया जाता है लेकिन केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने पास किया कि जो भूमि यों ही है उस पर १/६ लगान लगेगा और इर्रीगेशन का इन्तजाम उस भूमि पर कर दिया जायगा तो रेवेन्यू १/४ लगेगा। यह कहां का न्याय है ! दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वे तो ५०० रुपया लेते हैं।

श्री त्रिलोकी सिंह---मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि यह पुराना रेट है, नया नहीं है।

श्री रामेश्वर प्रसाद---मैं माननीय विरोधी दल के नेता का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उस प्रोपेगेंडा का जवाब दे दिया जो अक्सर किया जाता था।

श्री झारखंडे राय---वहां ३५० रुपया लिया जाता है।

श्री रामेश्वर प्रसाद---मैं यह कह रहा था कि भूमि के बारे में तो उनकी यह नीति है। यह तो एक ही मिसाल है। ऐसी और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। इसलिये किसी बात को कहना और अखबारों में निकाल देना तो आसान है लेकिन किसी काम को कार्यरूप में परिणत करना बड़ा मुश्किल है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा कि मेम्बर्स लोग अपनी सैलेरी में कट आफ करें। हो सकता है। कट आफ करने का काम अपने पर है। मिनिस्टर्स ने भी किया। डिप्टी स्पीकर साहब यहां मौजूद हैं आपने किया; उन्होंने कहा कि हम इतना नहीं लेंगे, वालंटियरी कट आफ किया तो उनको कोई नहीं रोक सका। इसी तरह से माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी इस बिल पर बोलते हुये डिक्लेयर कर देते कि हम अपनी तनख्वाह इतनी कम करते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता था। इस मौके पर, श्रीमन्, मुझे तुलसी दास जी की एक चौपाई याद आती है, उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं---"पर उपदेश कुशल बहुतेरे"। आपने तो कार्यरूप में परिणत किया, माननीय मंत्रियों ने कार्यरूप में परिणत किया और कहने किसी से नहीं गये और माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी माननीय सदस्यों को यह उपदेश तो देते हैं लेकिन खुद "दिया तले अन्धेरा" वाली बात ही चरितार्थ करते हैं। उन्हें समझना चाहिये कि वे तो एक पूंजीपति हैं और थे और उन्होंने अपनी जमींदारी के जमाने में इतना रुपया इकट्ठा कर लिया होगा कि उनका काम दो, चार, दस साल तक चल सकता है और उनकी परवरिश हो सकती है मगर गांधी जी के उस उसूल को वे भूल गये, जो उन्होंने कहा था कि जब जनतंत्रीय सरकार होगी तो किसान का बेटा प्रधान मंत्री होगा, मजदूर का बेटा प्रधान मंत्री होगा। जब हमारा यह सिद्धांत है और गांधी जी के जनतंत्र में हमारा विश्वास है तो अगर एक गरीब मजदूर का बेटा चौबीस घंटे काम करके और कहीं काम नहीं कर पाता तथा रात दिन जनता के कार्य में लगा रहे तो उसको मेन्टेन करने के लिये रुपया दे देने में ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है जिसके ऊपर ज्यादा टीका-टिप्पणी हो। फिर वहां वालंटियरी कट आफ की बात है, अगर कोई अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह देता है या कट आफ करता है तो उसके लिये कोई रोक नहीं है। फिर ऐसी सूरत में सरकार के ऊपर कटाक्ष करना कोई उचित बात नहीं है।

इसके साथ-साथ श्री झारखंडे राय जी ने जो इस सदन के पुराने सदस्य हैं किराये के बारे में कहा। उनको ऐसा तो नहीं कहना चाहिये था और जहां तक माननीय त्रिलोकी सिंह जी का सम्बन्ध है, उन्होंने कहा कि सरकार फर्स्ट क्लास का किराया देती है, तो यह एक अड़चन की बात है और हमारी तरफ के एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि यह सरकार के लिये एक कलंक है और उन्होंने एक नजीर भी दी।

श्री त्रिलोकी सिंह---मैंने डबल फर्स्ट क्लास के लिये कहा था।

श्री रामेश्वर प्रसाद---मैं अभी सिंगिल की बात कह रहा हूं, फिर डबल की बात करूंगा। कुछ सदस्यों की नजीर भी दी गयी और कटाक्ष हुआ और कहा गया कि उनके ऊपर सरकार की निगाह रहनी चाहिये। यह कहा गया है कि थर्ड क्लास में तो चलते हैं और क्यों ड्योढ़ा चार्ज करते हैं। मैं नहीं जानता कि इन माननीय सदस्यों को इतना नीचे गिरा हुआ क्यों समझ लिया जाता है। उसमें एक उसूल की बात आ जाती है। इस सदन में दो तरह की विचारधारा के हमारे माननीय सदस्य भी हैं। हमारे माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे जी जो बड़े आदमी

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

हैं वे पहले भी फर्स्ट क्लास में चलते थे और आज भी चलते हैं और इसी सदन में कुछ ऐसे साधु टाइप के मेम्बर भी हैं जिन्होंने अपना उसूल ही बना लिया है कि वे जब चलेंगे तो थर्ड क्लास में ही चलेंगे, जैसे हमारे विचित्र भाई। तो कहने का मतलब यह है कि जब दो प्रकार की बातें की जाती हैं तो सरकार की भी मजबूरी है कि वह क्या करे, क्या नीति निर्धारित करे। क्यों आप इस बात को मान लेते हैं कि सभी सदस्य थर्ड में चलते होंगे इसलिये किसी को फर्स्ट क्लास फेयर न दिया जाय और जब कि अफसरों को दिया जाता है? अगर कोई लोग उसूली तौर पर थर्ड क्लास में चलते हैं तो उसी की सहूलियत के लिये, यह जो कहा गया है कि वह कलंक है, उसी की सफाई के लिये कानून में साफ लिखा गया है कि कोई सदस्य चाहे थर्ड में या सेकिन्ड में चले उसे फर्स्ट का किराया दिया जायगा, अगर यह चीज कानून में न होती तो कलंक की बात समझी जा सकती थी। और सरकार ने तो इस तरह की सहूलियत विधायकों को दी है लेकिन कानून में साफ तौर पर दे दिया है तो कोई कलंक की बात नहीं है। हां, एक बात जरूर है कि सदन एकमत हो जाय और सरकार से रिक्वेस्ट करे कि हम फर्स्ट क्लास फेयर नहीं लेना चाहते आप इस को थर्ड क्लास का कर दें तो सरकार के सामने कोई अड़चन नहीं होगी और सरकार उसे स्वीकर कर सकती है। इसके अलावा माननीय सदस्यों के स्तर और प्रतिष्ठा का भी खयाल सरकार को है। इस सदन की प्रतिष्ठा प्रदेश में सबसे अधिक है, उस प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुये भी यह जरूरी है कि सदस्यों को इस तरह की थोड़ी सी सहूलियत दी जाय। इसके साथ-साथ श्री त्रिलोकी सिंह जी ने एक सवाल और उठाया और कहा कि यह २ फर्स्ट क्लास क्यों दिये जाते हैं जब कि अफसरों को डेढ़ फर्स्ट क्लास दिये जाते हैं और नजीर भी .....

श्री त्रिलोकी सिंह---पहले इस सदन में भी डेढ़ फर्स्ट क्लास का नियम था।

श्री रामेश्वर प्रसाद---यह आपने अपनी बात में अब ऐडीशन किया है। मैं समझता हूं कि वे लखनऊ में रहते हैं, अगर उन्होंने कभी दौरा किया होगा तो उन्हें अहसास हुआ होगा लेकिन सभी और सदस्यों ने यहां आते जाते महसूस किया है कि जब माननीय सदस्य यहां आते हैं तो उनके साथ उनके फेमली मेम्बर्स आते हैं, उनको अपने साथ खाना आदि बनाने के लिये एक दो नौकर लाने पड़ते हैं ताकि उन के यहां के काम में सहूलियत हो और अगर उनके निर्वाचन क्षेत्र का कोई आदमी संग हो लिया, उनके भी काम रहते हैं, तो वह भी पीछा कर लेते हैं और कभी-कभी अपने पैसे से भी उनके किराये में कुछ मदद करना होती है, इस सब का खयाल करते हुये यह तरीका रखा गया कि सर्वेंट का न दिया जाय बल्कि सीधे उनको दो फर्स्ट के टिकट दे दिये जायं जिस से उनके आने जाने का खर्च मीट हो जाय। उनको मालूम होना चाहिये कि अगर उनके अफसर डेढ़ फर्स्ट क्लास लेते हैं तो उसके साथ-साथ उनको सर्वेंट का किराया अलग से मिलता है।

श्री त्रिलोकी सिंह---आप को ठीक नहीं मालूम है।

श्री रामेश्वर प्रसाद---मुझे मालूम है आर्डरली का दिया जाता है, प्राइवेट सर्वेंट का नहीं दिया जाता है, जिसे चपरासी कहते हैं उसका मिलता है। तो मैं उनसे कह रहा था कि इस तरह सरकारी अफसर और एक सदस्य के डेढ़ और दो टिकट का कोई मुकाबला नहीं है और कोई बात बैठती नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि एक ऐसी बात सरकार के ऊपर कटाक्ष करने के लिये सरकार के ऊपर हमला करने की नीयत से आप ने कह दी चाहे आप का वैसा इरादा न रहा हो।

इसके अलावा यह भी मांग की गयी कि सदस्यों को जाने आने के पास दे दिये जायं या रोडवेज के पास दे दिये जायं। जहां तक मैं समझता हूं, ऐसी बात हमारी पार्टी में भी और सरकार के सामने भी कई बार आ चुकी है और सरकार ने कई दफा इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस विचार से सहमत नहीं हुई और पास की सहूलियत देने से इनकार कर दिया। इसलिये शायद पास का सिस्टम नहीं हो सका।

जहां तक रोडवेज की बात है, एक छोटी सी बात है। अभी उत्तर प्रदेश की सभी जगहों में रोडवेज चली भी नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर नैनीताल के किसी सदस्य को बस का फ्री पास दे दिया जाय अथवा नारायणदत्त तिवारी जी से कहा जाय कि नैनीताल से लखनऊ तक रोडवेज की बस से ट्रेविल करो तो मेरी समझ में नहीं आता कि कितनी तकलीफ तिवारी जी को उठानी पड़ेगी। मैं तिवारी जी के हक में नहीं चाहता हूं कि वह पास दिया जाय। उनको तकलीफ होगी।

इस के साथ ही साथ एक बात और उठायी गयी और शायद माननीय झारखंडेराय जी ने कहा कि जो दो दिन पहले का किराया दिया जाता है यह एक गैरकानूनी तरीके से दिया जाता है। मैं भूल कर रहा हूं जो दो दिन पहले का अलाऊंस दिया जाता है. . .

श्री उपाध्यक्ष--यह उन्होंने नहीं कहा कि गैरकानूनी तरीके से दिया जाता है। यह कहा कि दुरुपयोग हो सकता है।

श्री रामेश्वर प्रसाद--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह कहा कि दो दिन पहले का डेली अलाउंस जो दिया जाता है इसके दुरुपयोग होने की सम्भावना है। उनको अक्सर सम्भावना इस बात की हुआ करती है। झारखंडे राय जी साम्यवादी हैं। हम भी उन्हीं के स्तर के हैं। हम भी किसान के स्तर के हैं और वह भी किसान या मजदूर घराने के हैं। पता नहीं कैसे इतने नीचे स्तर पर सोच पाते हैं!

श्री उपाध्यक्ष--यह शब्द कृपया आप वापस लीजिये कि नीचे स्तर पर सोच पाते हैं। यह मुनासिब नहीं है।

श्री रामेश्वर प्रसाद--आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं वापस लेता हूं।

श्री त्रिलोकी सिंह--मान्यवर, उनको कुछ छूट दे दी जाय कि वह जो चाहें कहें।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--हमारा भी निवेदन है कि उनको छूट दे दी जाय।

श्री रामेश्वर प्रसाद--वह तो कार्य डिप्टी स्पीकर महोदय का है। आपकी सिपारिश की जरूरत नहीं।

श्री उग्रसेन--निवेदन तो हम कर सकते हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद--उन्होंने कहा कि दो दिन का जो अलाउंस दिया जाता है उसके गलत इस्तेमाल की सम्भावना है। तो मैं समझता हूं कि यह बात ठीक तरीके की नहीं है। अगर वही इस बात का फैसला करें तो वह इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो सदस्य उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने से आते हैं असेम्बली अटेंड करने के लिये, बड़ी दूर से, नैनीताल से, दिल्ली के किनारे से, वह गौर करें कि उनको कम से कम एक दिन पहले या दो दिन पहले वहां से चल देना पड़ता है। इस में शक और शुबहा की बात नहीं है। ऐसी हालत में जब एक मेम्बर दो दिन पहले वहां से चले और उस दिन रास्ते में खर्चा भी हो, और फिर अगर उस दिन का एलाउंस न दिया जाय तो मैं नहीं समझता हूं कि सरकार कोई बड़ी मुनासिब बात न करेगी। उस हालत में भी सरकार पर इल्जाम लगना शुरू हो जायगा कि सरकार गैरमुनासिब बात कर रही है।

साथ ही साथ अभी कहा गया कि कमरे की मांग करते हैं। विरोधी दल के नेता ने भी उसका बड़ा समर्थन किया और कई सदस्यों ने उसका समर्थन किया। उसमें एक बात यह जोड़ी कि जो यह कमरे की सहूलियत होती है, जो मेम्बर्स हैं उनसे यह उम्मीद की जाती है,

[श्री रामेश्वर प्रसाद]

उम्मीद क्या, मेरा खयाल है सभी लोग ऐसा करते हैं, जब उनको आना पड़ता है तो अगले दिन का बिजनेस क्या है उसकी तैयारी करते हैं। और अगर तैयारी के बगैर यहां आयें और किसी प्रकार की बात बोल जायं तो बड़ी गड़बड़ हो जाय और कहीं तैयारी करने के बाद भी कोई शब्द ऐसा निकल जाय तो आप उससे माफी मंगवाएं। ऐसी हालत में बहुत सतर्क रहना पड़ता है, डिप्टी स्पीकर महोदय, तो इसलिये दो दिन पहिले का किराया दे दिया जाता है ताकि मेम्बर्स चल कर आ जायं एक दिन पहले वहां पहुंच जायं और अपने तरीके से सहूलियत के साथ अपना इन्तजाम कर लें और इन्तजाम करने के बाद यह सही बात है कि एक बार जब वह चले जाते हैं और फिर आते हैं तो नमक, तेल, लकड़ी का तो इन्तजाम करना ही पड़ता है। यह तो प्राइमरी चीजें हैं और इन्हीं सब सहूलियतों के लिये वह उनको दे दिया गया; तो उसमें कोई बेकायदगी की बात या कोई बहुत दुरुपयोग की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि इतना मेरे कहने से माननीय झारखंडे राय जी को इसका जवाब तो मिल ही गया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। साथ ही साथ यह जो बात थी कि जब यहां मेम्बर न रहें तो उसके बाद उसका भत्ता नौ दिन तक उसे मिलता रहे यानी उसके आने जाने के किराये में और यहां के डेली एलाउंस में जो कम हो वह मिले, तो सरकार ने यह एक तरीका सोचा था क्योंकि सरकार हमेशा यह रुख रखती है कि हमारे मेम्बर ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा बातों को देखें और घूमें और अपना एक दृष्टिकोण बनावें ....

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन सरकार उस सुविधा को हटा रही है।

श्री रामेश्वर प्रसाद—मैं उसी पर आरहा हूं, महोदय। तो इस विचार से ही सरकार ने उसको किया था कि एक इस तरह की सहूलियत मेम्बर्स को हो जायेगी। यही दृष्टिकोण सरकार का था। लेकिन सरकार को जनता की बातों का और माननीय सदस्यों का, ट्रेजरी बेंच के दूसरे सदस्यों का भी ख्याल करना पड़ता है। मैं माननीय नेता विरोधी दल को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अन्दर ही यह विचारधारा पैदा हो गई और इसी सेशन के पहले हमारी लेजिस्लेचर पार्टी के सदस्यों ने मुख्य मंत्री से यह मांग की कि इसको आप वापस लीजिये। यह बताता हूं मैं आपको और इस बात पर फिर यह तय हुआ कि जब मेम्बर्स, पार्टी ही के मेम्बर्स मांग कर रहे हैं और मेम्बर्स जिनके लिये सहूलियत दी जाय वही लोग चाहते हैं कि न दी जाय तो सरकार इस तरह का एक बिल लाकर उसको अमेंड कर दे। इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। अगर कोई वैसी बात होती तो यह बिल उस समय लाया गया था जब कि एलेक्शन का खतरा था और अब वापस लिया जा रहा है, तो उस वक्त तो गवर्नमेंट पार्टी के लिये और खतरा था। इस खतरे का जो उन्होंने सम्बन्ध जोड़ा वह यह जोड़ा कि जब जनता में कटाक्ष हुआ तब सरकार ने वापस लिया.....

एक सदस्य—कुछ समय का भी ध्यान रखिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद—अब आज समय मिला है, जरा दिल का गुबार निकाल लें। बहुत जल्दी ही समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जब तक आप दोहरायेंगे नहीं तब तक मैं रोकूंगा नहीं।

श्री रामेश्वर प्रसाद—जी अच्छा, धन्यवाद। मैं जानता हूं मेरे विचारों की कद्र आप करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—यह मतलब मत निकाला करिये।

श्री रामेश्वर प्रसाद—तो उस वक्त ज्यादा खतरनाक बात सरकार के लिये थी। अगर जनता की भावना इसके खिलाफ होती तो उस वक्त सरकार ने इस खतरे को अपने सिर पर

लिया, माननीय सदस्यों को यह सहूलियत देने की खातिर। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय हमारी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा मजबूर किये गये और उनके विचारों से उन्हें सहमत होना पड़ा। तो अब फिर वापस ले रहे हैं। इस में कौन सी बात हो गई? यह तर्क देना कि जनता ने कटाक्ष किया तो मंत्री जी विवश हुये और वह अब वापस ले रहे हैं कोई उचित तर्क नहीं है।

इसके साथ-साथ हमारे माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने या और सदस्यों। यह सहूलियत मांगी कि सिंगिल सीटेड रूम उनको मिलना चाहिये और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी इसका अनुभव है, वैसे मैं तो ५ साल से सिंगिल सीटेड रूम में रह रहा हूं इसलिये मैं अपने लिये तो नहीं लेकिन दूसरे माननीय सदस्यों की सहानुभूति में यह कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य एक कमरे में दो दो रहते हैं उनको अड़चन जरूर होती होगी। मैं समझता हूं कि सरकार इसके लिये प्रयत्न जरूर करेगी और मेरा कुछ ऐसा अनुभव है देखने सुनने से भी कि सरकार इस बात की कोशिश कर रही है जैसे कि सरकार ने माननीय सदस्यों के लिये पिछले साल सन् ५६ में उनकी फ्री चिकित्सा की व्यवस्था की और जिनको कमरे नहीं मिले उनके लिये धीरे-धीरे रायल होटल और बलिंगटन होटल में इन्तजाम किया और शायद १ लाख रुपये की लागत के दारुलशफा में नये कमरे बनवाये जा रहे हैं। यह सारा इन्तजाम सरकार की तरफ से हो रहा है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपनी मांग रक्खी और उस मांग के साथ मेरा भी समर्थन है, तो सरकार कोई न कोई कदम जरूर उठायेगी, क्योंकि सरकार सदस्यों की उचित मांग को कभी ठुकराती नहीं।

इस के साथ ही साथ माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने भावुकता में आकर एक बात कही कि कमरा न मिलने पर जो कमरे का कम्पेन्सेटरी एलाउंस साढ़े सैंतीस रुपया दिया जाता है वह सरकार न दे, वह नहीं देना चाहिये। उसको शायद उन्होंने उचित नहीं बतलाया। मैं यह समझता हूं कि इस एलाउंस के देने का जहां तक सवाल है जब इस सदन के दूसरे माननीय सदस्य वही सुविधा पा रहे हैं, उनको कमरे मिले हुये हैं और दूसरा सदस्य जो यह मुसीबत गवारा करे, कहीं दूसरी जगह दारुलशफा के बाहर रहने का इन्तजाम करे और यह भी तो बात है कि जब रहने का इन्तजाम दूसरी जगह करेगा तो उसको किराया देना पड़ेगा, मुमकिन है लखनऊ जैसे शहर में जब माननीय नेता विरोधी दल कभी सरकार बनायें तो कोई ऐसा होम बनवा दें जिसमें सब सदस्य शेल्टर पा सकें तब तो दूसरी बात है, वर्ना जब सरकार की जिम्मेदारी है और कानून में ऐसा रख दिया है कि इस माननीय सदन के सदस्य इस चीज के अधिकारी हैं कि उनके लिये सरकार की तरफ से एक फ्री निवासस्थान का इन्तजाम हो, तो इस बात को देखते हुये यह जरूरी है कि वह सदस्य जो बाहर रहता है और किराये का मकान लिये हुये है और अपने पास से किराया देता है और जनता की सेवा के लिये इस सदन में आता है, तैयारी करके आता है तो यह जरूरी हो जाता है कि उसको कम्पेन्सेटरी एलाउंस दिया जाय, तो यह कोई अनुचित मांग नहीं है। मैं नहीं समझता कि माननीय त्रिलोकीसिंह कैसे इसकी आलोचना कर सके, उनके मुंह से यह बात सुनकर मैं दंग रह गया। उन्होंने एक बात कही कि उनको शायद लखनऊ रहने के नाते दिया जाता है.....

श्री त्रिलोकी सिंह--मिलेगा, दिया नहीं जाता।

श्री रामेश्वर प्रसाद--मिलेगा उनको। वह शायद उसको ज्यादा अच्छा नहीं समझते शायद उसको लेना पसन्द नहीं करते, तो मेरी समझ में बात नहीं आती। मुझे दोहराना पड़ेगा उस नजीर को कि वह फिर से सोचें और जैसे उपाध्यक्ष महोदय ने और मंत्री महोदय ने अपने वेतन से कटौती करवा दी, वह भी उसी प्रकार लिख कर दे दें कि मैं हाउस कम्पेन्सेटरी एलाउंस का साढ़े ३७ रुपया नहीं लेता, उसमें कटौती कराता हूं। अखबार में भी एक दिन निकल जायगा कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने अपने हाउस एलाउंस में कटौती कर दी और उसको उन्होंने नहीं या और न लें। कोई मजबूर नहीं करेगा।

श्री त्रिलोकी सिंह---आपकी सलाह मानूंगा।

श्री रामेश्वर प्रसाद---उपाध्यक्ष महोदय, जब मेरी सलाह माननीय त्रिलोकीसिंह जी माने लेते हैं तो मुझे उस विषय पर अधिक नहीं कहना है और अगर मैं कुछ अधिक कहता हूं तो ज्यादती करूंगा। फिर दूसरे माननीय सदस्यों को समय देने के लिहाज से, क्योंकि उनके साथ भी मेरी हमदर्दी है, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और माननीय उपाध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार हूं कि पहले उन्होंने बैठा दिया था, लेकिन बाद में मेरे विचारों का आदर करके उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। साथ ही मैं बिल का समर्थन करता हूं तथा संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय देवकीनन्दन विभव, आपका एक संशोधन था, लेकिन वह अस्वीकृत हो गया। अगर आप बोलना चाहें तो मैं आपको पहले मौका दूंगा।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर जो वाद-विवाद हुआ उसको मैं बड़े ध्यान से सुनता रहा हूं। पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और अपने मंत्रिमंडल को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने निर्माण कार्य की आवश्यकताओं को देखते हुए अपने वेतन में स्वयं अपनी स्वेच्छा से सौ रुपये महीने की कटौती की है। इसके साथ ही मैं मंत्रिमंडल के इस कदम को भी उचित समझता हूं कि उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि अब मंत्रियों के लिए जो मोटरकारें खरीदी जाती हैं वह बड़ी मोटर कारें नहीं खरीदी जायंगी, जब आवश्यकता होगी तो उनके लिये छोटी गाड़ियां खरीदी जायंगी। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से दो तीन बातें और निवेदन करना चाहता हूं।

मेरा खयाल यह है कि हमारे प्रदेश के मंत्रिमंडल को कुछ और दिशाओं में भी कदम आगे बढ़ाना चाहिये और एक बात जिसकी ओर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है बड़ी-बड़ी कोठियों में रहने की बात। इस मंत्रिपद के साथ कुछ जो एक ग्लेमर की बात कही जाती है जिसकी वस्तुतः कोई स्थिति नहीं है, मैं समझता हूं कि यदि हमारा मंत्रिमंडल इस बात का भी उदाहरण पेश करे कि वह बड़े-बड़े मकानों को छोड़ कर साधारण छोटी कोठियों में आ जाय तो मेरे ख्याल से एक बड़े आदर्श की बात होगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूं। हमारे मंत्रिगण जब जाते हैं अपने दौरे पर तो वहां मुझे एक बात कभी समझ में नहीं आई कि क्यों पुलिस की पोस्टिंग उनके लिए की जाती है। मैंने कभी-कभी यह देखा कि कई घंटे पहले से पुलिस के कांस्टेबिल जगह जगह पर पोस्ट किये जाते हैं। यह धारणा किसी विदेशी सत्ता के लोगों के लिए रही होगी कि उनको आवश्यकता रही हो, लेकिन हमारा मंत्रिमंडल जो कि जनता का चुना हुआ, जनता के बहुमत से आया हुआ है, मेरा ख्याल है कि उनके लिए पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि दौरों के साथ बड़ी बड़ी दावतों का भी प्रदर्शन होता है। जहां आवश्यक हो वहां अवश्य किया जाय, लेकिन प्रदर्शन को कम करने में जहां तक प्रयत्न हो सके करना चाहिए इन तीन सुझावों के बाद मैं कुछ और निवेदन अपने विरोधी पक्ष के मित्रों से करना चाहता हूं। सुनता हूं और बहुत बड़ी चर्चा होती है मंत्रिमंडल के वेतन के सम्बन्ध में, उनके दौरों के खर्च के सम्बन्ध में और जनता के बीच में बड़ी-बड़ी कहानियां सुनाई जाती हैं। मैं समझता हूं कि जनतंत्र की भावना के प्रसार के लिये इस देश में और जनता की आस्था को स्थापित करने के लिये, मेरे ख्याल से यह गलतफहमी दूर होनी चाहिये। मैंने जहां तक अध्ययन किया है कि दूसरे देशों में मंत्रियों को हमारे मंत्रियों से बहुत ज्यादा वेतन मिलता है और हमारे प्रदेश के मंत्रियों को बहुत कम वेतन मिलता है और उन पर बहुत कम व्यय होता है। मुझे मालूम है कि हमारे मंत्रिमंडल के जितने मित्र वगैरा आते हैं उनके लिये अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है लेकिन चीन में जो उनके मित्र आते हैं तो उनका खर्चा स्टेट की तरफ से होता है। मेरे एक भाई कह रहे हैं कि केरल में भी यही प्रथा है। मैं चाहता था कि इसमें संशोधन हो। मैं

अपने विरोधी पक्ष के नेता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि सम्भव है आज वह विरोधी पक्ष में हैं कल को उनको भी मंत्रिमंडल का स्थान ग्रहण करने का अवसर मिले। मैं कहता हूं कि जनतंत्र की भावना में आस्था होनी चाहिये।

सार्वजनिक जीवन के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनके जीवन के लिये कुछ स्थायित्व होना चाहिये। मैंने संशोधन उपस्थित किया था कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया जाय वह इसलिये कि मैं यह जानता था कि इसमें कोई बड़ा भारी गहन विषय नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि विरोधी पक्ष के सदस्य जो सदन में भाषण करते हैं वह कुछ गैलरी के लिये होता है और सिलेक्ट कमेटी में उनकी भावना दूसरी हो जाती है, वह रीजनेबिल हो जाते हैं और उनमें बौद्धिक विकास हो जाता है और वह सही रास्ता दिखाने लगते हैं। आज जो इस देश में जनतंत्र बनाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं उनके जीवन में क्या स्थायित्व है? सब से बड़ा व्यक्ति मुख्य मंत्री होता है फिर मंत्रिमंडल होता है। यह पांच साल के लिये चुने जाते हैं। उनके लिये न कोई पेंशन होती है और न उनके बच्चों के लिये कोई शिक्षा आदि की व्यवस्था है। जो व्यय उनको मिलता है उसमें से बहुत सा तो सार्वजनिक कार्यों में खर्च हो जाता है। हमारे जो माननीय सदस्य ५ साल के लिये आते हैं उनका कितना खर्चा एलेक्शन में हो जाता है, उसके बाद २०० रुपये पाते हैं। अगर वह सच्चाई के साथ लेजिस्लेशन का कार्य करें तो कैसे निर्वाह कर सकते हैं वह सारी शक्ति यहां खर्च करें फिर अपने क्षेत्र में जायं। फिर भी विरोधी पार्टी के लोग जनता में इस बात का प्रचार करते हैं कि असेम्बली के सदस्य वहां जाकर बड़ा फायदा उठाते हैं। मुझे पता नहीं कि फायदा कहां है। मैं तो स्वयं कहता हूं कि निर्माण कार्य के लिये हमें कुर्बानी करनी चाहिये और मैं तो इस बात का हामी हूं कि २०० रुपये जो हमें वेतन मिलता है उसमें से भी हमें निर्माण कार्य के लिये छोड़ना चाहिये। मैंने इसीलिये कहा कि १०० रुपये की जो कटौती मंत्रिमंडल ने स्वेच्छा से स्वीकार की अगर उसकी जगह पर वह २०० रुपये की कटौती स्वीकार करता तो मुझे और खुशी होती। मुझे आज भी खुशी होगी अगर हमारे सदस्यगण भी स्वेच्छा से कटौती स्वीकार करें। मैं आज इस बात की घोषणा करता हूं कि मैंने स्वेच्छा से १० फीसदी, यानी २० रुपये माहवार की कटौती स्वीकार की है। लेकिन एक बात मैं थोड़ी सी और कहना चाहता हूं और वह बड़ी गम्भीरता की बात है कि अगर हम मंत्रियों, उपमंत्रियों, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज आदि के वेतन की तुलना अपने यहां की सर्विसेज के ग्रेड से करें जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज के ग्रेड से कम है तो हमें मालूम होगा कि चेयरमैन, पब्लिक सर्विस कमीशन को २,५०० रुपये माहवार और बाकी मेम्बर्स को २,००० रुपये माहवार, चीफ सेक्रेटरी साहब को ३,००० रुपये माहवार, सेक्रेटरीज को औसतन २,५०० रुपये माहवार, रिआर्गेनाइजेशन कमिश्नर को ३,००० रुपये माहवार, डिप्टी और एडीशनल सेक्रेटरीज को करीब १,३०० रुपये माहवार असिस्टेंट सेक्रेटरी को १,२०० रुपये माहवार, डायरेक्टर आफ एकोनामिक्स ऐंड स्टैटिस्टिक्स को करीब १,५०० रुपये माहवार, लैण्ड रिफार्म्स कमिश्नर को ३,००० रुपये माहवार, असिस्टेंट लैण्ड रिफार्म्स कमिश्नर को १,७०० रुपये माहवार और डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स में कलेक्टर का जो ग्रेड है वह ८०० रुपये से लेकर २,२५० रुपये तक है और अगर उनका ऐवरेज निकाला जाय तो १,५०० रुपये माहवार के करीब आता है, चीफ जज को ४,००० रुपये, दूसरे जज साहबान को ३,५०० रुपये, रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को १,५०० रुपये, डिस्ट्रिक्ट जज को १,१०० रुपये से लेकर २,२५० रुपये तक माहवार मिलता है। ऐवरेज में डिस्ट्रिक्ट जजेज का १,८०० रुपये माहवार आता है। ये मैंने कुछ थोड़े से आंकड़े आपके सामने दिये और इसके मुकाबले में आपके चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को केवल १,२०० रुपये मिलते हैं जिसमें से १०० रुपये की उन्होंने स्वेच्छा से कटौती की है। आपको यह भी पता है कि हमारे मिनिस्टर्स कितने घंटे काम करते हैं।

(इस समय ४ बज कर ३५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री हरिश्चन्द्र सिंह पीठासीन हुए।)

अब मैं आपको जरा यह भी बताऊं कि दूसरे देशों में मिनिस्टर्स के ऊपर क्या खर्च होता है। इंगलैण्ड में जहां कि आबादी शायद हमारे यू० पी० से काफी कम है दूसरे खर्चा

[श्री देवकीनन्दन विभव]

के अलावा १०,००० पौंड वहां के प्राइम मिनिस्टर को मिलता है । आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि अमरीका के प्रेसीडेंट को १ लाख डालर तनख्वाह मिलती है और ४०,००० डालर आगन्तुकों के स्वागत के लिये और ५०,००० डालर और व्यय के लिये मिलते हैं । इसके अलावा कितना खर्चा और होता है उसका अन्दाजा यहां देना बहुत कठिन है । इसी तरह से मैं और देशों की बात भी कहता हूं । इंगलैण्ड की पार्लियामेंट के मेम्बरों को अगर उनकी सब सुविधाओं को सम्मिलित कर लिया जाय तो करीब करीब १,५०० रुपया एक पार्लियामेंट के मेम्बर को मिलता है ।

इसी तरह से दूसरे देशों की बात की भी आप तुलना करें तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में, जिस त्याग के साथ यह जनतन्त्र का एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें हमें कोई खतरे की बात नहीं है । जनता में यह भी कहा जाता है कि आखिर हम जनतन्त्र में खर्चा किस पर कर रहे हैं । जनतन्त्र में हमारे सब व्यय को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हम कितना व्यय करते हैं । मैंने कहा था कि असेम्बली पर, सारे मंत्रि मंडल पर तथा डिप्टी मिनिस्टर पर तथा पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी पर हम ६ लाख ६ हजार रुपया खर्च करते हैं और इसमें हर तरीके का खर्चा शामिल है जब कि हम अपने गवर्नर पर ज्यादा नहीं करीब-करीब ५।। लाख रुपया खर्च करते हैं । जब यहां पर पहले पहल रिफार्म हुई और पहले पहल मंत्रिमंडल बना तो उस समय, जब कि यहां पर ताल्लुकदारों का बहुत बोलबाला था, क्या वेतन नियत किया गया, इसको भी आप देखें । उस समय मंत्रियों का वेतन पहले पहल ५ हजार रुपया मासिक रखा गया था । आगे चल कर तीन हजार कर दिया गया लेकिन उस ५ हजार के वेतन को अगर आजकल के प्राइस इंडेक्स से केलकुलेट किया जाय तो २० हजार मासिक का रेम्युनरेशन हो जायगा । फिर आपको यह भी देखना होगा कि वे क्या काम करते थे और उनको क्या अधिकार था । आज एक-एक मिनिस्टर के विभाग में १५-१५ करोड़ रुपया खर्च होता है और जैसा कि उनके ऊपर आज हमने उत्तरदायित्व रक्खा है उसके मुकाबले में जो हम उनको ग्यारह सौ रुपया वेतन देते हैं, उसमें क्या ऐतराज हो सकता है ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--लेकिन यह हिन्दुस्तान है । आप यहां की पर केपिटा इनकम को भी देखिये ।

श्री देवकीनन्दन विभव--मैं पर केपिटा इनकम की बात सोच कर ही कह रहा हूं । मेरा खयाल है कि सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के स्टैंडर्ड को बनाने के लिये हमें थोड़ा सा इस प्रकार से काम करना पड़ेगा । मैं यह जानता हूं कि यह निर्माण का समय है और इस समय जितनी भी कुरबानी हो उतना ही अच्छा है । अगर हम थोड़ी और भी कुरबानी कर सकें तो अच्छा है । लेकिन इसके साथ ही मैं इसको इसलिये कहता हूं कि विरोधी पक्ष इसकी आड़ लेकर बड़ा प्रचार करता है जिससे जनता में जो जनतंत्र के प्रति आस्था है, जो नींव है, वह हिलती है । जनतंत्र के प्रति जो भावना है, जो विश्वास है, वह हिल जाता है । इसलिये मेरा कहना है कि आप जो भी वेतन मिनिस्टर्स का रखें वह अपने देश की संस्कृति और त्याग की भावना को देख कर रखें लेकिन साथ ही हमको ऐसा वेतन मुकर्रर करना चाहिये जिससे जो लोग वहां आयें ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर सकें ।

इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने जो एक यज्ञ प्रज्वलित किया था उसमें हमें ऐसे-ऐसे योग्य और महान् व्यक्ति मिले जो शायद अगर बाहर रहते तो यहां से ज्यादा आमदनी पैदा कर सकते थे और चाहें तो आज भी यहां से बहुत ज्यादा पैदा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने त्याग किया । हमें अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसी बात करनी चाहिये जिससे दूसरे क्षेत्र में उसे जो आर्थिक लाभ होता हो उसको छोड़ कर भी योग्य व्यक्ति इस ओर आकर्षित हो सकें, नहीं तो हमें बड़ी कठिनाई होगी । हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है । जब मुल्क का कोई कानून बनाया जाता है तो भावना और सेंटीमेंट्स से काम नहीं चलता । उसमें हमें वास्तविकता को सामने रखना चाहिये ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---आप तो इमोशनल हो रहे हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव---मैं समझता हूं कि इमोशनल होना मनुष्य का गुण है लेकिन इमोशनल के साथ-साथ उसको यह भी देखना चाहिये कि उसके पैर जमीन से न उठ जायं।

मैं समझता हूं कि इस सदन में सदस्यों के रहने की जो कठिनाई बतायी गयी है मेरा खयाल यह है कि वह बहुत ही आवश्यक है और वस्तुतः यह सदस्यों की एक बहुत बड़ी कठिनाई है। मैं तो यह देखता हूं कि अभी जो सेलेक्ट कमेटीज नैनीताल में हुई थीं, उनमें से एक सेलेक्ट कमेटी में मैं भी शामिल था। उनको वहां कोई अलग जगह नहीं मिल सकी और उसके परिणाम-स्वरूप हमने इस बात को ज्यादा पसन्द किया कि हम अपना अलहदा होटल में कमरा लेकर २, २ मेम्बर रहें। तो यह हालत है। मैं जानता हूं कि इसमें बड़ी कठिनाइयां हैं और पैसे की भी धारणा है। मेरा विश्वास है कि हमारा जो आवास-गृह बनाया गया है वह बहुत कास्टली है। एक डबल रूम पर करीब २२ हजार रुपया शायद खर्च किया गया है और मेरा खयाल है कि अगर अलग-अलग कमरे बनाये जाते तो १०, १२ हजार में बहुत अच्छे कमरे बन सकते थे।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बिल पर बहुत सारी बातें की गयीं मंत्रियों के वेतन के बारे में और विधायकों के वेतन तथा भत्ते के बारे में बहुत कुछ कहा सुना गया। उधर की बेंचों से कुछ लोगों ने खाली आलोचना मात्र की और कुछ लोगों का नाम लेकर कीचड़ उछाला मगर कोई तुक की बात नहीं कही। मैं महज विधायकों के बारे में ही कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कुछ सदस्य ऐसे जरूर होंगे जो बिला वेतन काम कर सकते हैं, उनके पास कुछ पूर्वजों की दी हुई सम्पत्ति होगी, या स्वयं की अर्जित सम्पत्ति होगी जिसके आधार पर वे यहां मुफ्त में काम कर सकते हैं। मगर ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो वकील होंगे या डाक्टर होंगे या किसी भी पेशे से वे अपनी जीविका चलाते होंगे। अगर उनसे यह कहा जाय कि वे बिना वेतन यहां काम करें तो यह उनके साथ जबरदस्ती की बात होगी। इससे वे शायद ऐसे मजबूर होंगे कि अपने अधिकारों के जरिये भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ें। इंगलैन्ड में पार्लियामेंट के सदस्य को १,००० पाउन्ड सालाना मिलता है। मैं पहले का अर्ज कर रहा हूं अब चाहे बढ़ गया हो। १,००० पाउन्ड के माने हुये १५,००० रुपये साल, यानी १,२५० रुपया माहवार। आप देते हैं केवल २०० रुपये माहवार। मंत्रियों में मुख्य मंत्री जी जैसे या कमलापति जी जैसे के यहां तो पान भी मिल जाता है और दूसरे किसी के यहां मिलने जाओ तो पान तो क्या मान भी नहीं मिलता है। उनकी तनखाहें इतनी तो हैं कि वे कम से कम पान तो खिला सकते हैं। विधायकों की यह हालत है कि असेम्बली चलती रहती है तो रोजाना ८,१०,४,५ मेहमान पहुंचे रहते हैं और इतना ही नहीं कि उनको पान सिगरेट देकर ही पीछा छूट जावे। अगर आप सरकार के किसी आफिसर से मिलने जाइये तो वे आपकी बात सुनकर कह देते हैं कि आदाब अर्ज, अब आप तशरीफ ले जाइये, मैं गौर करूंगा। विधायकों की यह हालत है कि उनके यहां के क्षेत्र से कोई साहब आये, उन्होंने स्टेशन पर ही पता लगाया कि कहां रहते हैं, विधायक निवास में पहुंचे और जाकर दरवाजे पर गठरी रख दी। नहाये धोये। विधायकों को उन्हें भोजन कराना पड़ता है। उनके सोने के लिये अपनी चारपाई खाली करके देनी होती है और आप जमीन पर सोते हैं वरना अगले एलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा और उनको फिर उसके बाद शाम को रिक्रियेशन के लिये सिनेमा भी दिखलाना पड़ेगा और जाते वक्त कुछ थोड़ा सा खर्च भी देना पड़ेगा। इस तरह से आप देखेंगे कि विधायकों को जो यह २०० रुपया दिया जाता है वह कोई बड़ी भारी रकम नहीं है जिसके लिये कि कहा जा सके कि बड़ा खर्च पड़ रहा है।

अभी हमारे विभव जी ने कहा कि जब शुरू-शुरू में कौंसिल बनी थी उस वक्त मिनिस्टरों को ५,००० रुपया मासिक वेतन मिलता था, मैं उनसे

[कुंवर श्रीपालसिंह]

निवेदन करूंगा कि उस वक्त हिन्दुस्तान में अंग्रेजों का राज्य था और यहां का रुपया अंग्रेज ले जाया करते थे, उस वक्त उनको जेब से ५ हजार क्या दस हजार भी निकाल लिया जाता तो और अच्छा था और उचित था लेकिन आज जबकि जनहित के लिये सब चीजें हो रही हैं, आज जब हम स्वतंत्र हैं, हमारा अपना राज्य है, इस राज्य में उस वक्त की बात का मुकाबला करना विभव जी जैसे विद्वान आदमी के लिये शोभा नहीं देता। एक चीज मैं और निवेदन करूंगा कि सदस्यों को जो वेतन दिया जाता है २०० रुपये का वह उनके लिये पूरा है या नहीं, इसके बारे में स्वयं आप ही लोगों ने अभी देखा है, कई सदस्यों ने खड़े होकर इस चीज को कहा कि फर्स्ट क्लास का किराया मिलता है लेकिन जाते हैं लोग थर्ड में, क्या यही बात इस चीज को सिद्ध नहीं करती कि उनका खर्च २०० रुपये में नहीं चलता? अगर चलता होता तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है कि फर्स्ट का किराया लेता, इतनी चौड़ी बेंच और बिजली के पंखे के बजाय थर्ड क्लास की कम चौड़ी बेंच पर उंकड़ बैठकर कोई सफर करना पसन्द करे, यह नहीं हो सकता। वह मजबूरी है, कोई चारा नहीं है, क्योंकि उसको जो २०० रुपया मिलता है वह उस के कांस्टीटुएन्सी वाले खा जाते हैं, लौटते वक्त तो वह मजबूर हो जाते हैं यहां का बिल भी पे नहीं कर पाते। इसलिये कहने और करने में बड़ा फर्क है।

दूसरे, विधायक-निवास के कमरों के बारे में कहा गया। जहां तक अलग रहने का सवाल है, वह बिलकुल सही है क्योंकि एक आदमी रात को सोना चाहता है और हममें से कुछ ही ऐसे होंगे जो रात को पढ़ते होंगे और परेशान होते होंगे कि उन्हें यहां आकर कुछ कहना है कोई तुक की बात कहीं कहनी है, वर्ना किसी को किसी चीज का शौक है, किसी को किसी चीज का, एक पढ़ने वाला होगा तो एक गाने वाला होगा, दोनों में कितना विरोधाभास हो जायगा! एक साहब तो बजट की किताब पढ़ेंगे और दूसरे साहब हारमोनियम लेकर मल्हार का राग छेड़ देंगे तो उन दोनों की कैसे निभेगी? मैं किसी का नाम लेकर कुछ कहना नहीं चाहता। जो सदस्य जिस प्रकार के हैं वह अपने हृदय में स्वयं समझ लेंगे। मेरा निवेदन यह है कि सबके कमरे अलग होने चाहिये और जैसा शुक्ल जी ने बताया कि पलंग अलग है तो पंखा एक लगा है। पलंग दो लगे हैं, दो आदमी एक कमरे में रहने के लिये हैं। गुसलखाना और पाखाना एक है। नतीजा उसका क्या होगा? बहुत से लोगों को अक्सर बदहज्मी हुआ करती है। उनको पाखाने में घंटों लग जाया करते हैं या किन्हीं लोगों को यह आदत हो जाया करती है कि उनके पास अखबार पढ़ने का टाइम अलग नहीं होता है। वह जिस वक्त पाखाने जाते हैं उस वक्त अखबार पढ़ा करते हैं। इत्तफाक से अगर एक सज्जन ऐसे मिल गये जिनको आदत है पाखाने में अखबार पढ़ने की तो दूसरे साहब को असेम्बली आने के दस मिनट ही पहले पाखाना जाने का मौका मिलेगा। वहां से लौट कर कब नहायेंगे? या अगर पूजन करने की उन्हें थोड़ी सी आदत है तो यहां ठीक वक्त पर नहीं पहुंच सकते। कहने का मतलब यह है कि हर एक को अलग-अलग कमरा मिलना ही चाहिये।

एक चीज मुझे शुक्ल जी की बड़ी पसन्द आयी। उन्होंने यह कहा कि अगर आप दिमागी काम लेना चाहते हैं, जो यहां आये हुये हैं अगर आप उनके दिमाग से क्रीम निकालना चाहते हैं तो आप उनके दिमाग को और उलझनों से बरी कीजिये। जब उसका मन किसी दूसरे मामले में फंसा रहेगा तो हरगिज-हरगिज वह इस चीज को नहीं सोच सकता है। जब उनके दिमाग में यह परेशानी भरी हुई है कि घर पर बीबी बच्चों की क्या हालत होगी, हमारे रोजगार की क्या हालत होगी, हम यहां पड़े हुये हैं, उनकी क्या दशा होगी तो कतई वह दूसरी चीज नहीं सोच सकते हैं।

भले ही थोड़ी देर के लिये यहां फर्ज अदायगी कर जायं। श्रीमन्, इस संबंध में अगर मैं एक छोटा सा किस्सा कह दूं तो शायद कोई एतराज न होगा। वह किस्सा यह है कि महाराजा बनारस के यहां एक गायक थे। उन गायक से एक रोज महाराजा साहब ने पूछा कि क्यों भाई, सुनने में आता है कि गाने के जोर से पानी बरसा दिया जाता था। गाने से आग लगा दी जाती थी। गाने से लोगों को रुला दिया जाता था। गाने से लोगों को हंसा दिया जाया करता था। क्या आप यह कर सकते हैं ? तो उन्होंने जवाब दिया कि जरूर हो सकता है। मगर इन सात स्वरों को साधने के लिये कम से कम बारह साल का वक्त चाहिये और बारह साल का वक्त ऐसा चाहिये कि उस समय मेरे दिमाग में कतई यह चीज न आये कि मुझे क्या खाना है, मेरे बच्चों को क्या खाना है, मेरे परिवार वालों को कैसे रहना है। यह ख्याल मेरे दिमाग में न आये। तो बारह साल के अन्दर मैं खुद इन चीजों को पैदा कर सकता हूं। फलतः रियासत की तरफ से उनके घरबार के खाने, रहने और पहनने के लिये इंतजाम हो गया। गायक साहब ने साधना शुरू की। तीन साल तक महाराजा साहब ने इंतजार किया। उसके बाद एक रोज वह उनके पास पहुंचे और उनसे कहा कि बहुत दिन हो गये, कुछ सुना दो। तो उन्होंने कहा कि अभी तो केवल दो स्वर साध सका हूं। छः साल में तीन स्वरों की साधना कर पाये थे। दरबार में बुलाये गये और जैसे ही वह किसी भी राग में उन तीनों स्वरों पर पहुंचते थे तो पूरा दरबार फूट-फूट कर रोने लगता था। तो जब तक ध्यान एक जगह पर केंद्रित नहीं होगा, २४ घंटे नहीं सोचेंगे, तब तक आप सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिये एक कहावत भी है "भूखे भजन न होई गोपाला, लइ लेउ अपनी कंठी माला"। अगर आप यह चाहें कि लोग अपने घरों से खर्चा करके यहां बैठ कर कानून बनायें और वह कानून सही हो, उसमें संशोधन न ले आने पड़ें तो यह खाली सोचने की बात है। होने वाली बात नहीं है। जब दिमाग एक जगह केंद्रित होगा, एक ही बात सोचेगा और उसको सोच कर जब वह काम किया जायगा तभी उस काम में सफलता हो सकती है और तभी वह काम सही हो सकता है। श्रीमन्, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता था।

उधर से कुछ लोगों ने यह कहा कि जो लोग चाहें अपनी तनख्वाहें छोड़ सकते हैं। बिलकुल सही है। इसमें भी मुझे कुछ नहीं कहना है। जो लोग अपनी खुशी से ऐसा करते हैं जैसे माननीय विभव जी ने किया तो माननीय विभव जी के लड़के मेरा ख्याल है कि अब कमाने काबिल हो गये होंगे, उनको घर से सन्यास मिल गया होगा इसलिये वह अपनी तनख्वाह कम कर सकते हैं। मगर मैं, श्रीमन्, निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, इस वक्त जितने विधायक हैं वह सब एक स्वर में बोल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सवाल इसका नहीं है कि गवर्नमेंट की बात है या मंत्री महोदय की बात है, इस वक्त बात अपने सिर पर आ गई है। लिहाजा यही एक प्वाइंट है जिस जगह पर कि इधर और उधर की राय बिलकुल मिल गई है। तो यह होता क्यों है ? यह महज इसलिये होता है कि उसे हम अपना समझते हैं। आज अगर मंत्री जी में भी यह भावना आ जाय कि वह उस तनख्वाह को अपनी समझें तो वह भी उसी तरह से उस पर चिपक जायेंगे जिस तरह से कि हम चिपक गये हैं। इसलिये अगर हमें उनसे काम लेना है, अगर हमें उनके दिमाग से काम लेना है तो हमें यह चीज उनमें पैदा करनी होगी कि हम काम अच्छा करेंगे तो हमारी तनख्वाह बढ़ेगी। लाख अच्छा काम करें तो भी उनकी तनख्वाह वही है, लाख बुरा काम करें तो भी तनख्वाह वही है। कोई देखने वाला तो है नहीं। हम लोग जितने यहां हैं, जमादार सब हैं, जिम्मेदार कोई नहीं है। इसलिये, श्रीमन्, मुझे इतना ही निवेदन करना है और मैं यह चाहूंगा कि यह बिल प्रवर समिति में भेज दिया जाय ताकि वहां लोग सहूलियत से बैठ के उसके ऊपर विचार कर सकें और अब टाइम भी हो गया है।

डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग एलाटमेन्ट कमेटीज़ के परसोनेल और उसके पुनः संगठन से संबंधित २० अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न ३९ के विषय पर विवाद

श्री मोहन लाल वर्मा (जिला हरदोई)--अधिष्ठाता महोदय, हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं कि आपने हमें आधा घंटे का समय इस पर विवाद करने को दिया। अभी सदन के सामने काफी बहस इसी बात पर हुई और करीब-करीब मसला भी वही है, हाउसिंग एलाटमेंट कमेटी का। यह उतनी ही महत्व की चीज है जैसे कि मनुष्य के लिये अन्न की समस्या है, ठीक उसी प्रकार से छोटे कस्बों में और म्युनिसिपैलिटीज में यह हाउसिंग की समस्या है। जब से रेंट कंट्रोल ऐंड एविक्शन ऐक्ट पुराने मकानों पर लागू हुआ है...

श्री अधिष्ठाता--जरा सी शांति रहे तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री मोहनलाल वर्मा--पुराने मकानों पर यह कंट्रोल लागू हुआ और एक कमेटी बनाई गई जिसके जरिये से हर गरीब आदमी और छोटे आदमी को रहने के लिये मकान मिल सके। इस कमेटी का केवल इतना ही तात्पर्य है कि वह जरूरतमन्द आदमी को मकान दे सके। परन्तु ज्यादातर यह देखा गया कि मकानों की हालत, मकान मालिकों की हालत और कमेटी की हालत और जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं बरसों पड़ी रहती हैं, नयी-नयी दरख्वास्त वाले उस कमेटी के जरिये से मकान एलाट करा लेते हैं। न कोई पुरानी दरख्वास्तें रजिस्टर में मेन्टेन होती हैं, न उनकी कोई सुनवाई होती है। मेरा तात्पर्य यह है कि यह कमेटी जो बनाई गई जिसका कि जिक्र उस रोज हमारे प्रश्न में किया गया; कमेटी में पांच सदस्य हैं, और पांच सदस्यों में एक जिलाधीश, दूसरे वहां के ऐक्स आफिशियो चेयरमैन नगरपालिका के और तीन सदस्य गवर्नमेंट नामजद करती है। उन तीन सदस्यों में जहां तक मुझे जो सूची दी गई है उस सूची को देखने से हमें यह पता लगा और खास तौर से अपने जिले का तो मैं जानता हूं कि अधिकांश नामजद सदस्य वही हैं जो कि कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे हैं। जब से यह ऐक्ट बना बराबर वही कमेटी बनी रही, पता नहीं उसका अवधिकाल कितना है या उसका अवधिकाल समाप्त होने पर फिर वही नामजद होते रहते आये। लिस्ट जो सप्लाई की गई उनमें एक सज्जन वह हुये जो दो वर्ष पहले पब्लिक सरविस कमीशन के मेम्बर हुये। उसके बाद दूसरे सज्जन जिस वक्त नामजद हुये तो उस वक्त वह एम० एल० ए० थे, उनके स्थान पर जो दूसरे सज्जन नामजद किये गये तो वह भी एम० एल० ए० थे और अब उनके स्थान पर जो सज्जन नामजद किये गये जिसकी सूचना जिलाधीश महोदय ने दी, उनके संबंध में मैंने पूछा कि ये किस हैसियत से नामजद हुये, तो मालूम हुआ पब्लिक वर्कर की हैसियत से। मेरा निवेदन यह था कि जो सज्जन कांग्रेस के इस चुनाव में हार गये, उनको पब्लिक वर्कर करार देकर उस कमेटी में नामजद किया गया, तो यह कोई उचित तरीका नहीं है।

यह वह कमेटी है जिससे हर छोटे व बड़े का सम्पर्क होता है, हर गरीब और अमीर का उससे सम्पर्क होता है। आप बड़े-बड़े शहरों में मकानों की समस्या देखें। लोग सड़कों पर पड़े रहते हैं, गलियों में पड़े रहते हैं, रहने को नहीं मिलता है। हम लोग अभी यहां जिक्र कर रहे थे कि एक कमरा नाकाफी है। लोग एक-एक कमरे में रहते हैं उसी में खाना बनाते हैं और हर जरूरत की चीज को पूरा करते हैं। फिर भी हालत यह होती है कि कोई आफिसर एक जिले से दूसरे जिले को तबादला होकर जाता है तो ४,४ और ६,६ महीने परेशानी में रहता है। नये मकान जो बनते हैं, जिनमें हर सहूलियत की चीज सरकार की ओर से जैसे सीमेंट व ईंट कंट्रोल रेट पर दी जाती है उन पर सरकार का कंट्रोल नहीं होता। कमेटी का तो कंट्रोल केवल पुराने मकानों पर है और कमेटी का इन पुराने मकानों को एलाट करने का जो तरीका है वह बहुत गलत है।

मैं सदन का ज्यादा समय न ले कर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। कमेटी के अवधिकाल का पता नहीं रहता कि वह कितना है क्योंकि हमारे यहां वही कमेटी शुरू से अब तक बनी रही। इसलिये मेरा सुझाव है कि यह कमेटी केवल एक वर्ष के लिये हो और प्रति वर्ष वह कमेटी बदली जाया करे।

दूसरे यह कि स्कूलों के प्रिंसिपल को नामजद करने की बात जब आती है तो डेफिनीशन यह होना चाहिये कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी इंस्टीट्यूशन का एक प्रतिनिधि होना चाहिये, यह नहीं कि एक प्रिंसिपल को जिलाधीश साहब ने नामजद कर दिया।

तीसरा सुझाव यह है कि बार ऐसोसियेशन अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजे और जो ५वां सदस्य है जिसे पब्लिक वर्कर कहा जाता है तो पब्लिक वर्कर वह आंका जाता है जिसे जिलाधीश महोदय कह दें। मेरा सुझाव यह है कि वहां जो विधान सभा के सदस्य हों उनसे इस मामले में सलाह ली जाया करे और जिसे वे कहें उसे नामजद किया जाया करे।

अगर इस तरह से कोई कमेटी बन जायगी तो मैं आशा करता हूं कि यह मकानों की समस्या हल हो जायगी। यह मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मुझे किसी मकान की आवश्यकता है, बल्कि इसलिये कह रहा हूं कि लोग दरख्वास्तें लेकर हमारे पास आये हैं जिसमें उनका यह कहना होता है कि लोग मेम्बरों से लिखा लेते हैं और फिर जिलाधीश महोदय ने उस पर लिख दिया, उनको मकान एलाट हो जाता है और कमेटी की कोई जरूरत नहीं रहती। दरख्वास्तें देने वाले जो कमेटी के इन्तजार में रहते हैं उनको ख्याल रहता है कि कमेटी होगी तो हमारी दरख्वास्त पेश होगी, इस बीच में ३ मेम्बरों ने किसी और की दरख्वास्त पर लिख दिया और उस पर जिलाधीश ने आर्डर कर दिया और जब कमेटी होती है तो जिलाधीश महोदय का आर्डर दिखला दिया जाया करता है कि साहब यह तो मकान एलाट कर दिया गया है और जो दूसरे क्लेमेंट (claimant) हैं वह पड़े हुये हैं, उनका कोई पुरसाहाल नहीं है। तो इस सुझाव के साथ, आप जो उसके हिसाब से पुनःसंगठन कमेटियों का करने जा रहे हैं उस का संगठन किया जाय। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अधिष्ठाता महोदय, पहली बात जो मुझे इस सिलसिले में सदन में पेश करनी है, वह यह है कि मकानों के एलाटमेंट का काम और उनकी असल जिम्मेदारी जिलाधीश के ऊपर है। वैसे सप्लाई अफसर वगैरह जिलों में मुकर्रर हैं, वह भी इस मामले को देखते हैं, लेकिन बिलआखिर जिलाधीश का हाथ है, और अगर उसमें कोई नाइंसाफी होती है या कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से यह कहा जा सके कि एलाटमेंट गलत हुआ तो वह जाहिर है कि कोई मखसूस शिकायत आने पर उसकी देखभाल हो सकती है।

बहरहाल, इसमें शक नहीं कि हमारे सूबे में जिस रफ्तार से मकानों की जरूरत लोगों को पैदा हो रही है उस रफ्तार से नये मकान नहीं बन रहे हैं और इसी वजह से एक ऐसी कमेटी कि जिसके जरिये से किसी हद तक इनसान के जो प्रापरटी राइट्स हैं अपनी प्रापरटी के ऊपर, उसपर हमको जरूरत पड़ी कि हम दखल दें। चुनान्चे इस कानून को बनाना पड़ा ताकि यह न हो कि इसकी वजह से मालिक मकान अपने मकानों का किराया एग्जार्बिटेंट रेट से बढ़ा दें और मजबूरन लोगों को लेना पड़े और उस तरह के किराये देने पड़ें। चुनान्चे यह कानून अरसे से चल रहा है, मगर बावजूद इसके चूंकि मांग मकानों की ज्यादा है और मकान कम है, करीब-करीब सभी शहरों में और खास तौर से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

जो बड़े शहर हैं वहां इसकी बहुत सी प्राबलम्स पैदा होती हैं। तो इस ख़याल से ताकि जिलाधीश को कुछ जिले के लोगों के ख़यालात भी मालूम होते रहें और उनके मुताल्लिक जरूरियात भी वह मालूम कर सकें, एक नान-आफिशियल कमेटी हर जिले में मुकर्रर कर दी गयी है और उसका कांस्टीट्यूशन, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, यह है कि एक तो जिलाधीश उसका सदर होता है, लेकिन और मेंम्बर जो उसके हैं उनमें जो भी चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड का हो, वह उसका मेम्बर होता है; उसके बाद किसी स्कूल या कालेज का हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो जिले का हो, वह सरकार नामजद करती है और उनके अलावा दो शहर के कार्यकर्त्ता, पब्लिक वर्कर्स या और प्रामिनेंट सिटीजंस, कोई भी हो, वह गवर्नमेंट नामजद करती है। बहरहाल, जैसा मैंने कहा, जिम्मेंदारी इसकी जिलाधीश के ऊपर है। यह एक सलाहकार कमेटी है, जो उनको सलाह देती है। ये कमेटियां पहले से बनी हुई थीं और उनका कोई महत्व नहीं था। एक दफा नामजद हो जाती थीं तो फिर रहा करती थीं, लेकिन अभी १९५७ में यह फैसला हुआ है कि उसके मेम्बर्स की नामजदगी का टर्म रहना चाहिये और दो वर्ष के बाद फिर से जो नये आदमी, जिनके टर्म खत्म हो जायं या तो फिर से रिन्यू हों, या उनकी जगह कोई और मुकर्रर कर दिया जाय।

इस वक्त सूरते हाल यह है कि जो पुरानी कमेटियां चल रही थीं वह अब भी काम कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इस किस्म के आदेश जारी हुये हैं कि उनकी जगह पर नयी नामजदगियां हो जायंगी और जो लोग नामजद होंगे वह दो वर्ष तक एक्स आफिशियो मेंबर के अलावा उसके मेम्बर रह सकेंगे और उसमें वह काम करेंगे। बहरहाल, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता है। अब इन कमेटियों को कोई ज्यादा अहमियत हम नहीं देना चाहते हैं। यह एक सलाहकार कमेटी है। अगर हम यह करें कि इसमें बार ऐसोसियेशन का नुमाइन्दा शरीक हो और जो मुकामी तौर से डिफरेंट इंटरेस्ट्स के लोग हैं जैसे मुख्तलिफ कालेजेज और स्कूल्स के नुमाइन्दे चुने जायं और वह नामजद करें तो बहुत बड़ी कमेटी बन जायगी और शायद फिर ठीक से काम भी नहीं कर सकेगी। खाली यह नहीं कि इसके लिये चुनाव होगा, फिर रूल्स हों, तरीका हो कि किस तरह से इलेक्शन हो, क्या हो? यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत सी जहमतें पेश हो जायंगी। बहरहाल, जिले में ऐसी कई कमेटियां काम करती हैं। एक बिल्डिंग मैटीरियल ऐडवाइजरी कमेटी है, एक कमेटी आनरेरी मजिस्ट्रेटों के नामों की नामदजगी करती है, एक करप्शन का काम देखती है। इनके लिये यह कायदा है कि जो लोग मुनासिब समझे जाते हैं कि अच्छी तरह से काम कर सकेंगे उनकी नामजदगी कर दी जाती है; यह कमेटी तो एक अर्से से चली आती है। १९५३ में इसकी नामजदगी हुई थी तब से कोई तब्दीली नहीं हुई। अब १९५७ के मार्च में यह फैसला हुआ कि इसके मेम्बरों की मियाद दो साल की रखी जायगी।

मुझे उम्मीद है कि जो मैंने माननीय सदस्यों की तफसील बताई है उसके बाद उनको इत्मीनान हो जायगा और वह यह समझेंगे कि हम एक ऐसे जमाने से गुजर रहे हैं जिसमें एक चीज की कमी है और उसकी मांग बहुत ज्यादा है। बहरहाल, हमको तकलीफ हो जाती है और जिन को जरूरत होती है मकान नहीं मिल पाते हैं; वैसे हर शख्स को मकान मिलना चाहिये जो मांगता है लेकिन नहीं मिल सकता है तो जिलाधीश कुछ को दे पाता है और बहुत से महरूम रह जाते हैं। लखनऊ के मुताल्लिक आपने सुना होगा कि यहां पर सवाल पूछे गये थे और यह बताया गया था कि हजारों दरख्वास्तों में से थोड़ी सी मंजूर हो सकीं जिनको मकान एलाट कर सके। हमारे बहुत से ऐसे आफिसर्स हैं जो मकान के इन्तजार में कई सालों से मुंतजिर हैं और हम उनको मकान नहीं दे सके हैं। यह मुश्किलात हैं और हम इनका सामना कर रहे हैं। लेकिन हमारे हुक्म अहकाम यह हैं कि हर शख्स

के साथ इंसाफ होना चाहिये और जहां तक हो सके हर शख्स को एकमोडेट किया जाय और मकान दिये जायं। इसी आधार पर काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य मतमईन हो जायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि आचार्य जुगलकिशोर कंट्रोल एन्क्वायरी कमेटी ने यह सूचना दी थी कि जो जिलों में हाउसिंग ऐडवाइजरी कमेटियां हैं उनकी कई जिलों में वर्षों से कोई मीटिंग नहीं हुई है ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे इसकी इत्तला नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी आचार्य जुगलकिशोर कमेटी की रिपोर्ट को देखकर पुनः विचार करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो कोई विचार की बात नहीं है। बहरहाल, मैंने अर्ज कर दिया कि नई कमेटी बनाई जा रही है और उसके लिये नाम मांगे जा रहे हैं। गालिबन उनके नामों का महीने दो महीने में ऐलान हो जायगा और उम्मीद है कि वह कमेटी ज्यादा दिलचस्पी लेगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिला कमेटी जिसका यह प्रश्न है, उस की सात साल में कितनी मीटिंग्स हुईं और उसकी सलाह से कितने मकान एलाट किये गये ?

श्री सैयद अली जहीर---इसकी इत्तला मुझे इस वक्त नहीं है। आप पूछेंगे तो मैं दरियाफ्त करके बतला सकता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जिन म्युनिसिपैलिटियों में चेयरमैन नहीं हैं और ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं वहां पर सलाहकार समिति में कौन बैठता है ?

श्री सैयद अली जहीर---जाहिर है कि वहां उनकी जगह ऐडमिनिस्ट्रेटर बैठते होंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इन हाउसिंग ऐडवाइजरी कमेटीज के सम्बन्ध में सरकार ने कोई नियम भी यहां से बना कर भेजे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---नियम तो मैंने अर्ज किया, कोई खास नहीं है और अभी तक इनकी मियाद भी नहीं थी। सिर्फ मार्च में जा कर यह तय हो पाया है कि दो वर्ष की मियाद होगी जो मेम्बर नामजद होंगे उनकी। सिर्फ यही है कि जब जिलाधीश इनको बुलायें तो वे बैठ कर मकानों के एलाटमेंट में सलाह दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---आजतक हाउसिंग ऐडवाइजरी कमेटीज में जो आदमी नामिनेट होते रहे उनको क्या जिलाधीश अपने से नामिनेट करते थे या राज्य सरकार करती थी ?

श्री सैयद अली जहीर---राज्य सरकार करती थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---तो जिन दो व्यक्तियों को नामिनेट करने की बात कही गयी है उनकी राज्य सरकार ने क्वालिफिकेशन क्या नियत की है ?

श्री सैयद अली जहीर---पब्लिक वर्कर या इम्पार्टेन्ट सिटीजन आफ़ दि टाउन।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या इन हाउसिंग ऐडवाइजरी कमेटीज के परसोनेल में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर्स भी शामिल हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---जो जी० ओ० है उसमें उनका नाम शामिल नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी को इसकी इत्तला है कि होता जिले में यह है कि बजाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के डी० एस० ओ० इन मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं जो कि नियम और जी० ओ० के विपरीत है ?

श्री सैयद अली जहीर---मुझे इसकी इत्तला नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मेरे इस कथन की माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे कि जिला एडवाइजरी कमेटीज में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफ़िसर्स आज तक प्रिसाइड करते रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को ऐसे आदेश शायद जारी कर देना पड़ें कि जहां डी० एम० प्रिसाइड न कर सकें वहां डी० एस० ओ० किया करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी---पिछले सात साल से जहां डी० एस० ओज० प्रिसाइड करते रहे हैं उसको सरकार कैसे दुरुस्त करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर---अब तो नयी कमेटियां बनने जा रही हैं वह दुरुस्त हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि अगर पिछले सात साल की कार्यवाही वैलिड नहीं की जायगी तो आजतक जो भी इस कमेटी की ओर से एलाटमेंट्स हुये हैं वे इनवैलिड हो जाते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---इसका जवाब हो चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जो जिलों से नये नाम मांगे गये हैं वे आदेश किस तारीख को जारी किये गये हैं ?

श्री सैयद अली जहीर---ये मार्च के बाद किये गये हैं, ठीक तारीख का पता नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि यह आदेश माननीय मोहनलाल जी वर्मा के प्रश्न के बाद निकाला गया है ?

श्री सैयद अली जहीर---तारीख मुझे इस वक्त नहीं मालूम है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---नये आदेशों के अनुसार हाउसिंग ऐडवाइजरी कमेटी के कितने सदस्य हुआ करेंगे और उसका परसोनेल किन व्यक्तियों का हुआ करेगा ?

श्री सैयद अली जहीर---अभी तक जो परसोनेल है वह वही रहेगा। उसमें जो तरमीम होगी अगर माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो उनको बतला दी जायगी।

श्री मोहनलाल वर्मा---अधिष्ठाता महोदय, मन्त्री जी ने जो अभी इस कमेटी के बारे में जिक्र किया तो हमें इस बात को जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि अब उन्होंने इस

अवधिकाल को २ वर्ष का कर दिया है। मेरा निवेदन उसके लिये यह है कि उस कार्यकाल को कुछ कम कर दिया जाय। इनका कार्यकाल पहले नहीं था यह वर्षों से चली आती थीं। जिलों में वैसे बहुत सी बीसों कमेटियां हैं, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण कमेटी और नहीं है। माननीय मंत्री जी भी इस बात को महसूस करते होंगे कि जिले के स्तर पर और दूसरी कमेटीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें असेम्बली के मेम्बर भी सदस्य हुआ करते हैं और उसमें हाउस के अलाटमेंट का प्रश्न रहता है। इसलिये दूसरी कमेटीज से इसकी तुलना करना उचित नहीं होगा। मेरा संशोधन यह है कि २ वर्ष के स्थान पर इसका कार्यकाल १ वर्ष कर दिया जाय तो मेरा खयाल है कि ज्यादातर लोगों को इसमें सुविधा हो जायगी और कमेटी भी ठीक तरीके से काम कर लेगी।

एक बात अभी मंत्री जी ने कही कि ऐडवाइजरी कमेटीज के सम्बन्ध सारे अख्तियार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है। हम सब जानते हैं कि यह सलाह के लिये कमेटी है, लेकिन देखने की बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, क्या वही करता है जो कमेटी सलाह देती है, या सदस्यों के बहुमत के खिलाफ करता है? आप यह देखें कि जहां पर कमेटी बनी वहां ज्यादातर रवइया यह है कि अफसर लोग विधान सभा के सदस्यों के और खासकर हमारे सरकारी पक्ष के सदस्यों के इशारे पर काम करते हैं। तो फिर उन कमेटी के सदस्यों की राय के खिलाफ, हमें यह पूर्ण विश्वास है, अफसर कोई काम नहीं कर सकते। इसलिये वह कमेटी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की राय पर नहीं होती है। वह सलाह देने के लिये जरूर है जैसा कि नारायणदत्त तिवारी जी ने बतलाया लेकिन हमारा पिछला अनुभव है कि जिलों में जिलाधीश प्रिसाइड नहीं करते हैं। हमारा यह भी विश्वास है कि हमने यह कमेटी का प्रश्न सरकार के पास भेजा है और जिलाधीश के पास भी भेजा है और शायद इसकेबाद ही यह अवधिकाल सरकार ने नियत किया है और जिलाधीश ने उस समय फिर दोबारा कमेटी बनायी। हमारी सरकार का मंशा भी यह है कि कमेटी बहुत पुरानी है और कमेटी के सदस्य भी नये हो जांय जिससे ठीक तरीके से वह कार्य करने लगे, लेकिन जिलाधीश महोदय वही पुराने नाम लिखकर रिपीट कर देते हैं। मैंने इसका जिक्र किया कि पब्लिक वर्कर क्या वही हो सकते हैं जो विधान सभा के चुनाव में हार जायं। तो हम सरकार से यह चाहते हैं कि उन कमेटीज को पुनः संगठित किया जाय और नये नाम उसमें आने चाहिये। यही मेरा तात्पर्य था जो मैंने आपकी सेवा में बतलाया और अपने यहां की मिसाल दी। ऐसी सूरत में मेरा यह मतलब नहीं था कि ऐसे बहुत से नाम कमेटी में आवें या वह बहुत ज्यादा नामों की हो। जितने इन्स्टीट्यूशन के प्रिन्सिपल होते हैं वह चुन कर भेज दें। एक ही प्रिन्सिपल ७ वर्ष तक रहा हो और फिर उसको नामजद करके भेज दिया जाय तो यह शोभनीय नहीं मालूम होता है। मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि हमारे जिले के नाम उनके यहां आचुके हैं तो अब उनके लिये नये नाम भेजने की कृपा करें? मैं बड़ा कृतज्ञ हूंगा।

श्री सैयद अली जहीर--अधिष्ठाता महोदय, मुझे हर जिले का पता नहीं है कि किन जिलों से नाम आ गये हैं और किन जिलों से नहीं आये हैं। मुमकिन है कि हरदोई के नाम आ गये हों और दफ्तर में हों। बहरहाल, जब नामजदगी करनी होगी, तमाम ५१ जिलों की करनी होगी। जो बातें माननीय सदस्य ने कहीं हैं उस समय उनका खयाल रखा जायगा। यह तो खुली हुई बात है कि हम इन कमेटियों के लिये चुनाव नहीं करा सकते हैं और न यह मुनासिब ही होगा। ये कमेटियां जिलाधीशों को सलाह देने के लिये हैं। महज सलाह देनेवाली कमेटियों को चुनाव के जरिये मुक़र्रर करना मुनासिब नहीं मालूम होता है। जिलों में बहुत से काम करने वाले हैं इस वजह से कोई शख्स ऐलेक्शन हार गया या

[श्री सैयद अली जहीर]

जीत गया, इससे यह तय नहीं हो सकता कि वह पब्लिक वर्कर है या नहीं, या वहां का प्रामीनेंट सिटीजन है या नहीं। मगर नामजदगी करते वक्त माननीय सदस्य द्वारा कही हुई बातों को ध्यान में रखा जायगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
२९ अगस्त, १९५७।

देवकी नन्दन मिश्रल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नस्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६० पर)

प्रगाढ़ विकास क्षेत्र बेहजम, जिला खीरी के सम्बन्ध में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल (मार्च, १९५६ तक) में कृषि अवाप्ति तथा अनुमानित अतिरिक्त अन्न उत्पादन का विवरण ।

कार्य के मद	संचित अवाप्ति (ब्लाक के खोले जाने के समय से अर्थात् जनवरी २६, १९५४ से मार्च, १९५६ तक)	अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन (हजार मन में)
१--रसायनिकखाद (फर्टीलाइजरों) का वितरण (मन में)	१,२७४	२.१२
२--उन्नतिशील बीजों का वितरण (मन में)	६,१०९	७.६४
३--सिंचाई में लाया गया अतिरिक्त क्षेत्र ..	३,७०२ (एकड़)	२०.१४
४--खाद के गढ़े (संख्या में) ..	१,२०४	
५--वितरित किये गये उन्नतिशील यंत्र (संख्या में)	१८२	
६--प्रदर्शनों की संख्या . ..	६७९	
७--फल के पेड़ों के अधीन लाया गया क्षेत्र		७१ (एकड़)
८--वेजिटेबिल (हरी सब्जी) के अधीन लाया गया क्षेत्र	११६ (एकड़)	
	योग ..	२९.९०

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६२ पर)

गोरखपुर जिले में स्थित बरगांवां राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड में सन् १९५५—५६ और १९५६–५७ में विकास कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण।

क्रम संख्या	मद	व्यय (१९५५–५६)			व्यय (१९५६–५७)		
१	२	३			४		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा
१	हाथ का पम्प	३,१५५	६	०	७,६४०	८	०
२	कुओं की मरम्मत ..	१,५५८	०	०	८,२००	०	०
३	नये कुएं	१,४३२	०	०	९,२८१	०	०
४	अस्पताल	४,०००	०	०	५,५००	०	०
५	पक्की सड़कें	२,०००	०	०	१,०००	०	०
६	नालियां	—	..		८१०	०	०
७	पुलियां	३,७५०	०	०		..	
८	प्राइमरी स्कूल	४००	०	०	२,४९६	०	०
९	पंचायतघर	२,७००	०	०	६००	०	०
१०	हरिजनगृह	१,१५०	०	०		..	
११	बच्चों का पार्क	१,३५४	१०	०		..	
१२	सहकारी बीज भंडार ..	२,०००	०	०	१,७५६	०	०
१३	खाद्य के गड्ढे		..		१३०	०	०
१४	खरंजा		..		५००	०	०
१५	पुल और पुलियां ..		..		८,२३६	०	०
१६	हायर सेकेण्डरी स्कूल ..	२,५००	०	०	१,६००	०	०
१७	राजकीय सिंचाई कार्य ..	८२,५६५	०	०	१८,७७१	०	०
१८	सिंचाई कार्यों के लिये ऋण ..	५,६००	०	०	११,५५०	०	०
१९	कर्मचारियों के भवन ..	९,९८३	३	०	३०,४२०	०	०
२०	कार्यालय का भवन तथा गोदाम		..		१४,५०८	५	०
२१	पीने के पानी का प्रयोजन ..		..		३,६४६	११	०
	योग ..	१,२४,१४८	३	०	१,२६,६४५	८	०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न क २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६७ पर ।)

जिला आजमगढ़ की प्रत्येक तहसील में गत मई और जून के महीने में दी हुई धनराशि का विवरण ।

क्रम सं०	नाम तहसील			मुफ्त सहायता	तकावी
				रु०	रु०
१	सदर	..	..	५,२९३	३१,१३०
२	फूलपुर	..	..	५,२०५	२४,६०५
३	लालगंज	..	..	५,०५०	४२,५१५
४	सगड़ी	..	..	३,७९५	१५,३३५
५	घोसी	..	..	५,८४०	३०,७९५
६	मुहम्मदाबाद	..	..	५,३४०	३१,२००

संसद सदस्य सूचना विधान

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ७६७ पर)

उत्तर प्रदेशीय सरकार

नियोजन विभाग

संख्या १०१७८-पी/३५--१५२-पी-५५

दिनांक लखनऊ, २२ अक्तूबर, १९५५

स्मृति-पत्र

विषय--जिला नियोजन समितियों का पुनर्निर्माण ।

जिला नियोजन समितियों और उनकी उप-समितियों का निर्माण स्मृति-पत्र संख्या १८५७-पी/३९-पी-५०, दिनांक १ अक्तूबर, १९५२, तथा बाद के आदेशों में हुआ था । समितियों के कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार ने इनको पुनः निर्मित करने का निश्चय किया है । अतः पिछले तीन साल के अनुभव के आधार पर इनको बनाने के लिये निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं:--

२--जिला नियोजन समितियां अब इस प्रकार निर्मित की जावें--

(१) सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् जो कि जिले में रहते हों या उस जिले के प्रतिनिधि हों । (यह इस प्रकार किया जावे कि एक सदस्य एक ही जिले की कमेटी पर रहे ।)

(२) एक हरिजन कार्यकर्त्ता यदि सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान सभा परिषद् में से कोई हरिजन सदस्य नहीं है । यह हरिजन सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जावेंगे ।

(३) सामाजिक तथा रचनात्मक एक महिला कार्यकर्त्ता यदि सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् में से कोई महिला न हो । महिला सरकार द्वारा मनोनीत की जावेगी ।

(४) पांच गैर सरकारी सदस्य जिनको सरकार मनोनीत करे जिनमें एक औद्योगिक कार्यों में तथा गृह और कुटीर उद्योग कार्यों में रुचि रखता हो ।

(५) जिलाधीश दो गैर सरकारी सदस्यों को रख सकता है जिसमें एक जिला स्काउट एसोसियेशन का उच्च अधिकारी हो और दूसरा जो विकास कार्य में रुचि रखता हो ।

(६) जिले के हायर सेकेण्डरी स्कूलों का एक प्रतिनिधि जिसको समस्त स्कूलों के प्रिन्सिपल चुन कर भेजें ।

(७) मंत्री, जिला सैनिक, नाविक एवं वायु सेना बोर्ड ।

(८) अध्यक्ष, जिला बोर्ड ।

(९) दो सदस्य जिनको जिला बोर्ड मनोनीत करके भेजें ।

(१०) मैनेजिंग डाइरेक्टर, कोआपरेटिव बैंक ।

(११) जिला कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि अध्यक्ष जिलाधीश है।

(१२) समस्त चेयरमैन, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया।

(१३) गांव सभा के प्रतिनिधि जिले के प्रत्येक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड तथा छाया खण्ड से एक प्रधान का चुनाव उस खण्ड क्षेत्र के समस्त प्रधानों द्वारा करके जिला नियोजन समिति का सदस्य बनाया जाय (उन जिलों में जहां राष्ट्रीय प्रसार सेवा-खण्डों तथा छाया खण्डों की संख्या १० से अधिक नहीं है वहां प्रत्येक खण्ड से दो प्रधानों को लिया जायेगा।)

(१४) एक प्रतिनिधि जिलें के हर गन्ना मारकेटिंग सोसाइटी से।
(१५) संयोजक, भारत सेवक समाज।
(१६) राज्य नियोजन बोर्ड का गैर सरकारी सदस्य जो जिले में रहता हो।
(१७) कृषि पंडित, यदि जिले में रहता हो।
(१८) राज्य कृषि बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य जो जिले में रहते हों।
(१९) सरकारी सदस्य--

जिलाधीश.....चेयरमैन।

जिला नियोजन अधिकारी.....मन्त्री।

समस्त सब-डिवीजनल अफसर, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, जन स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के जिले स्तर के अधिकारी, सिचाई, सार्वजनिक निर्माण और हाइडल डिवीजन तथा सब-डिवीजन जो कोई भी जिले में हों, उनके उच्च अधिकारी, सिविल सर्जन, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, स्वायत्त शासन (इन्जीनियरिंग) विभाग, जिन जिलों में प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र स्थापित है उनके प्रिन्सिपल, मथुरा जिले में पशुपालन विश्व विद्यालय के प्रिन्सिपल, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल, और टेहरी-गढ़वाल में पर्वतीय सिंचाई योजना सम्बन्धी सहायक इन्जीनियर, कानपुर में कृषि महाविद्यालय के प्रिन्सिपल, जिन जिलों में बन विभाग है वहां बन विभाग के जिले स्तर के अधिकारी और उद्योग विभाग के जिले स्तर के अधिकारी यदि जिले में हों। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जिला कृषि अधिकारी, जिला सहकारी अधिकारी, जिला संगठनकर्त्ता, प्रान्तीय रक्षक दल, जिला सूचना अधिकारी, सहायक जिला पंचायत अधिकारी, कार्यकारिणी समितियां--

(१) जिलाधीश.....चेयरमैन।

जिला नियोजन अधिकारी.....मन्त्री।

सरकारी सदस्य जो जिला नियोजन समिति पर खंड १९ के अन्तर्गत मनोनीत किये गये हों।

(२) अध्यक्ष, जिला बोर्ड।
(३) खंड ४ में जो गैर सरकारी सदस्य मनोनीत हों उनमें से तीन गैर सरकारी सदस्य जो सरकार द्वारा मनोनीत किये जावें।
(४) नगरपालिका बोर्ड का एक प्रतिनिधि।
(५) सहकारिता का एक प्रतिनिधि।
(६) तीन प्रतिनिधि सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् में से

(७) हरिजन कार्यकर्त्ता [यदि जिला नियोजन समिति पर एक से ज्यादा हरिजन सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् हों तो समस्त सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य, सभा सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् (हरिजन व गैर-हरिजन) एक हरिजन को चुनेंगे] ।

(८) महिला कार्यकर्त्ता ।

(९) गांव सभा का एक प्रतिनिधि ।

प्रतिनिधि जो खण्ड ४, ५, ६ और ९ के अन्तर्गत मनोनीत हों वह जिला नियोजन समिति के अपने-अपने दलों द्वारा चुने जावेंगे ।

३--जिला नियोजन समितियों और उनकी कार्यकारिणी समितियों के उपाध्यक्ष सरकार द्वारा मनोनीत किये जावेंगे ।

४--जिलाधीशों से संलग्न सरकारी कर्मचारियों की समितियां जिनकी निर्माण विधि उपरोक्त स्मृति-पत्र के पैरा ४ में दी हुई है उसी प्रकार कार्य करती रहेंगी ।

५--जिला नियोजन समितियों का कार्यक्रम उक्त स्मृति-पत्र के पैरा ५ में दिये हुये आदेशों के अनुसार जारी रहेगा ।

६--जिलाधीश जिला नियोजन समितियों के निर्माण के लिये अपनी सिफारिशें सरकार को भेजें : यदि किसी जिले में सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् में हरिजन या महिला सदस्य नहीं है, तो जिलाधीश पैरा २ के खण्ड २ और ३ के अन्तर्गत दो नामों की सिफारिश करें । खण्ड ४ के अन्तर्गत अपनी सिफारिश भेजते समय सात व्यक्तियों के नाम भेजे जिनमें दो औद्योगिक कार्यों में तथा गृह और कुटीर उद्योग कार्यों में रुचि रखने वाले व्यक्ति हों । यदि जिले के लिये आवश्यक हो तो श्रमिकों के प्रतिनिधि के नाम की भी सिफारिश की जावे ।

७--जिला नियोजन समितियों की जो उप-समितियां हैं उनको पुनर्निर्मित करने के सम्बन्ध में सचिवालय के सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी किये जावेंगे ।

८--जिला नियोजन समितियों की बैठकें प्रति माह निश्चित तिथि पर हुआ करें । यह तिथि जिलाधीशों को जिला नियोजन समितियों की पहली बैठक में निश्चय कर लेनी चाहिये । पहाड़ी जिलों में जिला नियोजन समिति की बैठक प्रतिमास न बुलाकर हर दूसरे माह बुलाई जावे ।

९--जिला नियोजन समितियों का कार्यकाल १५ नवम्बर से तीन वर्ष तथा कार्य कारिणी समितियों तथा उप-समितियों कार्यकाल एक वर्ष रहेगा ।

१०--इन नई समितियों के स्थापित हो जाने के बाद पिछली समितियां तथा उप-समितियां समाप्त हो जावेंगी ।

आदित्यनाथ झा,
नियोजन सचिव ।

प्रतिलिपि प्रदेश के समस्त जिलाधीशों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजी जाती है ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है:

(१) समस्त जिला नियोजन अधिकारी,
(२) समस्त अधीक्षक, जिला बोर्ड,
(३) समस्त अधीक्षक, जिला कांग्रेस कमेटी,

(४) समस्त वैभागिक अधीक्षक,

(५) सदस्य विधान सभा, सदस्य विधान परिषद् तथा उत्तर प्रदेश द्वारा चुने गये सदस्य लोक सभा और सदस्य राज्य सभा,

(६) डिवीजन्स के कमिश्नर, और

(७) महा लेखापाल, उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी भेजी जाती है :

(१) सरकारी सचिवालय के समस्त विभाग—सिंचाई, उद्योग, शिक्षा, हरिजन सहायक और चिकित्सा विभागों द्वारा जिला नियोजन समितियों की जो उप-समितियां बनाई गई हैं उनको पुनर्निर्मित करने के आदेश सम्बन्धित विभाग शीघ्र जारी करने की कृपा करें। इन उप-समितियों का निर्माण १५ नवम्बर, १९५५ तक जरूर हो जाना चाहिये।

(२) सचिव, प्लानिंग कमीशन, केन्द्रीय सरकार, देहली ।

(३) समस्त प्रदेशीय सरकार के मुख्य सचिव ।

आज्ञा से,

आदित्यनाथ झा,
नियोजन सचिव ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७३ पर)

जिला बुलन्दशहर के ओला पीड़ित क्षेत्र में दी गई सहायता का विवरण

			रु०
१—अहेतुक सहायता ..	..	..	५०,०००
२—तकावी ..	..	..	६,५०,०००

इसके अतिरिक्त मालगुजारी तथा बीज कोआपरेटिव के देयों की वसूली स्थगित है। मालगुजारी में कायदे के मुताबिक छूट दी जायेगी।

तहसील बुलन्दशहर के उन ग्रामों की सूची जिन में १२ आना या उससे अधिक तथा आठ आना या उससे अधिक परन्तु १२ आने से कम हानि है

१२ आने या उससे अधिक

१—सैदपुर
२—खैरपुर
३—नीमापट्टी
४—सेहरा
५—मिरावठी
६—डारौली
७—आकापुर टियाना
८—गुलाबनगर
९—दुर्वेशपुर
१०—महीउद्दीनपुर
११—बेनीपुर
१२—हिंगवाडा
१३—सुरकासी
१४—भैंसाखुर
१५—ढकौली
१६—तिघरहा
१७—धमैंड़ा सलाहाबाद
१८—मौंवहादुर नगर
१९—सधारनपुर
२०—सलामत नगर गंगावली
२१—ताजपुर
२२—अट्ठा
२३—शेरपुर
२४—शरीफपुर मेंसरली
२५—समकोला
२६—महावतपुर गढ़ी
२७—सैदपुर सुरेमपुर
२८—सेंटा
२९—बागवाला
३०—थाहरमदपुर
३१—ऐंचाना
३२—गिरधरपुर नबावा
३३—खंगावली
३४—असावर
३५—उत्तसरा
३६—परतापपुर
३७—एतमादपुर
३८—लोहरारा
३९—सींहि

८ आना या उससे अधिक परन्तु १२ आना से कम

१—करीम नगर बनकोई
२—मिट्ठेपुर
३—सैगड़ा
४—बिसाइच
५—अकबरपुर मौजा
६—फैजाबाद रिठावली
७—चिरावल
८—औलैड़ा
९—छपरावत
१०—हरचना

तहसील सिकन्दराबाद

सूची ग्राम जिनमें आठ आने से ज्यादा और बारह आने से कम नुकसान हुआ है

१—पतवारी
२—बैंदपुरा
३—मिलन लच्छी
४—मोतारावल
५—अहैजा
६—सोहन्सुर
७—सुन्सुरा
८—बैंझा तिलमोताबाद
९—शाहपुर गोवरधन पुर बांगर
१०—छलेरा बांगर
११—बरौता
१२—गवाना
१३—शोरखा ज्यादाबाद
१४—शरफाबाद
१५—महीउद्दीनपुर उर्फ गारकपुर
१६—नगला कीरानी
१७—कुरीखेरा
१८—बम्बापढ़
१९—पल्ला
२०—पाली
२१—बीलाअकबरपुर
२२—नगला नैनसुख
२३—कोट
२४—एबिसमूरी
२५—सराय जगनाथ
२६—सिरोधन
२७—वीरखेड़ा
२८—नगला वीरखेरा
२९—सैतली
३०—छांयसा
३१—लाठौर
३२—मुरादाबाद
३३—भराना
३४—गेसूपुर
३५—कलौंदा
३६—शकीपुर
३७—हलदौना
३८—सुगलपुर
३९—कोसली बांगर
४०—गुलावली
४१—अरबरा
४२—तिलवारा
४३—औरंगाबाद
४४—मुरशदपुर
४५—जगनपुर अफजलपुर
४६—चूहर पुर खादर
४७—रामपुर जागीर
४८—किशनपुर
४९—नीकनामपुर उर्फ बिसाहपुर
५०—नगला चमरा
५१—वसन्तपुर
५२—लुहरासी
५३—शाहाबाजपुर
५४—बोढ़ा
५५—इब्राहीमपुर
५६—मटोला
५७—सराय दुल्हा
५८—चंदरावली
५९—काशना
६०—दलेलगढ़
६१—सरायघासी
६२—रोशनपुर
६३—जुनैदपुर
६४—तालरहा
६५—कनारसी
६६—सादल्लापुर
६७—जौ नसमाना
६८—मोहम्मदाबाद
६९—खटाना वीरखेरा

छः आने मे आठ आने तक हानि

७०—मुबारकपुर
७१—बादलपुर
७२—रोहल्लापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तहसील सिकन्दराबाद के उन ग्रामों की सूची जिन में १२ आना या उससे अधिक हानि हुई

१—सैनी
२—मुखाना
३—मोहम्मदपुर अलीपुर
४—हमीदपुर
५—बिसरत
६—खैरपुर
७—खेड़ा चौगानपुर
८—ऐमनाबाद
९—ककराला खवासपुर
१०—अलाबिरदीपुर
११—जलपुरा
१२—हलदौनी
१३—सालारपुर
१४—मूरा
१५—याकूबपुर
१६—मगता चरनदास
१७—भगेतमपुर
१८—सदरपुर
१९—सुल्तानपुर
२०—हामीपुर
२१—दोस्तपुर मंगरौली बांगर
२२—चकमंगरौली
२३—बाजीदपुर बांगर
२४—बाजीदपुर खादर
२५—नौरंगाबाद
२६—कटहरा
२७—दादरी
२८—निटहरा
२९—कटपुरा
३०—बिरायचपुर
३१—रुपबास
३२—सोदनांकलां
३३—खेड़ी
३४—मनोता
३५—आमका
३६—तिल्पता करनवास
३७—गुलिस्तांपुर
३८—देवला
३९—असगरपुर जागीर
४०—वास्तापुर
४१—आनन्दपुर
४२—खंडेरा
४३—भिनक खंडेरा
४४—दरंगपुर उर्फ नई बस्ती
४५—फूलपुर
४६—शहदरा
४७—सुधियाना
४८—कुलेसरा
४९—मोहयापुर
५०—सूरजपुर
५१—मलकपुर
५२—लखनावली
५३—बेगमपुर
५४—दोस्तपुर मंगरौली खादर
५५—असदुल्लापुर
५६—छपरौली बांगर
५७—नगला नगली
५८—इलाखास
५९—छमरोली खादर
६०—छलैरा खादर
६१—नौरंगाबाद खादर
६२—सादपुर खादर
६३—मलगढ़ा
६४—गुजर पुर
६५—नामोली
६६—मोमनाथल
६७—गढ़ी सरमस्तपुर
६८—मोतीपुर
६९—सिकदन्रपुर
७०—आटा
७१—छोलस
७२—उमलारसी
७३—चक्रसेनपुर उर्फ धनुवास
७४—खोदना खुर्द
७५—धूम मानकपुर
७६—सांदोंपुर
७७—नूरपुर

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७६ पर)

सूची (क)

जिला मथुरा के सघन विकास क्षेत्र, गोवर्धन के अन्तर्गत छाता तहसील में अनुदानों का ग्रामवार वितरण

१९५४–५५

ब्योरा	ग्राम	दिए गए अनुदान की राशि		
		रु०	आ०	पा०
पीने के पानी के कुएं ..	ऊंचागांव	४००	०	०
	पेलखू	८००	०	०
	उमराया	३३७	०	०
	बदनगढ़	४००	०	०
	बृजवारी	४००	०	०
	अल्वई	३३६	०	०
	हथिया	४००	०	०
	सनकेत	४८०	०	०
	योग ..	३,५५३	०	०
कुओं की मरम्मत ..	चिकसोली	१५०	०	०
	बरसाना	४००	०	०
	करहेला	५२५	०	०
	बृजवारी	१६०	०	०
	रनवारी	२००	०	०
	भदावल	१५०	०	०
	रनहेरा	१३२	०	०
	भरनां कला	१७०	०	०
	पिसावा	२००	०	०
	खैरा	२००	०	०
	भरनाखुर्द	२००	०	०
	योग ..	२,४८७	०	०
हाथ से चलाने वाले नल ..	बरसाना	२५०	०	०
	योग ..	२५०	०	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१९५४–५५

ब्योरा	ग्राम			दिए गए अनुदान की राशि
पंचायतघर	.. हतिया	..	..	१,५०० ० ०
	बरना कलां	..	..	१,५०० ० ०
	ऊंचागांव	..	..	१,५०० ० ०
		योग	..	४,५०० ० ०
खड़ंजा	.. नन्द गांव १	..	..	७५० ० ०
	„ २	..	..	४०० ० ०
	„ ३	..	..	३५० ० ०
		योग	..	१,५०० ० ०
तालाबों के घाट	.. भरनाकलां	..	..	४५० ० ०
		योग	..	४५० ० ०
पक्की सड़क	.. बरसाना	..	..	७,००० ० ०
		योग	..	७,००० ० ०
१९५५–५६				
पंचायतघर	.. भदावल	..	..	१,५०० ० ०
	खयारा	..	..	३,७५० ० ०
		योग	..	५,२५० ० ०
गांधी चबूतरा	.. करहेला	..	..	२२५ ० ०
		योग	..	२२५ ० ०
खड़ंजा	.. बरसाना	..	..	५०० ० ०
	नन्दगांव	..	..	७४५ ० ०
		योग	..	१,२४५ ० ०
पुलिया	.. खयारा	..	..	१५० ० ०
		योग	..	१५० ० ०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१९५४–५५

ब्योरा	ग्राम		दिए गए अनुदान की राशि
बीज गोदाम भवन ..	नन्दगांव ..	..	६,५०० ० ०
	योग	..	६,५०० ० ०
जूनियर हाई स्कूल भवन ..	खयारा ..	..	३,५०० ० ०
	योग	..	३,५०० ० ०
तालाबों के घाट ..	करहेला ..	..	६०० ० ०
	योग	..	६०० ० ०
खड़ंजा ..	नन्दगांव ..	..	२,४०० ० ०
	सनकेत ..	..	५२५ ० ०
	योग	..	२,९२५ ० ०

विधान सभा सचिवालय

सूची (ख)

छाता तहसील में दिये गये ऋण

१९५४-५५			रु०	आ०	पा०
रहट (पर्शियन ह्वील्स) ..	उमरइया ..	..	५००	०	०
	पिसावा ..	..	५००	०	०
	कमई ..	..	७५०	०	०
	आजनोखा ..	..	१,०००	०	०
	बरसना ..	..	२५०	०	०
	खयारा ..	..	२५०	०	०
	भरनाखुर्द ..	..	२५०	०	०
	ऊंचागांव ..	..	२५०	०	०
	नन्दगांव ..	..	२५०	०	०
	करहेला ..	..	२५०	०	०
	रहेरा ..	..	७५०	०	०
	हथिया ..	..	२५०	०	०
	योग	..	५,२५०	०	०
कृषि के औजार ..	चिकसोली ..	..	१२०	०	०
	बरसना ..	..	२१८	०	०
	गाजीपुर ..	..	१२०	०	०
	सनकेत ..	..	२२०	०	०
	योग	..	६७८	०	०
पक्के कुएं ..	कमई ..	..	२,०००	०	०
	कर हेला ..	..	१,०००	०	०
	बरोखर ..	..	५००	०	०
	गाजीपुर ..	..	५००	०	०
	ऊंचागांव ..	..	५००	०	०
	खोर ..	..	५००	०	०
	नन्दगांव ..	..	५००	०	०
	योग	..	५,५००	०	०

विधान सभा प्रदेश उत्तर

			रु०	आ०	पा०
१९५५-५६					
पक्के कुएं	.. कमई	.. ..	३,५००	०	०
	करहेला	.. ..	२,०००	०	०
	बरसना	.. ..	१,५००	०	०
	नन्दगांव	.. ..	५००	०	०
	नहीरा	.. ..	५००	०	०
	योग	..	८,०००	०	०
१९५६-५७					
रहट (पर्शियन ह्वील्स)	.. अजनोख	.. ..	५००	०	०
	खयारा	.. ..	२५०	०	०
	सनकेत	.. ..	२५०	०	०
	रनवरी	.. ..	२५०	०	०
	गाजीपुर	.. ..	२५०	०	०
	दारावाली	.. ..	५००	०	०
	बरसना	.. ..	२५०	०	०
	योग	..	२,२५०	०	०
अमोनियम सल्फेट	.. पेल्खू	.. ..	२१०	०	०
	भरनाखुर्द	.. ..	२८०	०	०
	दाराबाली	.. ..	२१०	०	०
	खानपुर	.. ..	७०	०	०
	भदावल	.. ..	३५	०	०
	खयारा	.. ..	३५	०	०
	योग	..	८४०	०	०
पशु पालन (गाय तथा भैंसे)	बरसना	.. ..	१,०००	०	०
	योग	..	१,०००	०	०

विधान सभा

सूची (ग)

जिला मथुरा के सघन विकास क्षेत्र, गोवर्द्धन के अन्तर्गत छाता तहसील में, नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत अनुदानों से किये जाने वाले कार्यों की प्रगति का विवरण

ब्योरा		कार्य जो स्वीकृत हुए	कार्य जो पूर्ण हुए	कार्य जो चल रहे हैं	कार्य जो आरम्भ नहीं हुए	
१		२	३	४	५	६
१—पीने के पानी के कुयें	..	१२	११	१	..	..
२—कुओं की मरम्मत	..	१५	१५	..	..	..
३—हाथ से चलाने वाले नल	..	२	१	..	१	..
४—खड़ंजा ..	..	७	५	२	..	..
५—पंचायतघर व स्कूल	..	५	१	३	१	..
६—गांधी चबूतरा ..	..	४	४	..	..	..
७—पुलिया ..	..	१	१	..	..	..
८—तालाब घाट ..	..	४	३	..	१	..
९—बीज गोदाम भवन	..	१	..	..	१	..
१०—जूनियर हाई स्कूल भवन	..	१	..	१	..	..
११—पक्की सड़क ..	..	१	१	..	..	..

नोट—कालम ४ में दिये गये कार्यों की अक्तूबर, १९५७ तक पूर्ण होने की आशा है। कालम ५ में दिये गये कार्यों की मार्च, १९५८ तक पूर्ण होने की आशा है।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७७ पर)

विवरण १

१९५६–५७ में जिला मथुरा के राष्ट्रीय प्रसार एवं प्रगाढ़ विकास खण्डों के प्राविधान का विवरण

मद का नाम	प्राविधान		
१	२		
	रु०	आ०	पा०
१—क्षेत्र स्तर —			
(क) अधिकारियों का वेतन	११,६२०	०	०
(ख) कर्मचारियों का वेतन	१,०३,३०४	०	०
(ग) भत्ता	४५,८९०	०	०
(घ) प्रासंगिक व्यय—			
(१) आवर्त्तक	११,८००	०	०
(२) अनावर्त्तक	१३,८००	०	०
२—कृषि एवं पशुपालन	८,६००	०	०
३—सिंचाई अनुदान	५,०००	०	०
४—जन स्वास्थ्य	२५,५००	०	०
५—अनुदान	१,४०,०००	०	०
६—स्टेट सिंचाई कार्य	४५,०००	०	०
७—शिक्षा	३३,५००	०	०
८—समाज शिक्षा	२४,८००	०	०
९—यातायात	१६,२००	०	०
१०—उद्योग धन्धे	२१,१३१	०	०
११—कार्यालय तथा कर्मचारियों के भवन का निर्माण ..	३६,०००	०	०
१२—ऋण	१,२२,०००	०	०
योग ..	६,६४,१४५	०	०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विवरण २

मथुरा जिले में १९५६–५७ के लिये नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत प्राविधान का विवरण

बजट मद	प्राविधान		
	रु०	आ०	पा०
६३-अ––कृषि इंजीनियरिंग––			
कर्मचारियों का वेतन	४,५८९	०	०
भत्ता	७८५	०	०
मंहगाई	१,४३७	०	०
प्रासंगिक व्यय––			
(१) आवर्त्तक	१,०००	०	०
पक्के कुओं के लिये सहायता (subsidy) ..	१०,६५३	०	०
७१––कैपिटल आउटले––			
(फ) बोरिंग	५७०	०	०
पी–ऋण––			
(१) पक्के कुओं का निर्माण	६,०००	०	०
(२) बोरिंग	८,०००	०	०
(३) पर्शियन ह्वील	२,५००	०	०
(४) पम्पिगं प्लान्ट	१५,०००	०	०
***६३-अ––पर्यटन––**			
कर्मचारियों का वेतन	९००	०	०
भत्ता इत्यादि	५००	०	०
प्रासंगिक व्यय	६४५	०	०
६३-अ––तथा ब––			
स्थानीय सामूहिक विकास	१,२५,५००	०	०
मुर्गी पालन	२,०००	०	०
वन कार्य	१५,०००	०	०

*नोट––मथुरा जिले में पर्यटन केन्द्र १९५६ में आरम्भ किया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७७८ पर)

हरदोई जिले में परगना सांडी, बिलग्राम, कछन्दऊ और कटियारी के उन गांवों की सूची जो १९५५–५७ में नदियों द्वारा काटे गये हैं अथवा जिनकी अधिकांश खेती लायक जमीन कट गई है ।

परगना सांडी

१––पलिया पूरब पंजसाला
२––पलिया पश्चिम पंजसाला
३––कीरतपुर
४––देवरनिया
५––छित्रामऊ
६––खिम्वा पुरवा लगा विजना
७––नराइन पुरवा लगा कुचीला
८––मन्सूरपुर
९––गंग बरार उमरौली
१०––नदना सीसाला
११––कटरी छाचपुर
१२––मगरौरा
१३––जनिया मऊ
१४––अखबेलपुर मलवा
१५––हैदराबाद
१६––चन्द्रमपुर
१७––विजना
१८––मोराजपुर
१९––चंदउ बेचय
२०––उमरौली जैतपुर
२१––खम्दूपुर जसमई
२२––जसमई
२३––जिगनी
२४––देवकली
२५––छाछपुर
२६––बेहनार
२७––चौसार
२८––हसनापुर
२९––भदार
३०––तेरा परसोली

परगना बिलग्राम

१––सढ़ियापुर
२––कटरी अजमतपुर
३––गटरी बिलोही
४––कटरी महादेवा
५––कटरी परसोला
६––कटरी इब्राहीमपुर
७––बमरौली

परगना कछन्दऊ

१––तिवी सुल्ली
२––कटरा तिवी कुल्ली
३––मोहिमपुर
४––मगरोरा
५––बाबरमऊ
६––राघोपुर
७––कुतवापुर
८––शाहपुर पंजसाला

परगना कटियारी

१––रामनगर
२––मुर्चा
३––बेहटा लाखी
४––खसोरा
५––भूसहरा
६––धनियामऊ
७––धरमपुर
८––टिकार
९––महेदाईन
१०––पूरा अट्टा
११––दयालपुर
१२––बड़ी जोर

३० विधान सभा

हरदोई जिले में परगना सांड़ी बिलग्राम, कछन्दऊ और कटियारी के उन गांवों की सूची जो १९५५-५७ में नदियों द्वारा काटे गये हैं अथवा जिनकी अधिकांश खेतों लायक जमीन कट गई है।

परगना कटियारी

१३—सुरजनपुर
१४—वरान
१५—नदवापुर नरौथा
१६—बडा गांव
१७—बेहटा रामपुरा
१८—खडगपुर
१९—परचोली
२०—दरवान
२१—खेरउद्दीनपुर
२२—शेलवापुर नगरिया
२३—गंगईपुर
२४—सिलदासपुर
२५—रबियापुर
२६—नगरा
२७—वर्रा
२८—तिथगांव
२९—अरवल
३०—सुरजूपुर दुरजना सीसाला
३१—सुरजूपुर दुरजना पंजसाला
३२—मोल्हनपुर सीसाला
३३—मोल्हनपुर पंजसाला
३४—अलीगंज ननखिरिया
३५—वरहुली
३६—गोरिया पंजसाला
३७—सई
३८—भवानीपुर
३९—अर्जुनपुर पंजसाला
४०—सिधेयपुर
४१—दहलिया
४२—घटवासा
४३—श्यामपुर

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १३६ एल० ए०—१९५७—७९६ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश